# Bihar Administrative Service Association

(Registration No-633/2003)


**Shashank Shekhar Sinha**
**President**
Mob. No.-9334118192

**Sunil Kumar Tiwary**
**General Secretary**
Mob. No.- 9431085120

**Vice President**
Ajay Kumar
9835737317

Subodh Kumar
7979919465

**Joint Secretary**
Chandrashekhar Azad
8987044905

Vikash Kumar
7717770977

**Treasurer**
Shashi Shekhar
9334557086


Memo No 02 Date 08/01/2023

सेवा में,

प्रधान सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग
बिहार, पटना |

विषय:- माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की गलत व्याख्या कर राज्य खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्ति वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में जिला प्रबंधक के रूप में पदस्थापित तीन दर्जन से अधिक बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के विरुद्ध पूर्णरूपेण गलत तथ्यों के आधार पर गठित आरोप की विवेक सम्मत समीक्षा करने एवं प्रस्तावित कारवाई को वापस लेने के संबंध में |

महाशय,

विनम्रता पूर्वक भवदीय का ध्यान आरोप की प्रकृति की ओर आकृष्ट कराते हुए कहना हैं कि राज्य खाद्य निगम द्वारा जिस प्रकार के तथ्यों के आधार पर बिहार प्रशासनिक सेवा से प्रतिनियुक्ति तत्कालीन जिला प्रबंधको पर वर्तमान जिला प्रबंधको से आरोप प्रारूप का गठन करवा कर सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया हैं उससे मिलरो को अपरोक्ष रूप से लाभ मिलेगा |

वर्तमान जिला प्रबंधको द्वारा प्रबंध निदेशक निगम मुख्यालय, पटना को भेजे पत्र में पूर्णरूपेण गलत तथ्य का उल्लेख किया गया हैं कि –

"माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के द्वारा M. A. No.- 1140/2019 एवं M.A. No.- 1926 /2016 में दिनांक 25.10.2019 को पारित आदेश में कारवाई करने का निदेश प्राप्त हैं |"

माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश की गलत व्याख्या के आधार पर आरोप गठित किया गया हैं |

वस्तुस्थिति यह हैं कि :-

i. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा मिलरो को 20% राशि जमा करने के शर्त पर दिए गए जमानत (Bail) आदेश के विरुद्ध बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में SLP (Crl) No (s). 1779/2016-21 दाखिल किया गया था जिसमे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 28.02.2017 के द्वारा कुल 9 निर्देश दिया गया था | जिसमे मिलरो को आदेश दिया गया था कि बकाया पैसा के बदले बैंक गारंटी जमा करे और जिनका जमा हैं लेकिन lapse कर गया हैं वो उसे renewal

करावे एवं निगम को liberty दिया गया था कि एकरारनामा का अगर उल्लंघन किया गया हैं तो उक्त बैंक गारंटी को encash करवा ले |

ii. पुन: मिलरो द्वारा Cr. Appeal No. 998/2018 / SLP (Crl) No. 9196 of 2017 दाखिल किया गया था जिसमे दिनांक 13.08.2018 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया कि –

" We permit the Corporation to secure its interest either by invoking the Bank Guarantees wherever furnished and or by putting to auction the unencumbered immovable property pledged by the millers with it, after due process of law."

लेकिन निगम द्वारा किसी pledge प्रॉपर्टी को नीलाम प्रक्रिया से ना तो नीलाम किया गया और ना ही बैंक गारंटी को encash करवाया जा रहा हैं |

महोदय, जहाँ माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा M.A. No. 1140/2019 एवं M.A. No. 1926/ 2019 में दिनांक 25.10.2019 को पारित आदेश के आलोक में कारवाई करने का उल्लेख किये जाने का प्रश्न हैं इस संबंध में विनम्रता पूर्वक कहना हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय में राज्य खाद्य निगम के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दलील देने के क्रम के कहा गया कि –

"अधिकांश pledge के केस में या तो securities are inadequate या एक ही सिक्यूरिटी कई एकरारनामा में दिखाया गया हैं या securities encumbered हैं या cocerned प्रॉपर्टी are jointly held हैं |"

उक्त दलील पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्ट कहा गया हैं कि "अगर इस तरह की खामिया हैं तो अथॉरिटीज अर्थात निगम / विभाग एवं उनके पदाधिकारियों को मिलरो से धान देने के बदले इस तरह सिक्योरिटीज नहीं स्वीकार करना चाहिए साथ ही निगम को बोला गया कि –

"The State, therefore, is required to put its house in order and proceed accordingly".

अर्थात, उपरोक्त परिस्थिति में निगम को पहले अपने व्यवस्था को ठीक कर आगे का कार्य करने की जरुरत हैं |

उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन से प्रमाणित होगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निगम की धान अधिप्राप्ति की नीति पर टिप्पणी की गई हैं ना की तत्कालीन जिला प्रबंधको पर |

SLP (Crl) No (s). 1779 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.2017 की प्रति संलग्न | (अनु०-1)

Cr. Appeal No. 998/2018 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.08.2018 की प्रति संलग्न | (अनु०-2)

M.A. No. 1140/2019 एवं M.A. No. 1926/ 2019 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.10.2019 की प्रति संलग्न | (अनु०-3)

महोदय, सभी तत्कालीन जिला प्रबंधको पर सामान्य रूप से यह आरोप लगाया गया हैं कि :-

I. तत्कालीन जिला प्रबंधको द्वारा निगम द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार डीड ऑफ़ अग्रीमेंट और डीड ऑफ़ pledge नहीं करवाया गया |

II. मिलरो से टाइटल डीड्स / खतियान का कागजात प्राप्त नहीं किया गया जिसके कारण मिलरो से बकाया राशि की वसूली नहीं की जा सकी और वसूली नहीं हो पाने के कारण हुए आर्थिक क्षति के लिए तत्कालीन जिला प्रबंधक दोषी हैं |

उपरोक्त आरोप के संबंध में विनम्रता पूर्वक निम्नलिखित तथ्य भवदीय के अवलोकनार्थ समर्पित हैं :-

i. धान अधिप्राप्ति वर्ष 2012-13 में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा अपने पत्रांक 7066/ ख० आ० दिनांक 07.12.2012 एवं 2013-14 के लिए पत्रांक 7714 दिनांक 6.12.13 द्वारा मिलरो को धान देने हेतु दिशा निर्देश निर्गत किया गया था जिसमे राज्य मुख्यालय के पदाधिकारी / जिला के प्रभारी सचिव एवं प्रमण्डलीय आयुक्त से लेकर जिला पदाधिकारी एवं जिला स्तर के अन्य पदाधिकारियों के दायित्वों का उल्लेख किया गया था|

ii. खरीफ विपन्न वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में क्रमश: निगम के पत्रांक 9914 दिनांक 29.12.2012 एवं पत्रांक 435 दिनांक 13.01.2014 द्वारा राज्य के सभी जिला प्रबंधको को संबंधित मिलरो के साथ एकरारनामा करने एवं सिक्यूरिटी लेने हेतु डीड ऑफ़ अग्रीमेंट एवं डीड ऑफ़ pledge का प्रपत्र दिया गया था एवं स्पष्ट निर्देश था कि 100/- रुपया के नॉन जुडिशल स्टाम्प पर उक्त प्रपत्र में एकरारनामा एवं डीड ऑफ़ pledge किया जाय |

तदनुसार सभी जिला प्रबंधको द्वारा संबंधित मिलरो से उक्त प्रपत्र में डीड ऑफ़ अग्रीमेंट एवं डीड ऑफ़ pledge कराया गया जो अवलोकन से प्रमाणित होगा कि निगम द्वारा दिए गए प्रपत्र का अक्षरश: पालन किया गया |

पत्रांक 9914 दिनांक 29.12.2012 एवं
पत्रांक 435 दिनांक 13.01.2014 की
प्रति संलग्न | (अनु०- 4एवं 5)

iii. प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा भी पत्र संख्या 1049 दिनांक 02.02.2013 द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया था मिलिंग क्षमता के अनुरूप मिलर को बैंक गारंटी / बैंक ड्राफ्ट / जमीन जायदाद का एसेट्स 100/- रूपये के स्टाम्प पर लेकर धान उपलब्ध कराएँगे |

पत्र संख्या 1049 दिनांक 02.02.2013
की प्रति संलग्न | (अनु०- 6)

iv. सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह हैं कि उक्त डीड ऑफ़ अग्रीमेंट एंड डीड ऑफ़ pledge को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा गलत नहीं माना गया हैं |

v. तत्कालीन जिला प्रबंधको पर निगम के आरोप का एक मुख्य आधार मिलर द्वारा जमा डीड ऑफ़ pledge को रजिस्टर्ड नहीं कराना हैं |

प्रासंगिक हैं कि निगम / सरकार द्वारा निर्गत किसी भी आदेश में डीड ऑफ़ pledge रजिस्टर्ड कराने का कोई निर्देश नहीं था बल्कि मुख्य सचिव / प्रबंध निदेशक स्तर से स्पष्ट आदेश था कि डीड ऑफ़ अग्रीमेंट एवं डीड ऑफ़ pledge 100/- रुपया के नान जुडिशल स्टाम्प पर कराया जाय साथ ही विभाग द्वारा दिए प्रपत्र में भी 100/- रूपये के नॉन जुडिशल स्टाम्प पर ही कराने का उल्लेख हैं |

vi. प्रासंगिक हैं कि धान अधिप्राप्ति वर्ष2012-13 एवं 2013-14 में विभाग /निगम द्वारा निर्गत स्पष्ट निर्देश एवं निर्धारित प्रक्रिया जिसमे निगम द्वारा डीड ऑफ़ pledge और डीड ऑफ़ अग्रीमेंट का प्रपत्र भेजा गया था के अंतर्गत निर्देशानुसार 100/- रुपया के नॉन जुडिशल स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा एवं pledging का क्रियानवयन निगम द्वारा विहित प्रपत्र में कराया गया था |

उल्लेखनीय हैं कि मिलर से एकरारनामा के पश्चात एकरारनामा की प्रति एवं डीड ऑफ़ pledge की प्रति संबंधित कागजातों के साथ निर्देशानुसार निगम मुख्यालय को भेजी जाती थी | विनम्रतापूर्वक महोदय का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहना हैं कि लगभग 8 वर्षो तक निगम द्वारा उक्त डीड ऑफ़ pledge और डीड ऑफ़ अग्रीमेंट में किसी प्रकार की त्रुटी होने आदि के संबंध में किसी भी प्रकार की प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गयी और ना ही उस संबंध में पृच्छा की गयी और अब लगभग 8 वर्षो बाद अपने द्वारा दिए गए प्रपत्र में कमी निकाल कर उसका जिम्मेदार जिला प्रबंधको का ठहराना कहाँ तक न्यायोचित हैं, विचार करने की कृपा करे |

उक्त परिस्थिति में अगर डीड ऑफ़ अग्रीमेंट एवं डीड ऑफ़ pledge नियमानुकूल नहीं हैं तो निश्चित तौर पर इसके लिए निगम एवं आदेश निर्गत करने वाले पदाधिकारी दोषी हैं |

vii. लगभग सभी जिलो में एकरारनामा एवं pledge की एक समान प्रक्रिया अपनायी जाती रही और उसके अंतर्गत राज्य में अधिकांश एकरारनामित मिलरो द्वारा लगभग शत प्रतिशत CMR जमा कर दिया गया तथा जिन बचे हुए मिलर द्वारा पूरा CMR जमा नहीं किया गया उनके विरुद्ध एकरारनामा के शर्तो के उल्लंघन के आरोप में बकायदा नीलामवाद एवं फौजदारी वाद दायर किये गए थे |

उपरोक्त तथ्यों के आलावा भवदीय के विचारानार्थ कुछ विचारनीय तथ्य समर्पित हैं जो निम्नलिखित हैं :-

चूँकि राज्य के सभी जिला प्रबंधको द्वारा निगम / विभाग के दिशा निर्देश का अक्षरश: पालन किया गया एवं निगम / विभाग द्वारा दिए डीड ऑफ़ अग्रीमेंट एवं डीड ऑफ़ pledge के विहित प्रपत्र में ही एकरारनामा एवं pledge की कारवाई की गयी इसलिए सभी तत्कालीन जिला प्रबंधको पर लगभग एक समान आरोप लगाया गया हैं |

तो क्या राज्य के तत्कालीन सभी जिला प्रबंधको द्वारा एक साथ एक ही तरह की चुक होना व्यवहारिक रूप से सम्भव हैं ?

क्या उक्त चुक के लिए निगम / विभाग के वरीय पदाधिकारी जिनके द्वारा प्रत्येक वर्ष नीति / दिशा निर्देश दिया गया वो जिम्मेवार नहीं हैं |

विभाग / निगम के वरीय पदाधिकारी आधारभूत संरचना की कमी रहते हुए भी लिखित एवं VC के माध्यम से दबाव देते हुए मिलरो को धान दिलवाने के लिए जिम्मेवार नहीं हैं |

नीलामवाद की प्रक्रिया को अब तक अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुचाने हेतु कौन जिम्मेवार हैं जिन्हें चिन्हित नहीं किया गया हैं |

जहाँ तक राजस्व के क्षति का आरोप हैं उस संबंध में विनम्रता पूर्वक कहना हैं कि इसके लिए जिला प्रबंधक बिलकुल भी जिम्मेवार नहीं हैं बल्कि इसके लिए चक्रीय व्यवस्था को तोड़कर दबाव देकर मिलरो को धान दिलाने हेतु सख्त निर्देश देने वाले -नीति निर्धारण करने, डीड ऑफ़ pledge और डीड ऑफ़ अग्रीमेंट का प्रारूप बनाने वाले बिहार राज्य खाद्य निगम, खाद्य आपूर्ति विभाग के पदाधिकारी पूर्ण रूप से जिम्मेवार हैं, जिसकी पुष्टि निम्न तथ्यों से प्रमाणित होती हैं :-

i. उल्लेखनीय हैं कि मुख्यालय स्तर से निर्गत विभिन आदेशो से स्पष्ट हैं कि मिलरो को धान देना एवं उनके द्वारा CMR जमा करवाना तथा पुन: धान

देने की चक्रीय व्यवस्था पूर्व से निर्धारित थी | लेकिन गलत नीति के कारण एवं जिला स्तर पर मौजूद भण्डारण एवं मिलिंग क्षमता की कमी, FCI द्वारा समय पर CMR नहीं लेना, पर्याप्त पदाधिकारियों/कर्मियों की कमी इत्यादि व्यवधानों/समस्याओ से पूर्णरूपेण अवगत रहने के बावजूद भी धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य अचानक तीन गुना बढाया जाना और फिर जिला प्रबंधको पर सख्त लिखित निर्देश / चेतावनी के माध्यम से दबाव बनाकर C.M.R प्राप्त नहीं होनें पर भी मिलरो को धान दिलवाने के कारण चक्रिय व्यवस्था का टूटना राजस्व क्षति का मूल कारण हैं |

मुख्य सचिव का पत्रांक– 3390 दिनांक–31.05.2013 एवं प्रबंध निदेशक का पत्रांक– 5985 दिनांक–17.07.2013, पत्रांक–9064, दिनांक– 05.10.2013 एवं पत्रांक– 10176 दिनांक–16.11.2013 तथा प्रमुख अधिप्राप्ति के पत्रांक –4571 दिनांक–31.05.2013 की प्रति अवलोकनाथ संलग्न है। साथ ही अन्य पत्र 4901 दिनांक– 14.06.2013, 5182 दिनांक– 20.06.2013, 5812 दिनांक– 11.07.2013, 6097 दिनांक– 20.07.2013 एवं 6294 दिनांक– 26.07.2013 तथा 8689 दिनांक– 27.09.2013 अवलोकनार्थ संलग्न है। (अनु0–07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एवं 17)

ii. मिलरो द्वारा CMR जमा नहीं करने पर उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने एवं निलामवाद दर्ज कराने के पश्चात रिकवरी हेतु कोई अपेक्षित कारवाई नहीं की गयी, जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निगम को स्पष्ट कहा गया कि संबंधित मिलरो से राजस्व वसूली हेतु निलाम प्रक्रिया किया जाय इसके बावजूद मिलरो के विरुद्ध दर्ज नीलामवाद प्रक्रिया को अंजाम तक नहीं पहुचाया गया जिसके कारण वसूली नहीं हो सकी | .

iii. उल्लेखनीय हैं कि अगर किसी एकरारनामा में आर्बिट्रेशन का क्लॉज़ हैं तो उस एकरारनामा का उल्लंधन होने पर आर्बिट्रेशन के प्रावधानों के तहत एकरारनामा का अक्षरश: पालन कराया जाना प्रावधानित है | मिलरो के साथ किये गए एकरारनामा में भी आर्बिट्रेशन का क्लॉज़ हैं वैसी परिस्थिति में निगम द्वारा मिलरो के विरुद्ध आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया के तहत वसूली के लिए निष्पादन कराया जाना चाहिए था | इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SLP Case No. 450/18 में दिनांक-29.01.2018 को पारित आदेश में आर्बिट्रेशन की कारवाई कराने का आदेश दिया गया था |

SLP Case No. 450/18 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.01.2018 की प्रति संलग्न | (अनु०-18)

iv. महोदय, सभी डिफाल्टर मिलर द्वारा अपने जमानत याचिका में यह स्वीकार किया हैं कि उन्होने निर्धारित मात्रा में धान प्राप्त किया हैं ऐसी स्थिति में निलामवाद एवं आर्बिट्रेशन प्रक्रिया में सरकार का पक्ष स्वत: मजबूत हो जाता हैं, इसके बावजूद निगम द्वारा संबंधित मिलरो से राशि वसूल करने की प्रक्रिया ना अपना कर केवल तत्कालीन जिला प्रबंधको जो विषम परिस्थिति में कार्य सम्पादित किये है के विरुद्ध आरोप लगाया जा रहा हैं जिससे मिलरो को अपरोक्ष रूप से लाभ मिलेगा |

महोदय, उपरोक्त तथ्यों के आलोक में निवेदन पूर्वक कहना हैं कि राज्य खाद्य निगम को मिलरो द्वारा जमा किये गए बैंक गारंटी को encash करवाने, मिलरो के विरुद्ध आर्बिट्रेशन proceeding चलाने एवं निलामवाद प्रक्रिया पूर्ण कराने हेतु सरकार के स्तर से निर्देशित करने की कृपा की जाय ताकि राशि की वसूली हो सके एवं तत्कालीन जिला प्रबंधको को जिसमे कुछ सेवानिवृत हो चुके हैं के विरुद्ध निगम द्वारा गठित आरोप से मुक्त करने की कृपा की जाए |

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट हैं कि

i. माननीय सर्वोच्च न्यायालय व पटना उच्च न्यायालय द्वारा कोई भी आदेश/ न्यायादेश तत्कालीन जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम के विरुद्ध पारित नहीं की गयी हैं व न ही उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की liability ही निर्धारित करने को कहा गया हैं |

ii. तत्कालीन सभी जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम ने केवल अपने सरकारी कर्तव्यों / ड्यूटी का निदेशानुसार पालन करते हुए धान अधिप्राप्ति हेतु मिलरो से एग्रीमेंट एक्सीक्यूट किया हैं व निर्देशानुसार ही डीड ऑफ़ pledge का क्रियान्वयन किया हैं | इस संबंध में प्रत्येक कार्यवाही वरीय पदाधिकारियों के द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों एवं supervision के तहत ही किया गया हैं | अधिप्राप्ति करने में सरकार के सभी बड़े पदाधिकारी एवं जिला प्रशासन के सभी बड़े / छोटे पदाधिकारी involve थे | अत: इसके क्रियान्वयन में सभी की भूमिका रही हैं |

iii. तत्कालीन सभी जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम ने मिलरो से एग्रीमेंट एक्सीक्यूट कर न ही बिहार राज्य खाद्य निगम को किसी भी तरह क्षति पहुचायी हैं और न ही किसी तरह का व्यक्तिगत लाभ किया हैं | अत: उनपर कोई liability निर्धारित करने का प्रश्न ही नहीं हैं | एकरारनामा के तहत मिलरो से क्षति की वसूली आर्बिट्रेशन एक्ट एवं PDR एक्ट के तहत की जा सकती हैं | बिना मिलरों के संपत्ति के ऑक्शन की प्रक्रिया को लीगली conclude कराये तथा बिना आर्बिट्रेशन केसेस एवं सर्टिफिकेट केसेस को लॉजिकल एंड तक पहुचाये बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा क्षति मान लेना स्वीकार योग्य नहीं हैं |

iv. तत्कालीन जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम अग्रीमेंट में प्रथम पक्ष हैं एवं एग्रीमेंट के तहत उनपर कोई दारोमदारी नहीं हैं बल्कि सर्वथा मिलर जो कि द्वितीय पक्ष हैं उसकी दारोमदारी बनती हैं एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के सभी आदेश मिलरो के विरुद्ध हैं।

अत: बिहार राज्य खाद्य निगम का पत्रांक 7937 दिनांक 19.11.2021 एवं तत्पश्चात निगम द्वारा जिला प्रबंधकों के विरूद्व लगाये गये आरोप सर्वथा न्यायसंगत नहीं हैं एवं उपरोक्त तथ्यों के आलोक में समीक्षा कर अग्रेतर कार्यवाही करना ही विधि सम्मत प्रतीत होता हैं।

उक्त के आलोक में बि.प्र.से. के तत्कालीन जिला प्रबंधको को सभी आरोपों से मुक्त करने हेतु संबंधित प्राधिकार को दिशा निर्देश देने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(सुनील कुमार तिवारी)
महासचिव

(शशांक शेखर सिन्हा)
अध्यक्ष

iv. तत्कालीन जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम अग्रीमेंट में प्रथम पक्ष हैं एवं एग्रीमेंट के तहत उनपर कोई दारोमदारी नहीं हैं बल्कि सर्वथा मिलर जो कि द्वितीय पक्ष हैं उसकी दारोमदारी बनती हैं एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के सभी आदेश मिलरो के विरुद्ध हैं।

अत: बिहार राज्य खाद्य निगम का पत्रांक 7937 दिनांक 19.11.2021 एवं तत्पश्चात निगम द्वारा जिला प्रबंधकों के विरूद्व लगाये गये आरोप सर्वथा न्यायसंगत नहीं हैं एवं उपरोक्त तथ्यों के आलोक में समीक्षा कर अग्रेतर कार्यवाही करना ही विधि सम्मत प्रतीत होता हैं।

उक्त के आलोक में बि.प्र.से. के तत्कालीन जिला प्रबंधको को सभी आरोपों से मुक्त करने हेतु संबंधित प्राधिकार को दिशा निर्देश देने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(सुनील कुमार तिवारी)
महासचिव

ह0/-

(शशांक शेखर सिन्हा)
अध्यक्ष

ज्ञापांक– 02

दिनांक– 08/01/2023

प्रतिलिपिः–सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(08/01/23)

(सुनील कुमार तिवारी)
महासचिव

अनु०- 1



ITEM NO.16+18 COURT NO.12 SECTION IIA

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS

Petition(s) for Special Leave to Appeal (Crl.) No(s). 1779/2016
(Arising out of impugned final judgment and order dated 14/09/2015 in CRLMN No. 31117/2015 passed by the High Court of Patna)

STATE OF BIHAR Petitioner(s)

VERSUS

DIVESH KUMAR CHAUDHARY & ANR. Respondent(s)
(with appln. (s) for seeking permission to raise additional grounds)

WITH
SLP(Crl) No. 3036/2016
(With appln.(s) for exemption from filing O.T. and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order)

SLP(Crl) No. 3038/2016
(With appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 3040/2016
(With appln.(s) for exemption from filing O.T. and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and Office Report)

SLP(Crl) No. 3041/2016
(With appln.(s) for exemption from filing O.T. and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and Office Report)

SLP(Crl) No. 3042/2016
(With appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 3043/2016
(With (With appln.(s) for exemption from filing O.T. and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and Office Report)

SLP(Crl) No. 3044/2016
(With appln.(s) for exemption from filing O.T. and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and Office Report)

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2017.03.01
15:32:10 IST
Reason:

SLP(Crl) No. 3046/2016
(With appln.(s) for exemption from filing O.T. and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and Office Report)

SLP(Crl) No. 3048/2016
(With appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 3049/2016
(With appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 3035/2016
(With appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for permission to place addl. documents on record and appln.(s) for exemption from filing O.T. and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9618/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9807/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9804/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9802/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9803/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9712/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned judgment and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9628/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9686/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for

exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9811/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned judgment and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9799/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9752/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9749/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9648/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9708/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned judgment and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9786/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned judgment and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9650/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9709/2016
(With appln.(s) for exemption from filing O.T. and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9680/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9609/2016
(With (With (With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9759/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9724/2016
(With (With (With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned judgment and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9750/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9739/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9801/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9720/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9761/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9758/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9782/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned judgment and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9740/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for

exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9613/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9741/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9727/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned judgment and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9640/2016
(With (With (With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9706/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned judgment and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9779/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9723/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned judgment and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9691/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9756/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9809/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned judgment and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9731/2016

(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9692/2016
(With (With (With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9659/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9663/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9796/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9753/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9790/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9710/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned judgment and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9776/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned judgment and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9644/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9665/2016
(With appln.(s) for vacating stay and appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and

Office Report)

SLP(Crl) No. 9660/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9610/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9694/2016
(With appln.(s) for exemption from filing O.T. and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9791/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned judgment and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9695/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9612/2016
(With appln.(s) for exemption from filing O.T. and appln.(s) for vacating stay and appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9679/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9705/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9693/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9645/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9649/2016
(With (With (With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9766/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9698/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9715/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned judgment and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9742/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9685/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9732/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9781/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9812/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned judgment and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9631/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9684/2016

(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9641/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9754/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9729/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9772/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9713/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned judgment and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9646/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9714/2016
(With (appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9734/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9757/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9687/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9716/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned judgment and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9755/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9794/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned judgment and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9798/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9642/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9730/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned judgment and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9764/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9777/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9795/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9737/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9658/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for

exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9688/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9733/2016
(With (With (With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9697/2016
(With (With (With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9738/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9743/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9797/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9662/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9744/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9639/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9778/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned judgment and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9657/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9689/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9711/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9726/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9763/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9626/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9611/2016
(With (With (With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9748/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9677/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9745/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9808/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for

exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9683/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9780/2016
(With (With (With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 9728/2016
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)

SLP(Crl) No. 1222/2017
(With appln.(s) for exemption from filing O.T. and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl) No. 1224/2017
(With appln.(s) for exemption from filing O.T. and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl) No. 1225/2017
(With appln.(s) for exemption from filing O.T. and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl) No. 1227/2017
(With appln.(s) for exemption from filing O.T. and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl) No. 1228/2017
(With appln.(s) for exemption from filing O.T. and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for c/delay in refiling SLP and appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl) No. 1232/2017
(With appln.(s) for exemption from filing O.T. and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for c/delay in refiling SLP and appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl) No. 1233/2017
(With appln.(s) for exemption from filing O.T. and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for c/delay in refiling SLP and appln.(s) for c/delay in filing SLP and

Office Report)

SLP(Crl) No. 1235/2017
(With appln.(s) for exemption from filing O.T. and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for c/delay in refiling SLP and appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl) No. 1237/2017
(With appln.(s) for exemption from filing O.T. and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for c/delay in refiling SLP and appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl) No. 1238/2017
(With appln.(s) for exemption from filing O.T. and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for c/delay in refiling SLP and appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl) No. 1239/2017
(With appln.(s) for exemption from filing O.T. and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for c/delay in refiling SLP and appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl) No. 1240/2017
(With appln.(s) for exemption from filing O.T. and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for c/delay in refiling SLP and appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl) No. 1241/2017
(With appln.(s) for exemption from filing O.T. and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for c/delay in refiling SLP and appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl) No. 1242/2017
(With appln.(s) for exemption from filing O.T. and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for c/delay in refiling SLP and appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl) No. 1243/2017
(With appln.(s) for exemption from filing O.T. and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for c/delay in refiling SLP and appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl) No. 1244/2017
(With appln.(s) for exemption from filing O.T. and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for

c/delay in refiling SLP and appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl) No. 1247/2017
(Withappln.(s) for exemption from filing O.T. and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for c/delay in refiling SLP and appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl) No. 1248/2017
(With appln.(s) for exemption from filing O.T. and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for c/delay in refiling SLP and appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl) No. 1249/2017
(With appln.(s) for exemption from filing O.T. and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl) No. 1251/2017
(With appln.(s) for exemption from filing O.T. and appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl) No. 1252/2017
(With (With appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and appln.(s) for c/delay in refiling SLP and appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl) No. 1253/2017
(With (With appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and appln.(s) for c/delay in refiling SLP and appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl) No. 621/2017
(With Office Report)

SLP(Crl) No. 622/2017
(With Office Report)

SLP(Crl) No. 625/2017
(With appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and Office Report)

SLP(Crl) No. 626/2017
(With Office Report)

SLP(Crl) No. 627/2017
(With Office Report)

SLP(Crl) No. 628/2017
(With appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and Office Report)

SLP(Crl) No. 629/2017
(With appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and Office Report)

SLP(Crl) No. 630/2017
(With appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and Office Report)

SLP(Crl) No. 631/2017
(With appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and Office Report)

SLP(Crl) No. 632/2017
(With appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and Office Report)

SLP(Crl) No. 633/2017
(With appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and Office Report)

SLP(Crl) No. 634/2017
(With appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and Office Report)

SLP(Crl) No. 635/2017
(With appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and Office Report)

SLP(Crl) No. 636/2017
(With appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and Office Report)

SLP(Crl) No. 637/2017
(With appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and Office Report)

SLP(Crl) No. 638/2017
(With appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and Office Report)

SLP(Crl) No. 639/2017
(With appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and Office Report)

SLP(Crl) No. 640/2017
(With appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and Office Report)

SLP(Crl) No. 642/2017

(With appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and Office Report)

SLP(Crl) No. 766/2017
(With appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 1062/2017
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 1064/2017
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 1076/2017
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 1082/2017
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 1084/2017
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 1097/2017
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 1184/2017
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 1231/2017
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 1236/2017
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 1305/2017
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 1306/2017
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 1317/2017
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 1587/2017
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 1595/2017
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 1597/2017
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 1599/2017

(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 1609/2017
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 1613/2017
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 1614/2017
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 1619/2017
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 1621/2017
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 1642/2017
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 1645/2017
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 1643/2017
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 1646/2017
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 1661/2017
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 1702/2017
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 1718/2017
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 1726/2017
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 1774/2017
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 1787/2017
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 1791/2017
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 1802/2017
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 1806/2017
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 1812/2017
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 1811/2017
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 1816/2017
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 1819/2017
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 1839/2017
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 1860/2017
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 1861/2017
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 1868/2017
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 1870/2017
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 1872/2017
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 1871/2017
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 1905/2017
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 1924/2017
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 1938/2017
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 1936/2017
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 1943/2017
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 1946/2017
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 1970/2017
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 1974/2017
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 1979/2017
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 1980/2017
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 1983/2017
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 2018/2017
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 1056/2017
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 2107/2017
(With appln.(s) for permission to file SLP and Office Report)

SLP(Crl) No. 591/2017
(With appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and appln.(s) for c/delay in refiling SLP and appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl) No. 149/2017
(With appln.(s) for exemption from filing c/c of the impugned order and appln.(s) for exemption from filing O.T. and appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 2439/2017
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 2477/2017
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 2539/2017
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 2554/2017
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 1586/2017
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 2102/2017
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 2404/2017
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 1644/2017
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

SLP(Crl.)...CRLMP No. 1688/2017
(With appln.(s) for c/delay in filing SLP and Office Report)

Date : 28/02/2017 These petitions were called on for hearing today.

CORAM :
HON'BLE MR. JUSTICE ADARSH KUMAR GOEL
HON'BLE MR. JUSTICE UDAY UMESH LALIT

For Petitioner(s) Mr. Sidharth Luthra,Sr.Adv.
Mr. Gopal Singh,Adv.
Mr. Manish Kumar,Adv.
Mr. Rituraj Biswas,Adv.
Mr. Shivam Singh,Adv.
Mr. Aditya Raina,Adv.
Mr. Shreyas Jain,Adv.
Ms. Varsha Poddar,Adv.
Mr. Kumar Milind,Adv.
Mr. Advitiya Awasthi,Adv.
Mr. Vikram Singh Chauhan,Adv.

For Respondent(s) Mr. Amrendra Saran,Sr.Adv.
Mr. Devashish Bharuka,Adv.
Mr. Ravi Bharuka,Adv.

Mr. Nagendra Rai,Sr.Adv.
Mr. Prateek Kumar,Adv.
Mr. Prashant Kumar,Adv.
Mr. Shashank Saurabh,Adv.
Mr. Shantanu Sagar,Adv.
Mr. Anmol,Adv.

Mr. Raju Ramachandran,Sr.Adv.
Mr. Sumeet Kumar Singh,Adv.
Mr. Gopal Jha,Adv.
Ms. Snehil Sonam,Adv.
Mr. Krishna Kant Dubey,Adv.
Mr. Gautam Singh, Adv.
Ms. Isha Singh,Adv.
Mr. Vivek Vardhan,Adv.

Mr. Jitendra Mohan Sharma,Sr.Adv.
Mr. Sumeet Kumar Singh,Adv.
Mr. Rohit K. Singh,Adv.
Mr. Gautam Singh,Adv.

Ms. Snehil Sonam,Adv.

Mr. S. Hegde,Sr.Adv.
Mr. Sameer Kumar,Adv.
Mr. Aditya Shankar,Adv.
Mr. Anshuman Ashok,Adv.

Mr. Varinder Kumar Sharma,Adv.
Mr. Yugal Kishor Prasad,Adv.
Mrs.Parul Sharma,Adv.
Mr. P.N. Singh,Adv.
Ms. Suman Rani,Adv.

Mr. Harshvardhan Jha,Adv.
Mr. Garvesh Kabra,Adv.
Ms. Yugandhara Jha,Adv.
Mr. Abhishek Chaudhary,Adv.

Mr. Amit K. Nain,Adv.
Mr. Rajiv Kumar Sinha,Adv.

Ms. Abha R. Sharma,Adv.
Mr. Dhirendra Parmar,Adv.
Mr. Susheet Tomar,Adv.
Ms. Sujeeta Srivastava,Adv.
Ms. Kavita Sharma,Adv.

Mr. Kundan Kumar Mishra,Adv.

Mr. Gaurav Agrawal,Adv.

Mr. Subhro Sanyal,Adv.

Mr. Rajiv Shankar Dvivedi,Adv.

Mr. Anil K. Jha,Adv.
Mr. S.K. Divakar,Adv.
Ms. Priyanka Tyagi,Adv.

Mr. S.K. Roshan,Adv.
Mr. D. K. Devesh,Adv.

Mr. Brajesh Kumar,Adv.
Mr. A.P. Sinha,Adv.

Mr. Sarvesh Singh,Adv.
Mr. Herinder Kaur Brar,Adv.

Mr. K.M. Mishra,Adv.
Mr. Subodh K. Pathak,Adv.
Mr. Pawan Kumar Sharma,Adv.
Mr. D.K. Sinha,Adv.

Mr. Sanjay Kumar Dubey,Adv.
Mr. Rakesh Kumar Tewari,Adv.
Ms. Shuchi Singh,Adv.
Mr. Krishan Kant Dubey,Adv.
Mr. Upendra N.Mishra,Adv.
Mr. C.K. Pandey,Adv.
Ms. Shashi Ranjan,Adv.
Mr. Devendra Kumar Shukla,Adv.
Mr. Chandan Kumar Pandey,Adv.
Mr. Shyamal Kumar,Adv.

Mr. Purushottam Sharma Tripathi,Adv.
Mr. Ravi Chandra Prakash,Adv.
Mr. Mukesh Kumar Singh,Adv.
Mr. Ranbir Singh Chailler,Adv.
Mr. Narendra Kumar Goyal,Adv.

Mr. Rajeev Singh,Adv.
Mr. Prakash Kr.Singh,Adv.

Mr. Neeraj Shekhar,Adv.
Mr. Animesh Kumar,Adv.
Mr. Rana Prashant,Adv.
Mr. Nitesh Ranjan,Adv.

Mr. Anshul Narayan,Adv.
Ms. Rashmi,Adv.

Mr. Smarhar Singh,Adv.

Mr. Devesh Kumar Tripathi,Adv.

Mr. Shishir Pinaki,Adv.
Mr. Rajiv Kumar Sinha,Adv.

Mr. Atul Jha,Adv.
Mr. Sandeep Kumar Jha,Adv.

Mr. Manish Kumar Saran,Adv.

Mr. Chandan Kumar,Adv.
Mr. Chandra Prakash,Adv.

Mr. Ajay Kumar Singh,Adv.
Mr. Prakash Gautam,Adv.
Mr. Sujeet Kr.Singh,Adv.

Mr. Anil Grover, Adv.
Mr. Rakesh Kumar, Adv.
Mr. Satish Kumar, Adv.
Mr. Sanjay Kumar Visen, Adv.

Mr. Ranjan Kumar,Adv.
Mr. Dhananjay Kumar,Adv.

Mr. Amit Pawan,Adv.

Mr. Prem Prakash,Adv.

UPON hearing the counsel the Court made the following

O R D E R

Heard.

Permission granted.

Delay condoned.

These petitions have been preferred by the State of Bihar/Bihar State Food Civil Supplies Corporation against orders granting anticipatory bail/bail, in connection with cases, the facts of which are identical.

It has been stated by Mr. Siddharth Luthra, learned senior counsel appearing for the State/Corporation, that a sum of Rupees fifteen hundred crores in all has been allegedly misappropriated by the accused for which 600 FIRs have been filed. According to the case of the State, agreements for milling of paddy were entered into with different rice mills in pursuance of which paddy was handed over for milling but the rice from the milled paddy was not returned or was returned partly. Thus, there is misappropriation to a huge extent. In such circumstances, grant of anticipatory bail/bail will seriously hamper the investigation/trial resulting in huge loss to the State.

Our attention has been drawn to the Deed of Agreement. Clause 3 thereof provides for furnishing of bank guarantee for

the value of paddy, which is taken for milling, or for pledging of the immovable property of the value of the paddy. There is also provision in clause 12 that in case of default of terms of agreement the bank guarantee can be forfeited and legal action initiated for recovery of the amount from the mortgaged immovable property.

The High Court has passed an order for deposit of 10 to 20 % of the amount, alleged to be involved in different cases for grant of bail/anticipatory bail..

Since the anticipatory bail/bail was granted more than one year back and financial interest of the State is or can be secured, we are not inclined to cancel the anticipatory bail/bail but modify the order of granting of anticipatory bail/bail conditional adding conditions as follows:

(1) The accused in all the FIR(s), will ensure that bank guarantee, if not furnished, is furnished and if lapsed, is renewed within a period of one month from today failing which the anticipatory bail/bail granted will stand cancelled.

(2) The accused will cooperate with investigation/trial and their failure to appear, when required, will be a ground for cancellation of anticipatory bail/bail. An order of cancellation will be passed by the trial court on being satisfied about such failure.

(3) The investigation will be completed within a period of three months.

(4) All the accused will be tried only at five places viz. Patna, Gaya, Chhapra, Darbhanga and Purnia by officers of the

appropriate rank determined by the High Court within one week from today. The High Court may specify the area of jurisdiction of the said five courts by a public order. If required by the High Court, the State Government may sanction extra strength of officers with requisite infrastructure so that normal work of courts is not disturbed on account of the special arrangement for these cases.

(5) The officers posted will deal with these cases exclusively. If free from their work, any other work may be assigned to the said officers.

(6) The concerned authorities will be at liberty to encash the bank guarantee(s) after holding that there is a breach of terms of the agreement which decision will be subject to appropriate remedies of the parties.

(7) If not otherwise encashed, the bank guarantee will be kept alive till the trial is over. However, deposits/furnishing of bank guarantees will be abide by further orders of the trial court, interim or final.

(8) If any amount is deposited by the accused, the said amount will be adjusted in the amount of the bank guarantee, which is to be furnished by the accused.

(9) The accused will surrender their passports to the respective courts within a period of four weeks from today and will not leave the country without prior permission from the concerned court.

On compliance of the above order, if any accused is in custody, he will be granted bail in accordance with law.

Any other proceedings between the parties will remain unaffected by this order and the same can proceed in accordance with law.

The trial court/High Court will be at liberty to pass any further order which it considers appropriate, having regard to the individual fact situation or modify the above directions in exigencies of the situation.

The special leave petitions are disposed of accordingly.

Pending applications, if any, shall also stand disposed of.

(MAHABIR SINGH)
COURT MASTER

(VEENA KHERA)
COURT MASTER

अनु०-2



**NON -REPORTABLE**

IN THE SUPREME COURT OF INDIA

CRIMINAL APPELLATE JURISDICTION

CRIMINAL APPEAL NO. 998 OF 2018 @
(SPECIAL LEAVE PETITION (CRL.) NO.9196 OF 2017)

Arvind Tiwary

.....Appellant

Versus

State of Bihar and Another

.....Respondents

With

Criminal Appeal No.996 of 2018 @
(Special Leave Petition (Crl.) No.9029 of 2017)

Criminal Appeal No.997 of 2018 @
(Special Leave Petition (Crl.) No.9043 of 2017)

Criminal Appeal No.999 of 2018 @
(Special Leave Petition (Crl.) No.9246 of 2017)

Criminal Appeal No.1026 of 2018 @
(Special Leave Petition (Crl.) No.9334 of 2017)

Criminal Appeal No.1019 of 2018 @
(Special Leave Petition (Crl.) No.9312 of 2017)

Criminal Appeal No.1020 of 2018 @
(Special Leave Petition (Crl.) No. 9409 of 2017)

Signature Not Verified
Digitally signed by
ANITA MALHOTRA
Date: 2018.06.13
17:49:39 IST
Reason:

Criminal Appeal No.1021 of 2018 @
(Special Leave Petition (Crl.) No.9405 of 2017)

Criminal Appeal No.1022 of 2018 @
(Special Leave Petition (Crl.) No.9406 of 2017)

Criminal Appeal No.1000 of 2018 @
(Special Leave Petition (Crl.) No.9904 of 2017)

Criminal Appeal No.1001 of 2018 @
(Special Leave Petition (Crl.) No.9664 of 2017)

Criminal Appeal No.1002 of 2018 @
(Special Leave Petition (Crl.) No.1283 of 2018)

Criminal Appeal No.1003 of 2018 @
(Special Leave Petition (Crl.) No.1238 of 2018)

Criminal Appeal No.1004 of 2018 @
(Special Leave Petition (Crl.) No.1192 of 2018)

Criminal Appeal No.1023 of 2018 @
(Special Leave Petition (Crl.) No.1252 of 2018)

Criminal Appeal No.1024 of 2018 @
(Special Leave Petition (Crl.) No.1286 of 2018)

Criminal Appeal No.1025 of 2018 @
(Special Leave Petition (Crl.) No.1239 of 2018)

Criminal Appeal No.1005 of 2018 @
(Special Leave Petition (Crl.) No.1327 of 2018)

Criminal Appeal No.1006 of 2018 @
(Special Leave Petition (Crl.) No.1568 of 2018)

Criminal Appeal No.1007 of 2018 @
(Special Leave Petition (Crl.) No.2966 of 2018)

Criminal Appeal No.1008 of 2018 @
(Special Leave Petition (Crl.) No.3107 of 2018)

Criminal Appeal No.1009 of 2018 @
(Special Leave Petition (Crl.) No.3087 of 2018)

Criminal Appeal No.1010 of 2018 @
(Special Leave Petition (Crl.) No.3064 of 2018)

Criminal Appeal No.1011 of 2018 @
(Special Leave Petition (Crl.) No.3041 of 2018)

Criminal Appeal No.1012 of 2018 @
(Special Leave Petition (Crl.) No.3238 of 2018)

Criminal Appeal No.1013 of 2018 @
(Special Leave Petition (Crl.) No.3814 of 2018)

Criminal Appeal No.1014 of 2018 @
(Special Leave Petition (Crl.) No.4116 of 2018)

Criminal Appeal No.1015 of 2018 @
(Special Leave Petition (Crl.) No.5128 of 2018)

Criminal Appeal No. 1017 of 2018 @
(Special Leave Petition (Crl.)No.6707 of 2018 (D.No.25551/2018)

Criminal Appeal No.1016 of 2018 @
(Special Leave Petition (Crl.) No.5870 of 2018)

**JUDGMENT**

**Uday Umesh Lalit, J.**

Leave granted in all the matters.

2. Since similar questions arise in all these matters, they are being disposed of by this common Judgment. The matters can be broadly classified in three categories. We have taken Criminal Appeal arising from Special Leave Petition (Crl.) No.9196 of 2017, Criminal Appeal arising from Special

Leave Petition (Crl.) No.9029 of 2017 and Criminal Appeal arising from Special Leave Petition (Crl.) No.9409 of 2017 to be the lead matters representing each of those three categories. The facts leading to the filing of said appeals are set out in detail hereunder:-

**A. <u>Criminal Appeal @ SLP(Crl) No.9196 of 2017</u>**

3. Under an agreement dated 29.03.2014 entered into between the appellant and Bihar State Food and Civil Supplies Corporation Ltd. (hereinafter referred to as "the Corporation") the appellant undertook to mill paddy procured from District Office of the Corporation as per terms and conditions mentioned in the agreement. Clause 2 of the agreement was as under:

> "That the Second Party with a monthly milling capacity of 400 MT of paddy shall furnish a bank guarantee equivalent to the value of paddy issued to him by the First Party for milling in the current procurement season and in case, he is issued an additional quantity of paddy for milling he shall to furnish an additional bank guarantee equivalent to the value of the amount of the additional paddy issued to him by the First Party. In case he is not capable of furnishing the above mentioned bank guarantee(s), he shall pledge unencumbered immovable property belonging to him in the name of District Manager, Kaimur of the same amount or more, as certified by the competent authority Circle Officer/Sub-Divisional Officer. In the prescribed manner, for the entire value of paddy as per his milling capacity. However it will be mandatory for the

Second Party to provide a minimum bank guarantee as per the milling capacity enumerated in the table below:

| Sl.No. | Milling Capacity | Minimum Manadtory Bank Guarantee |
|---|---|---|
| 1 | UP to 2 MT per hour | Rs.5 lakh |
| 2 | More than 2 MT and upto 5 MT per hour | Rs.10 lakh |
| 3 | More than 5 MT per hour | |

The said bank guarantee of Rs. Five Lakh Rupees (amount in words) issued in favour of the District Manager, Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd., Kaimur vide Serial No. at BG No.2696IG-002214 issued by P.N.B. Bank Akerhi Branch Mohania, Kaimur District has been submitted by the Second Party."

4. The appellant had thus undertaken to furnish bank guarantee equivalent to the value of paddy issued to him. As per the concerned clause, in case the appellant was unable to furnish such bank guarantee, he could pledge unencumbered immovable property belonging to him in favour of the Corporation for the equivalent sum. In addition it was mandatory for the appellant to provide a minimum bank guarantee as per the milling capacity. Accordingly a bank guarantee on that count in the sum of Rupees Five Lakhs was furnished.

5. The procurement season in terms of the aforesaid agreement was 2013-14. However, it is the case of the Corporation that though the

appellant was supplied 6000 quintals of paddy, he failed to return 3212.70 quintals of rice amounting to Rs.79.62 lakhs and thus the appellant misappropriated the aforementioned sum. A first information report was registered on 02.04.2015 vide Bhabhua P.S. Case No.151 of 2015 under Sections 409 and 420 of the Indian Penal Code. The appellant thereafter approached the High Court of Judicature at Patna seeking anticipatory bail which was granted to him vide order dated 30.07.2015.

**B. <u>Criminal Appeal @ SLP(Crl) No.9029 of 2017</u>**

6. Under an agreement dated 06.03.2013 entered into between the appellant and the Corporation, the appellant undertook to mill paddy lying at Kaimur Centre of the Corporation in terms of the agreement. Clauses 2 and 3 of the agreement were as under:

> "2. The Second Party has monthly milling capacity of 1 ton of paddy but he has to furnish bank guarantee equivalent to the value of paddy taken by him for milling in concerned procurement season and in case, he requires further quantity for paddy for milling, he has to furnish further bank guarantee equivalent to value of paddy desired by him to be taken for milling. However, he has to deliver C.M.R. in time before next lot of paddy is taken from him. The said bank guarantee of Rs. …….. issued in favour of District Manager, Bihar Food & Civil Supplies Corporation Ltd. vide series No…….. dated ……. has been submitted by the second party as per State Government Instruction from time to time.

Second Party to provide a minimum bank guarantee as per the milling capacity enumerated in the table below:

| Sl.No. | Milling Capacity | Minimum Manadtory Bank Guarantee |
|---|---|---|
| 1 | UP to 2 MT per hour | Rs.5 lakh |
| 2 | More than 2 MT and upto 5 MT per hour | Rs.10 lakh |
| 3 | More than 5 MT per hour | |

The said bank guarantee of Rs. Five Lakh Rupees (amount in words) issued in favour of the District Manager, Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd., Kaimur vide Serial No. at BG No.2696IG-002214 issued by P.N.B. Bank Akerhi Branch Mohania, Kaimur District has been submitted by the Second Party."

4. The appellant had thus undertaken to furnish bank guarantee equivalent to the value of paddy issued to him. As per the concerned clause, in case the appellant was unable to furnish such bank guarantee, he could pledge unencumbered immovable property belonging to him in favour of the Corporation for the equivalent sum. In addition it was mandatory for the appellant to provide a minimum bank guarantee as per the milling capacity. Accordingly a bank guarantee on that count in the sum of Rupees Five Lakhs was furnished.

5. The procurement season in terms of the aforesaid agreement was 2013-14. However, it is the case of the Corporation that though the

3. The second party is at liberty to take paddy for milling as the quantity, he desired during the said procurement season in accordance with his monthly milling capacity but, he has no further bank guarantee for the value of the paddy, which, he takes for milling in case, he is not capable of furnishing bank guarantee, he had to pledge immovable property in the form of mortgage bond for amount or he can pledge immovable property for the entire value paddy which he takes for milling. The property details so mortgaged must be certified to be in his own name by the competent authority either by circle officer of the block or SDO of the concerned sub division so that in case of default of second party or any deviation of paddy may be recovered."

According to the appellant since he had pledged his land valued at Rs.1.3 cores he was not required to furnish any bank guarantee. The procurement season for the aforesaid agreement was 2012-13.

7. On a written report that though the appellant had lifted entire quantity of paddy by 31.12.2013 he had not delivered any rice in terms of the agreement and that he had misappropriated 2401.48 quintals of rice amounting to Rs.51.99 lakhs, Kudra P.S. Case No.119 of 2015 was registered against the appellant for offences punishable under Sections 409 and 420 of the Indian Penal Code. On an application moved by the appellant, the High Court of Judicature at Patna vide judgment and order dated 24.07.2015 granted anticipatory bail to the appellant subject to his depositing 20% of the due amount within six weeks. According to the

appellant, in compliance of such order the appellant deposited an amount of Rs.10.42 lakhs vide DD dated 22.01.2016.

C. **Criminal Appeal @ SLP(Crl) No.9409 of 2017**

8. Under an agreement entered into between the appellant and the Corporation on 11.2.2012 for the procurement season 2011-12, the appellant had undertaken to mill paddy lying at Bhabhua Centre of the Corporation on delivery of rice in terms of the agreement Clauses 2, 3 and 4 of the agreement were as under:-

> "2. After delivery of rice to the Corporation proportionate paddy will be issued to the miller by Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd.
>
> 3. Rice will be accepted in the same Gunny bags in which the paddy is delivered by the Corporation. For the first consignment/lot, rice will be delivered by the miller in new SBT gunnies. The excess gunny bags will be returned by the miller and if retrained by the Miller of excess gunny bags (in which paddy supplier miller) will be deducted by the Corporation @ 60% of net wages price from the bills submitted by the miller.
>
> 4. The miller has already deposited Rs.50,000/- as security money through DD No.710733 dated 11.02.2012 of Rs. Fifty thousand in favour of District Manager, Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd."

9. Since the rice was to be supplied at the time paddy would be given, unlike previous two illustrations, no bank guarantee or pledge was contemplated but deposit in terms of Clause 4 as security was given. On an allegation that the appellant was supplied 2306 quintals of paddy for the procurement year 2011-12 and the appellant had not returned 1545.02 quintals of rice amounting to Rs.28.9 lakhs, Kudra P.S. Case No.131 of 2015 was registered on 19.4.2015 for offences under Sections 409 and 420 IPC. The appellant was granted anticipatory bail by the High Court of Judicature at Patna on 16.07.2015.

10. Similar orders were passed granting anticipatory bail to number of persons against whom cases were filed by the Corporation. Those orders were questioned by filing special leave petitions by State of Bihar or the Corporation. These petitions came up before this Court on 28.02.2017 when following order was passed by this Court:

> "Heard.
>
> Permission granted.
>
> Delay condoned.
>
> These petitions have been preferred by the State of Bihar/Bihar State Food Civil Supplies Corporation against orders granting anticipatory bail/bail, in connection with cases, the facts of which are identical.

It has been stated by Mr. Siddharth Luthra, learned senior counsel appearing for the State/Corporation, that a sum of Rupees fifteen hundred crores in all has been allegedly misappropriated by the accused for which 600 FIRs have been filed. According to the case of the State, agreements for milling of paddy were entered into with different rice mills in pursuance of which paddy was handed over for milling but the rice from the milled paddy was not returned or was returned partly. Thus, there is misappropriation to a huge extent. In such circumstances, grant of anticipatory bail/bail will seriously hamper the investigation/trial resulting in huge loss to the State.

Our attention has been drawn to the Deed of Agreement. Clause 3 thereof provides for furnishing of bank guarantee for 26 the value of paddy, which is taken for milling, or for pledging of the immovable property of the value of the paddy. There is also provision in clause 12 that in case of default of terms of agreement the bank guarantee can be forfeited and legal action initiated for recovery of the amount from the mortgaged immovable property.

The High Court has passed an order for deposit of 10 to 20 % of the amount, alleged to be involved in different cases for grant of bail/anticipatory bail.

Since the anticipatory bail/bail was granted more than one year back and financial interest of the State is or can be secured, we are not inclined to cancel the anticipatory bail/bail but modify the order of granting of anticipatory bail/bail conditional adding conditions as follows:

(1) The accused in all the FIR(s), will ensure that bank guarantee, if not furnished, is furnished and if lapsed, is renewed within a period of one month from today failing which the anticipatory bail/bail granted will stand cancelled.

(2) The accused will cooperate with investigation/trial and their failure to appear, when required, will be a ground for cancellation of anticipatory bail/bail. An order of cancellation

will be passed by the trial court on being satisfied about such failure.

(3) The investigation will be completed within a period of three months.

(4) All the accused will be tried only at five places viz. Patna, Gaya, Chhapra, Darbhanga and Purnia by officers of the 27 appropriate rank determined by the High Court within one week from today. The High Court may specify the area of jurisdiction of the said five courts by a public order. If required by the High Court, the State Government may sanction extra strength of officers with requisite infrastructure so that normal work of courts is not disturbed on account of the special arrangement for these cases.

(5) The officers posted will deal with these cases exclusively. If free from their work, any other work may be assigned to the said officers.

(6) The concerned authorities will be at liberty to encash the bank guarantee(s) after holding that there is a breach of terms of the agreement which decision will be subject to appropriate remedies of the parties.

(7) If not otherwise encashed, the bank guarantee will be kept alive till the trial is over. However, deposits/furnishing of bank guarantees will be abide by further orders of the trial court, interim or final.

(8) If any amount is deposited by the accused, the said amount will be adjusted in the amount of the bank guarantee, which is to be furnished by the accused.

(9) The accused will surrender their passports to the respective courts within a period of four weeks from today and will not leave the country without prior permission from the concerned court.

On compliance of the above order, if any accused is in custody, he will be granted bail in accordance with law.

Any other proceedings between the parties will remain unaffected by this order and the same can proceed in accordance with law.

The trial court/High Court will be at liberty to pass any further order which it considers appropriate, having regard to the individual fact situation or modify the above directions in exigencies of the situation.

The special leave petitions are disposed of accordingly. Pending applications, if any, shall also stand disposed of."

11. In Criminal Appeal arising from S.L.P.(Crl.) No. 9196 of 2017, the Corporation vide its letter dated 18.03.2017 directed the appellant to furnish bank guarantee equivalent to the "defalcated sum" of Rs.79.62 lakhs. The appellant having failed, non-bailable warrant for arrest was issued on 29.05.2017. In the second matter i.e. in Criminal Appeal arising from S.L.P. (Crl.) No.9029 of 2017, the Corporation vide its letter dated 18.03.2017 directed the appellant to deposit bank guarantee for the "defalcated amount" of Rs.51.99 lakhs. On his failure, a non-bailable warrant of arrest was issued against the appellant on 22.07.2017. Similar such direction was issued by the Corporation in the third matter on 18.03.2017 for furnishing bank guarantee for the "defalcated sum" of Rs.29.40 lakhs. After the failure to comply, non-bailable warrant of arrest was issued on 30.05.2017.

12. Aggrieved, the appellants in all three cases and similarly situated persons approached the High Court of Judicature at Patna. The High Court by its common judgment and order dated 09.10.2017 in Crl. Misc. No. 29168 of 2017 and other connected cases, rejected the challenge. Paras 42, 43 and 45 of the judgment were as under:

> "42. Thus, I see no merit in the submission of the learned counsel for the petitioners that the aforesaid order would not bind the petitioners, who were not parties before the Supreme Court.
>
> 43. So far as the point of pledging of property for the value of paddy in lieu of bank guarantee, and non-requirement of bank guarantee in such cases are concerned, they were already raised before the Supreme Court by the rice millers, which is evident from the plain reading of the order of the Supreme Court, but the Supreme Court did not accept their contention and passed order for deposit of bank guarantee.
>
> 45. So far as the liberty granted to this Court to modify the directions issued by the Supreme Court is concerned, as the order of the Supreme Court has already taken effect and the pre-arrest bail granted to the petitioners already stood cancelled, it is not permissible for this Court to modify the directions issued by the Supreme Court. May be that in appropriate case, having regard to the individual fact situation, in view of the liberty granted by the Supreme Court, this Court could have modified any condition if the petitioner(s) would have approached this Court in time. However, such a recourse would be impermissible once the order of the Supreme Court has taken its effect. I am also of the opinion that if the persons are aggrieved by the order of the Supreme Court regarding deposit of bank guarantee, the only course left to them is to approach the Supreme Court and till the time the order of the

> Supreme Court stands, the petitioners, whether they were party before the Supreme Court or not have to abide by its orders."

13. The appellants in all three cases have approached this Court challenging the correctness of the view taken by the High Court. Similar such petitions have also been filed by other persons. Leading the submissions on behalf of said persons including the appellant, Mr. Kapil Sibal, learned Senior Advocate submitted:

(a) The order passed by this Court on 28.02.2017 did not contemplate furnishing of bank guarantee or keeping the bank guarantee alive in the sum equivalent to the alleged "defalcated sum"

(b) The bank guarantee was in terms of the stipulations contemplated by the agreement. Only such bank guarantee was to be furnished and kept alive.

(c) In cases where concerned millers had pledged their properties, the interest of the corporation was well secured and there could not be any insistence on furnishing of bank guarantee by way of additional security.

14. Appearing for the respondent-State, Mr. Ranjit Kumar, learned Senior Advocate submitted:

(a) About 1500 crores of public money was involved in all the matters. The rice in issue was part of public distribution system and all the millers were guilty of swindling public funds.

(b) In cases where bank guarantees were required to be given and kept alive in terms of the agreements and yet the millers had not furnished and kept alive such bank guarantees, the benefit of anticipatory bail/bail was rightly cancelled.

(c) In order to sub-serve public interest, the corporation be allowed to put to auction all the pledged properties and recover the defalcated sums.

15. The aforesaid three criminal appeals, the facts whereof are discussed in detail in preceding paragraphs show that there were three categories of matters. In the first, the miller was to give bank guarantee equivalent to the value of paddy. However in case of his inability to furnish such bank guarantee, the facility of pledging unencumbered immovable property was afforded to him. The miller was however required to provide minimum bank guarantee. In the second matter, the bank guarantee had to be given in respect of value of paddy. Here also an option was given to pledge immovable property in lieu of the requirement of furnishing of bank

guarantee. Though there appears to be slight distinction in phraseology employed in the concerned clauses, the intent appears to be identical. It is also a matter of record that the appellant in the second matter had pledged his land valued at Rs.1.3 crores and was not required to furnish any bank guarantee. In the third matter, there was no requirement of furnishing any bank guarantee at all and all that the agreement insisted upon was furnishing of security.

The requirement of furnishing bank guarantee was thus not mandatory and an option was given to the miller to pledge his unencumbered immovable property.

16. The matters therefore lie in a short compass. The order granting anticipatory bail/bail to the millers was challenged by the State/Corporation in matters which came up before this Court on 28.02.2017. While declining to cancel such orders granting anticipatory bails/bail, this Court deemed it proper to impose certain additional conditions. The first condition was that, in all FIRs the concerned accused would ensure that bank guarantee was furnished and kept alive, failing which, the benefit of anticipatory bails/bail would stand cancelled. The reference to "Bank Guarantee" in said condition No.1 was to the obligation arising from the agreement entered into with each of the accused.

17. It may be noted here that prior to the passing of the order dated 28.02.2017, none of the orders passed by the High Court or this Court required furnishing of bank guarantee or keeping it alive in respect of the "defalcated sum". The order passed by this Court on 28.02.2017 is quite clear. The reference to "Bank Guarantee" and the condition modulated in that behalf was one which the accused was obliged to and had undertaken to furnish in terms of the agreement. If according to the terms of the agreement and the benefit enjoyed by the concerned accused, he had already pledged unencumbered immovable property in the equivalent sum, there was no requirement to furnish and to keep alive additional bank guarantee. Therefore the Corporation was not justified in demanding that the millers must furnish bank guarantee in respect of "defalcated sum". The trial court was also not justified in cancelling the facility of bail/anticipatory bail already enjoyed by the miller and in issuing non-bailable warrants.

18. However there are certain categories of persons, who were enjoined to furnish bank guarantee, in terms of their agreement, to keep such bank guarantee alive, had completely failed in that behalf. Such failure on their part was in complete derogation and violation of the order dated 28.02.2017 passed by this Court. In such cases the trial court was certainly justified in

cancelling the facility of bail/anticipatory bail extended to such millers and to issue non-bailable warrants of arrest. There is one more category of cases where the millers in question were not parties to the proceedings in this Court which were disposed of by order dated 28.02.2017. The submission in that behalf made by such millers that the condition imposed by this Court would not apply to them was rightly rejected by the trial court and we affirm the view so taken.

19. We now come to the last submission made by Mr. Ranjit Kumar, learned Senior Advocate. The idea behind requirement of furnishing bank guarantee and or pledge of unencumbered property was to ensure sufficient security in the hands of the Corporation. Going by the terms of the agreement, in case there be any failure on part of the concerned miller to discharge his obligations, the Corporation would certainly be entitled and justified to take appropriate steps to secure its interest either by encashing the bank guarantee and or by disposing the pledged properties in accordance with law. We therefore accept the submission and hold that the Corporation, in such cases, would be well within its rights to take appropriate steps in the concerned matters.

20. In the circumstances we direct:-

a) The expression "Bank Guarantee" used in condition No.1 as stipulated in order dated 28.02.2017 passed by this Court pertains to bank guarantee which the concerned miller was obliged, in terms of the agreement in question to furnish. The obligation to furnish the bank guarantee and to keep it alive is referable to the terms of the agreement and not to the "defalcated sum" as was submitted by the Corporation.

b) If on account of failure to submit and to keep it alive in respect of the "defalcated sum", any benefit of bail/anticipatory bail was withdrawn and orders of non-bailable warrants were issued, such orders stand cancelled and recalled. However the concerned millers ought to have furnished and kept alive bank guarantees as contemplated in terms of the agreement. If there be any failure on this count the cancellation of bail/anticipatory bail was perfectly justified.

c) The order dated 28.02.2017 passed by this Court would apply to every single case, irrespective whether the concerned miller was a party to the proceedings before this Court or not.

d) If any miller, in terms of the order dated 28.02.2017, had not furnished bank guarantee or had not kept it alive in terms of his obligations under the agreement, the facility of bail/anticipatory bail would not be

available to him. The orders cancelling such facility stand confirmed and the challenge in that behalf is negated. All such millers shall be immediately taken in custody by the concerned Police.

e) We permit the Corporation to secure its interest either by invoking the bank guarantees wherever furnished and or by putting to auction the unencumbered immovable property pledged by the millers with it, after due process of law.

21. All the appeals stand disposed of in aforesaid terms, without any order as to costs.

.....J.
(Abhay Manohar Sapre)

.....J.
(Uday Umesh Lalit)

New Delhi
August 13, 2018

अनु० -3



ITEM NO.31 COURT NO.7 SECTION II-A

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS

MA No.1140 OF 2019 in CRIMINAL APPEAL No.998/2018

(Arising out of impugned final judgment and order dated 13-08-2018 in Crl.A. No.998/2018 passed by the Supreme Court Of India)

ARVIND TIWARY

Petitioner(s)

VERSUS

STATE OF BIHAR & ANR.

Respondent(s)

(IA No.88531/2019 - FOR CLARIFICATION/DIRECTION; and, IA No.88530/2019 - INTERVENTION/IMPLEADMENT)

WITH

MA NO.1926/2019 in Crl.A. No.998/2018 (II-A)
(FOR ADMISSION; IA No.132575/2019 - FOR EXEMPTION FROM FILING O.T.; and, IA No.132574/2019 - FOR MODIFICATION OF COURT ORDER)

Date : 25-10-2019 These matters were called on for hearing today.

CORAM :
HON'BLE MR. JUSTICE UDAY UMESH LALIT
HON'BLE MR. JUSTICE ANIRUDDHA BOSE

Counsel for the Parties:

Mr. Maninder Singh, Sr. Adv.
Mr. Keshav Mohan, Adv.
Mr. Prashant Kumar, Adv.
Mr. Parangat Pandey, Adv.
Mr. Santosh Kumr-I, AOR

Mr. Rudreshwar Singh, Adv.
Mr. Gautam Singh, Adv.
Ms. Isha Singh, Adv.
Mr. Aditya V. Singh, Adv.
Mr. Gopal Singh, AOR

Mr. Rakesh Kumar, AOR

Signature Not Verified
Digitally signed by MUKESH KUMAR
Date: 2019.11.04 18:31:02 IST
Reason:

UPON hearing the counsel the Court made the following

O R D E R

MA NO.1926/2019 IN CRIMINAL APPEAL NO.998/2018

This application has been filed seeking modification of order dated 13.08.2018 passed by this Court in Criminal Appeal No.998 of 2018 and all other connected matters. For the sake of facility, the prayers made in the application are reproduced hereunder:

> "a) Modify the order dated 13.08.2018 passed by this Hon'ble Court in Criminal Appeal No.998 of 2018 to the extent that insofar as the agreement relating to procurement year 2011-12 is concerned, the accused mill owners may be directed to furnish bank guarantee with respect to defalcated amount;
>
> b) Modify the order dated 13.08.2018 passed by this Hon'ble Court in Criminal Appeal No.998 of 2018 to the extent that the mill owners must provide only the bank guarantee in terms of the agreement relating to the procurement year 2012-13 and 2013-14 and not the deed of pledge with respect to immovable property;"

In its order dated 13.08.2018, this Court had considered three categories of cases. Paragraphs 3 to 5 dealt with First Category of Cases; Paragraphs 6 to 7 dealt with Second Category of Cases; and, Paragraph 8 onwards dealt with Third Category of Cases. The relevant terms in the Agreement Clauses 2, 3 and 4 were set out in para 8. After discussing the entirety of the matter and considering the rival submissions, directions were issued in paragraph 20 as under:

> "a) The expression "Bank Guarantee" used in condition No.1 as stipulated in order dated 28.02.2017 passed by this Court pertains to bank guarantee which the concerned miller was obliged, in terms of the agreement in question to furnish. The obligation to furnish the bank guarantee and to keep it alive is referable to the terms of the agreement and not to the "defalcated sum" as was submitted by the Corporation.

b) If on account of failure to submit and to keep it alive in respect of the "defalcated sum", any benefit of bail/anticipatory bail was withdrawn and orders of non-bailable warrants were issued, such orders stand cancelled and recalled. However the concerned millers ought to have furnished and kept alive bank guarantees as contemplated in terms of the agreement. If there be any failure on this count the cancellation of bail/anticipatory bail was perfectly justified.

c) The order dated 28.02.2017 passed by this Court would apply to every single case, irrespective whether the concerned miller was a party to the proceedings before this Court or not.

d) If any miller, in terms of the order dated 28.02.2017, had not furnished bank guarantee or had not kept it alive in terms of his obligations under the agreement, the facility of bail/anticipatory bail would not be available to him. The orders cancelling such facility stand confirmed and the challenge in that behalf is negated. All such millers shall be immediately taken in custody by the concerned Police.

e) We permit the Corporation to secure its interest either by invoking the bank guarantees wherever furnished and or by putting to auction the unencumbered immovable property pledged by the millers with it, after due process of law."

Thus requirement of Bank Guarantee was confined to cases where such stipulation was made in the agreement entered into between the parties and in pursuance whereof such Bank Guarantees were issued. This Court also gave liberty to the State and its authorities to secure the interest of the State/Corporation by disposing of the pledged securities.

Mr. Maninder Singh, learned Senior Advocate appearing in support of the application submitted that merely by allowing the State and its functionaries to secure the interest by disposing of the pledged securities would not subserve public interest as in majority of the pledged cases, either the securities are inadequate or very same security has been furnished in connection with more than one contractual obligation and/or the securities by themselves are encumbered or the concerned properties are jointly held.

If there are infirmities of the nature described above, the authorities and its officials ought not to have accepted such securities to be adequate enough to allow delivery of paddy to the millers. The State, therefore, is required to put its house in order and proceed accordingly. But at this juncture to change the conditions of bail or anticipatory bail on that count, in our view, may not be appropriate.

Mr. Maninder Singh relied upon the decision of this Court in *Prem Prakash Verma etc. v. Central Bureau of Investigation etc.*, (2016) 13 SCC 414, wherein as a condition of grant of facility of bail/anticipatory bail, this Court had insisted on deposit of amount alleged to have been embezzled/siphoned off.

The decision relied upon was of the year 2016. However, at no stage, any such request was made when the present matters were considered. The controversy in the present cases was in the backdrop of facts where there was no stipulation of Bank Guarantee or even if there was one, choice was given to the Miller to furnish property papers by way of a pledge. It is on this premise that the directions were issued by this Court in its order dated 13.08.2018.

We therefore reject the submission of Mr. Maninder Singh, learned Senior Advocate, in respect of first two categories.

It was however pointed out by Mr. Singh that in respect of Third Category, the security was only to the extent of Rs.50000/- while the amount of paddy given to the concerned Millers was in excess of the sum of Rs.50000/-. He further submitted that the interest of the State/Corporation is required to be protected as there is no security on which the State or its authorities may fall back and recover the amounts in question.

We, therefore, issue notice with regard to the Third Category of cases.

We have been appraised that there are about 300 FIRs filed against various individuals from Third Category of Cases and the amount involved is in the region of Rs.374 Crores.

We direct the State of Bihar to submit complete details of the individuals concerned so that notices can be issued to the concerned parties/individuals.

Let needful be done within four weeks from today.

Let the matters be listed for further consideration on 29.11.2019.

M.A. No.1140/2019 IN CRIMINAL APPEAL NO.998/2018.

List this application on 29.11.2019.

(MUKESH NASA)
COURT MASTER

(SANTOSH KUMAR)
BRANCH OFFICER

अनु०–4

e-mail

## बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि०,

सोन भवन, 5वीं मंजिल, बीरचन्द पटेल पथ, पटना–800001

पत्रांक–2:15:96:1:2012– 9914 पटना, दिनांक– 29/2/12

प्रेषक,

डा० दीपक प्रसाद, भा.प्र.से.,
प्रबंध निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला प्रबंधक,
राज्य खाद्य निगम, बिहार।

विषयः– खरीफ विपणन मौसम 2012–13 के अन्तर्गत अधिप्राप्ति धान के मिलिंग एकरारनामा के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में खरीफ विपणन मौसम 2012–13 के अन्त अधिप्राप्ति धान के मिलिंग हेतु सम्बद्ध मिलरों के साथ किये जाने वाले "Deed of agreem एवं Deed of pledge" की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

निदेश दिया जाता है कि संलग्न एकरारनामा के तहत खरीफ विपणन मौ 2012–13 के अन्तर्गत कय किये गये अधिप्राप्ति धान का मिलिंग संबंधित मिलरों एकारारनामा कराते हुए धान की कुटाई कराना सुनिश्चित करें तथा उसकी सूचना नि मुख्यालय को भेजें।

विश्वासभाजन.

प्रबन्ध निदेशक।

अनु०:–तीन पृष्टों में।

(38)

(Non Judicial Stamp of Rs. 100/-)

**BIHAR STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.**

# DEED OF AGREEMENT

Execution of bond framed under terms and conditions with the District Manager, Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd. District Office ..... regarding milling of Paddy and delivering of Rice against Paddy lying in the godowns /Procurement Centres under District Office of Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd..... in custom milling of Paddy (herein after called the first party).

I, the proprietor of M/s..... declare that I am willing to mill, Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd's Paddy lying at the ..... Centre under Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd. District Office ..... On delivery of Rice (RBC/RRC) as per Government of India specification and as per terms and conditions of Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd. in vogue (herein after called the second party)

1. M/s.....Registration No..... valid up to ..... issued by Directors of Industry Government of Bihar and (VAT No.....) will deliver raw rice/par boiled rice confirming to Government of India uniform specification for KMS 2012-13 in 50 Kg net packing.

2. The second party has monthly milling capacity of ..... MT of Paddy but, he has to furnish Bank Guarantee equivalent to the value of Paddy taken by him for milling in concerned procurement season and in case, he requires further quantity of paddy for milling, he has to furnish further Bank Guarantee equivalent to the value of paddy desired by him to be taken for milling. However, he has to deliver C.M.R. in time before next lot of paddy is taken by him. The said Bank Guarantee of Rs.....(. . . . . ) issued in favour of District manager, Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd., ..... vide serial no..... dated..... has been submitted by the second party as per State Government instruction from time to time.

3. The second party is at liberty to take paddy for milling as much as the quantity he desires during the said procurement season in accordance with his monthly milling capacity but, he has to furnish Bank Guarantee for the value of paddy, which he takes for milling or in case, he is not capable of furnishing Bank Guarantee, he has to pledge immovable property in the form of mortgage bond for the rest amount or he can pledge immovable property for the entire value of paddy which he takes for milling. The property details so mortgage must be certified to be in his own name by the competent authorities either by circle officer of the block or SDO of the concerned sub-division so that in case of default of second party or any deviation of paddy may be recovered.

4. Out turn ratio for par boiled rice is 68% and for raw rice 67% on "As where is" basis and by-product like husk, broken etc. obtain from milling shall be property of the second party.

5. After receipt of paddy second party will deliver proportionate percentage of rice within a month from the date of receipt of paddy and only then, any further paddy as desired according to monthly milling capacity will be issued to the second party by the first party. In case of delay in delivery of proportionate percentage of rice, appropriate penalty in terms of money will be charged by the competent authorities with interest at Bank lending rate.

(37)

6. Rice will be accepted in the same Gunny bags in which the paddy is delivered by the first party. For the first consignment/lot, rice will be delivered by the second party in new SBT gunny bags. The excess gunny bags will be returned by the second party and if retained by the second party, then cost of excess gunny bags (in which paddy is supplied to second party) will be deducted by the first party @ 60% of new gunny bags at the purchase rate from DGS & D, Kolkata for KMS 2012-13 and will be adjusted from the bills submitted by the second party.

7. The second party will provide godowns at their mill premises as per milling capacity for storage of paddy, CMR, so that the authorised representative of first party or Food and Consumer Protection Department can inspect the stock quantity and quality of CMR ready for delivery to first party. The second party will store paddy at the mill premises only. Storage of paddy shall not be store at any other place.

8. Rs.20/- per quintal as paddy milling charges will be paid for par boiled rice and Rs.10/- per quintal milling charges will be paid for raw rice to the second party after getting the proper bill from the second party.

9. Rice shall be bagged in standard weight of 50 Kg. and all bags are to be double machine stitched in red thread and bags should be duly stencilled with blue colour showing name of the mill and station, crop year, net weight, commodity, variety and lot No.

10. The second party will supply CMR to the first party. CMR received from second party will be transported by the first party to the tagged depot of Food Corporation of India, proportionate paddy will be actually released by the Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd..... to the second party from different Procurement Centres.

11. The second party will submit daily/weekly/monthly report of ready CMR for delivery and status of paddy lying in mill to the concerned District Manager and District authority.

12. In case of any deviation from above agreed terms and conditions or any default on the part of the second party, bank guarantee submitted by the second party will be forfeited by the first party and Legal action against the second party shall be taken including recovery of amount from the mortgaged immovable property by way of attachment and sale.

13. It has also been agreed that payment of milling charge will be made only after delivery of due rice as per specification and acceptance of CMR by Food Corporation of India.

14. The second party also agrees to abide by the instructions issued by State Government from time to time, and the terms of agreement.

15. The second party agrees that in case, any amount found recoverable on account of default, loss, damage on the part of the second party, the said recoverable amount with interest will be recovered as Land Revenue under Bihar & Orissa Public Demands Recovery Act, 1914 by instituting Certificate case before the concerned District Certificate Officer.

16. In case of disputes both parties agree to settle the issue(s) on mutual discussion. Failure to reach agreement the matter will be referred to arbitrator. It has been also agrees that the arbitrator will be District Collector of the concerned District whose decision shall be final, concerning the dispute referred to him.

**District Manager,** **Proprietor**

Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd. M/s.....

.....

Date:.....

(36)

STAMP OF RS. 100/-

# DEED OF PLEDGE

To,

**The District Manager,**
**Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd.,**

Sir,

I,.....,S/o-.....
at.....,P.O:-.....,P.S.-.....,
District-....., as required to deposit Title deeds of my landed property/mill of proportionate amount of per month milling capacity of paddy i.e. Rs..... as security with the District Manager, ....., Bihar State Food & Civil Supplies Corporation and I , therefore, request you to keep the said Title Deeds of my self acquired/inherited landed property and the ownership paper of mill in your possession which are being pledged by me as security.

I undertake to pay proportionate value of paddy of the concerned procurement year calculated as per monthly milling capacity of paddy i.e. Rs.....to Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd. in case of loss, damage or any default or found doing black marketing business by me.

I agree that landed property shall be salable by auction sale/legal procedure by the pledgee, even if, the security has been forfeited and the loss/damage caused is not suitably compensated and the same shall not be objected to by me for taking steps to sale the pledged property by the District Manager (Bihar State Food & Civil Supplies Corporation)....., Bihar.

(.....)
S/o-.....
Vill:-.....
P.O + P.S.-.....
District:-.....
Bihar.
Date:-

अनु०-4

e-mail

# बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि०,

सोन भवन, 5वीं मंजिल, बीरचन्द पटेल पथ, पटना–800001

पत्रांक–2:15:96:1:2012– 9914 पटना, दिनांक– 29/2/12

प्रेषक,

डा० दीपक प्रसाद, भा.प्र.से.,
प्रबंध निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला प्रबंधक,
राज्य खाद्य निगम, बिहार।

विषयः– खरीफ विपणन मौसम 2012–13 के अन्तर्गत अधिप्राप्ति धान के मिलिंग एकरारनामा के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में खरीफ विपणन मौसम 2012–13 के अन्त अधिप्राप्ति धान के मिलिंग हेतु सम्बद्ध मिलरों के साथ किये जाने वाले "Deed of agreem एवं Deed of pledge" की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

निदेश दिया जाता है कि संलग्न एकरारनामा के तहत खरीफ विपणन मौ 2012–13 के अन्तर्गत कय किये गये अधिप्राप्ति धान का मिलिंग संबंधित मिलरों एकारारनामा कराते हुए धान की कुटाई कराना सुनिश्चित करें तथा उसकी सूचना नि मुख्यालय को भेजें।

विश्वासभाजन

प्रबन्ध निदेशक।

अनु०:–तीन पृष्टों में।

(38)

(Non Judicial Stamp of Rs. 100/-)

## BIHAR STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.

## DEED OF AGREEMENT

Execution of bond framed under terms and conditions with the District Manager, Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd. District Office ..... regarding milling of Paddy and delivering of Rice against Paddy lying in the godowns /Procurement Centres under District Office of Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd..... in custom milling of Paddy (herein after called the first party).

I, the proprietor of M/s..... declare that I am willing to mill, Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd's Paddy lying at the ..... Centre under Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd. District Office ..... On delivery of Rice (RBC/RRC) as per Government of India specification and as per terms and conditions of Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd. in vogue (herein after called the second party)

1. M/s.....Registration No..... valid up to ..... issued by Directors of Industry Government of Bihar and (VAT No.....) will deliver raw rice/par boiled rice confirming to Government of India uniform specification for KMS 2012-13 in 50 Kg net packing.

2. The second party has monthly milling capacity of ..... MT of Paddy but, he has to furnish Bank Guarantee equivalent to the value of Paddy taken by him for milling in concerned procurement season and in case, he requires further quantity of paddy for milling, he has to furnish further Bank Guarantee equivalent to the value of paddy desired by him to be taken for milling. However, he has to deliver C.M.R. in time before next lot of paddy is taken by him. The said Bank Guarantee of Rs.....(. . . . . ) issued in favour of District manager, Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd., ..... vide serial no..... dated..... has been submitted by the second party as per State Government instruction from time to time.

3. The second party is at liberty to take paddy for milling as much as the quantity he desires during the said procurement season in accordance with his monthly milling capacity but, he has to furnish Bank Guarantee for the value of paddy, which he takes for milling or in case, he is not capable of furnishing Bank Guarantee, he has to pledge immovable property in the form of mortgage bond for the rest amount or he can pledge immovable property for the entire value of paddy which he takes for milling. The property details so mortgage must be certified to be in his own name by the competent authorities either by circle officer of the block or SDO of the concerned sub-division so that in case of default of second party or any deviation of paddy may be recovered.

4. Out turn ratio for par boiled rice is 68% and for raw rice 67% on "As where is" basis and by-product like husk, broken etc. obtain from milling shall be property of the second party.

5. After receipt of paddy second party will deliver proportionate percentage of rice within a month from the date of receipt of paddy and only then, any further paddy as desired according to monthly milling capacity will be issued to the second party by the first party. In case of delay in delivery of proportionate percentage of rice, appropriate penalty in terms of money will be charged by the competent authorities with interest at Bank lending rate.

6. Rice will be accepted in the same Gunny bags in which the paddy is delivered by the first party. For the first consignment/lot, rice will be delivered by the second party in new SBT gunny bags. The excess gunny bags will be returned by the second party and if retained by the second party, then cost of excess gunny bags (in which paddy is supplied to second party) will be deducted by the first party @ 60% of new gunny bags at the purchase rate from DGS & D, Kolkata for KMS 2012-13 and will be adjusted from the bills submitted by the second party.

7. The second party will provide godowns at their mill premises as per milling capacity for storage of paddy, CMR, so that the authorised representative of first party or Food and Consumer Protection Department can inspect the stock quantity and quality of CMR ready for delivery to first party. The second party will store paddy at the mill premises only. Storage of paddy shall not be store at any other place.

8. Rs.20/- per quintal as paddy milling charges will be paid for par boiled rice and Rs.10/- per quintal milling charges will be paid for raw rice to the second party after getting the proper bill from the second party.

9. Rice shall be bagged in standard weight of 50 Kg. and all bags are to be double machine stitched in red thread and bags should be duly stencilled with blue colour showing name of the mill and station, crop year, net weight, commodity, variety and lot No.

10. The second party will supply CMR to the first party. CMR received from second party will be transported by the first party to the tagged depot of Food Corporation of India, proportionate paddy will be actually released by the Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd..... to the second party from different Procurement Centres.

11. The second party will submit daily/weekly/monthly report of ready CMR for delivery and status of paddy lying in mill to the concerned District Manager and District authority.

12. In case of any deviation from above agreed terms and conditions or any default on the part of the second party, bank guarantee submitted by the second party will be forfeited by the first party and Legal action against the second party shall be taken including recovery of amount from the mortgaged immovable property by way of attachment and sale.

13. It has also been agreed that payment of milling charge will be made only after delivery of due rice as per specification and acceptance of CMR by Food Corporation of India.

14. The second party also agrees to abide by the instructions issued by State Government from time to time, and the terms of agreement.

15. The second party agrees that in case, any amount found recoverable on account of default, loss, damage on the part of the second party, the said recoverable amount with interest will be recovered as Land Revenue under Bihar & Orissa Public Demands Recovery Act, 1914 by instituting Certificate case before the concerned District Certificate Officer.

16. In case of disputes both parties agree to settle the issue(s) on mutual discussion. Failure to reach agreement the matter will be referred to arbitrator. It has been also agrees that the arbitrator will be District Collector of the concerned District whose decision shall be final, concerning the dispute referred to him.

**District Manager,** **Proprietor**

Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd. M/s.....

.....

Date:.....

(36)

STAMP OF RS. 100/-

# DEED OF PLEDGE

To,

**The District Manager,**
**Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd.,**

Sir,

I,.....,S/o-.....
at.....,P.O:-.....,P.S.-.....,
District-....., as required to deposit Title deeds of my landed property/mill of proportionate amount of per month milling capacity of paddy i.e. Rs..... as security with the District Manager, ....., Bihar State Food & Civil Supplies Corporation and I , therefore, request you to keep the said Title Deeds of my self acquired/inherited landed property and the ownership paper of mill in your possession which are being pledged by me as security.

I undertake to pay proportionate value of paddy of the concerned procurement year calculated as per monthly milling capacity of paddy i.e. Rs.....to Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd. in case of loss, damage or any default or found doing black marketing business by me.

I agree that landed property shall be salable by auction sale/legal procedure by the pledgee, even if, the security has been forfeited and the loss/damage caused is not suitably compensated and the same shall not be objected to by me for taking steps to sale the pledged property by the District Manager (Bihar State Food & Civil Supplies Corporation)....., Bihar.

(.....)
S/o-.....
Vill:-.....
P.O + P.S.-.....
District:-.....
Bihar.
Date:-

अनु० 5 (69)

# बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0

सोन भवन, 5वीं मंजिल, बीरचन्द पटेल पथ, पटना–800001

पत्रांक– दिनांक–

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी (अधिप्राप्ति),
मुख्यालय, पटना।

सेवा में,

सभी जिला प्रबंधक,
राज्य खाद्य निगम, बिहार।

विषयः– खरीफ विपणन मौसम 2013–14 के अन्तर्गत अधिप्राप्ति धान के मिलिंग हेतु **एकरारनामा करने के संबंध में** ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि इस पत्र के साथ KMS 2013–14 के अन्तर्गत अधिप्राप्ति धान के मिलिंग हेतु जिला से सम्बद्ध मिलरों के साथ Deed of Agreement एवं Deed of Pledge की प्रति संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनुरोध है कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक 7714 दिनांक 06.12.2013 तथा निगम मुख्यालय के पत्रांक 11067 दिनांक 12.12.2013 में वर्णित प्रावधान तथा मुख्यालय पत्रांक 11623 दिनांक 26.12.2013 के आलोक में जिला स्तर पर तैयार प्रतिवेदन का संज्ञान लेते हुए जिला अन्तर्गत Short listed मिलों के साथ संलग्न Deed of Agreement एवं Deed of Pledge में निर्धारित प्रकिया का अनुपालन कर एकरारनामा करने की कृपा की जाय तथा एकरारनामित दस्तावेजों की एक प्रति निगम मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाय।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/–

विशेष कार्य पदाधिकारी।

अनु0: यथोक्त।

ज्ञापांक– 435 पटना, दिनांक– 13.01.2014

प्रतिलिपि सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को निदेशानुसार सूचनार्थ समर्पित।

13/1/14

विशेष कार्य पदाधिकारी।

(68)

(Non Judicial Stamps of Rs.1000/-)

# BIHAR STATE FOOD & CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD.

## DEED OF AGREEMENT

Execution of bond framed under the terms and conditions with the District Manager, Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd, district office..... regarding milling of paddy and delivery of FAQ CMR against paddy procured and stored in the base godowns under CAP storage/ Procurement Centres of the district office of the Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd.....subsequent to custom milling of Paddy (hereinafter called the **First Party**).

I,.....Son of.....

village.....P.S.....District.....the proprietor of M/s .....declare that I am willing to mill the paddy procured from district office of the Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd..... in conformity with the Government of India specifications and as per terms and conditions of Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd in vogue (hereinafter called the **Second Party**)

1. M/s ..... Registration No. ..... valid upto ..... issued by the Director of Industry, Government of Bihar and (VAT No.. .....) will deliver raw/ par boiled rice conforming to the Uniform specification for Grade-A and Common Rice (as the case may be ) as communicated by the Government of India for KMS 2013-14 in 50 Kg. net packing.

2. That the **Second Party** with a monthly milling capacity of ..... MT of Paddy, shall furnish a **Bank Guarantee** equivalent to the value of paddy issued to him by the **First Party** for milling in the current procurement season and in case, he is issued an additional quantity of paddy for milling he shall to furnish an additional **Bank Guarantee** equivalent to the value of the amount of the additional paddy issued to him by the **First Party**. In case he is not capable of furnishing the above mentioned **Bank Guarantee(s)**, he shall pledge unencumbered immovable property belonging to him in the name of District Manager,..... of the same amount or more, as certified by the competent authority- Circle Officer/ Sub divisional Officer, in the prescribed manner, for the entire value of paddy as per his milling capacity. However it will be mandatory for the **Second Party** to provide a minimum **Bank Guarantee** as per the milling capacity enumerated in the table below:-

| Sl.No. | Milling Capacity | Minimum Mandatory Bank Guarantee amount |
|---|---|---|
| 1 | Up to 2 MT daily | Rs. 5 lakh |
| 2. | More than 2 MT and upto 5 MT daily | Rs. 10 lakh |
| 3. | More than 5 MT daily | Rs. 15 lakh |

e said **Bank Guarantee** of Rs........................ ..........(amount in words.) issued in favour of the istrict Manager, Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd.:.......... vide serial no. dat...........................issued by ..................... Bank ........................ Branch......................... District has been submitted by the **Second Party**.

3. That, Out turn ratio for **par boiled rice** is 68% and for **raw rice** is 67% on "As is and where is" basis and the by-products like husk, broken etc. obtained from milling shall be the property of the **Second Party**.

4. That after receipt of paddy, the **Second Party** will deliver proportionate quantity of FAQ CMR, within a month from the date of receipt of paddy and only then the next tranche of paddy shall be issued by the **First Party** to the **Second Party** for milling in accordance with the monthly milling capacity/ furnished **Bank Guarantee(s)**/ pledged **immovable property** of the **Second Party.** In case of delay in delivery of the proportionate quantity of FAQ CMR, within the stipulated time period the **First Party** will have the right to recovery of the defaulted amount calculated **at the rate of deliverable CMR** by way of penalty with interest at the existing Bank lending rate.

5. That in the event of FAQ CMR supplied by the Second Party being accepted by the First Party in conformity with Uniform specification for Grade-A and Common Rice (as the case may be) as communicated by the Government of India for KMS 2013-14, the milling charges and other concomitant charges of the **Second Party** shall be settled by the **First Party** after raising of bills by the **Second Party** to that effect.

6. That rice will be accepted in the same gunny bags in which the paddy is delivered by the **First Party**. For the first consignment/tranche/lot, FAQ CMR will be delivered by the **Second Party** in new SBT gunny bags. The excess gunny bags will be returned by the **Second Party** and if the same is retained by the **Second Party,** the cost of excess gunny bags(in which paddy is supplied to the **Second Party**) will be deducted by the **First Party** @60% of the cost new gunny bags purchased rate from DGS&D, Kolkota for KMS 2013-14 and will be adjusted from the bills submitted by the **Second Party**.

7. That ,The **Second Party** will be responsible for the proper storage of paddy/CMR within the mill premise so that the same can be inspected/verified randomly or in a routine manner by the representatives of the **First Party**/ authorized officials of the District Administration/ Food & Consumer Protection Department, Government of Bihar, on need basis. Under no circumstances the **Second Party** will store the paddy/CMR outside the mill premise.

8. That **Rs. 20/- per quintal** as paddy milling charges will be paid for par boiled rice and **Rs. 10/- per quintal** as milling charges will be paid for raw rice to the **Second Party** after raising of proper bills by the **Second Party**.

That Rice shall be bagged in standard weight of 50 Kg. and all bags are to be double machine stitched in blue thread and bags should be duly stenciled in blue colour showing name of the mill and place, crop year, net weight, commodity, variety and lot no.

10. That in lieu of paddy received by the **Second Party** from the base godowns/ under CAP storage/ Procurement Centres of the **First Party**, the **Second Party** will supply FAQ CMR in proportionate quantity which will be transported by the **First Party** to the tagged CMR godowns/ depots of **First Party**.

11. That if CMR lot is rejected on quality basis (as per specification of Govt. of India) the Second Party shall be bound to bring the back aforesaid CMR lot to his mill and shall bear the transporting cost of both sides. More over, The Second Party shall be responsible for providing the same in case cash or kind at a latter date to the First Party.

12. That The **Second Party** will be responsible for maintaining the records with respect to receipt of paddy from the base godowns/ under CAP storage/ Procurement Centres of the **First Party** and supply of FAQ CMR and shall submit daily/weekly/ monthly reports of ready CMR for delivery and status of paddy stored in mill to the **First Party** and the concerned District authority.

13. That The **Second Party** is at liberty to take paddy for milling in accordance with his monthly milling capacity/ furnished **Bank Guarantee(s)**/ pledged **immovable property** but in case of default by the **Second Party**, the **First Party** shall have the right to forfeit the furnished **Bank Guarantee(s)** and initiate legal action against the Second Party for the recovery of the defaulted amount by way of attachment and sale of the pledged **immovable property** of the **Second Party**.

14. That The **Second Party** will also agree to abide by the terms and conditions of agreement and the instructions issued by the State Government from time to time. The Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd. reserves the right to make changes in the agreement in light of the instructions issued by the State Government with respect to the achievement of objectives enumerated in the Agreement.

15. That The **Second Party** agrees that in case. any amount found recoverable on account of default, loss, damage on the part of the **Second Party**, the said recoverable amount with interest will be recovered under Bihar & Orissa Public Demand Recovery Act, 1914 by instituting a Certificate Case before the concerned Certificate Officer.

Proprietor.

M/s .....

District Manager,
Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd,.....

Date.....

RCM/11.01.14

65

70

Sd/- Return 14/1/2014

STAMP OF RS. 1000/-

# DEED OF PLEDGE

To,

The District Manager,
Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd.,
.............

Sir

I, ........................ S/o ............... at ................ P.O. ........ P.S. .............. Registry Office ..................District ............ as required to deposit Title deeds of my unencumbered immovable property/mill with a per month milling capacity of paddy calculated at the existing rate to be Rs. ..... ... as security with the District Manager, Bihar State Food & Civil Supplies Corportion Ltd ............ and I, therefore, request you to keep the said Title Deeds/Khatian (with the Land Possession Certificates issued by the competent authority) of acquired/inherited but unencumbered immovable property in my name or the certified copies of the said Title Deeds Khatian and the ownership paper(s) of the mill in my name possession which are being pledged by me by way of security.

I undertake to pay the proportionate value of paddy issued to me for milling under KMS 2013-14 commensurate with the monthly milling capacity of paddy of my mill calculated at the existing rate to be Rs................ to the District Manager, Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd. ............ in event of delay, loss, damage, default, pilferage or loss accured as a result of black marketing of the same by me.

I agree that the unencumbered immovable property shall be saleable by auction or shall be subject to initiation of legal procedure by the pledgee under the Bihar & Orissa Public Demand Recovery Act, 1914 even if security has been forfeited and the loss/damage caused is not suitably compensated and the same shall not be objected to by me for taking steps to sell the pledged property by the District Manager, Bihar State Food & Civil Supplies Corporation ............

(..............)
S/o ..........
Vill. ..........
P.O. + P.S. ........
District ..........
Bihar
Date-

## Checklist for Wheat Purchase at Pacs Procurement Centre (To be submitted at SFC PPC)

Annexure -A

Name of the Block/District-

| S.No. | Subject | Details |
|---|---|---|
| 1 | Name of the Pacs | |
| 2 | Name/Address and Contact No. of the Chairman and Manager of the Pacs | |
| 3 | NOC to Pacs issued by MD Coop. Bank/DCO(Letter No./Date) regarding non defaulter status of pacs | |
| 4 | Quantity of Wheat purchased | |
| 5 | Date of Wheat purchased from Farmers | |
| 6 | Details of Farmers alongwith land details i.e, land receipt and ID | |
| 7 | Copy of Enforcement Certificate issued by the Circle Officer with letter No. & date | |
| 8 | Certified Photocopies of numbered acknowledgement receipt issued to Farmers(weighment) | |
| 9 | Quality Control- Undertaking by Manager/Chairman pacs with regard to quality checks of purchased Wheat -Moisture Meter/Water Test | |
| 10 | Certified photo copies of relevant pages of entries in Inward Register/Stock Register/Outward Register | |
| 11 | Numbered payment receipt bearing details (Rate/Total payable Amount/ Payment Details -Name of Farmer/Qty. Purchase/ Rate/Total Amount Paid/Cheque No. with date & drawee Bank/Signature/thumb impression(proper attestation) of Beneficiary) | |
| 12 | Certificate of BCO with regard to date of purchase of Wheat, Quantity of Wheat purchased on the said date, validity of Enforcement Certificate, Quality Control and Payment made to the Farmers as mentioned in Sl.No. 11 | |

अनु॰-6

**बिहार स्टेट फुड एण्ड सिविल सप्लाईज [illegible]रेशन लि0,**
**सोन भवन,5वीं मंजिल,वीरचन्द पटेल पथ–पटना।**

पत्र संख्या 1049  पटना, दिनांक– 2/2/13

प्रेषक,

डा0 दीपक प्रसाद,भा0प्र0से0,
प्रबन्ध निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला प्रबंधक,
राज्य खाद्य निगम,
बिहार।

विषयः– **खरीफ विपणन मौसम 2012–13 के अन्तर्गत अधिप्राप्ति धान के मिलिंग के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि खरीफ विपणन मौसम 2012–13 के अन्तर्गत अधिप्राप्ति धान के मिलिंग हेतु पूर्व में निदेश दिय गया था कि मिलिंग क्षमता के अनुरूप मिल बैंक गारंटी/बैंक ड्राफ्ट/जमीन जायदाद का एसेट्स 100/–रूपये के स्टॉम्प पर लेकर धान उपलब्ध करायेगें:–

1. धान कुटाई हेतु जिला में मिल के चयन के समय यह सुनिश्चत करेगें कि उनके मिल की क्षमता एक टन है तो उसकी गणना इस प्रकार करेगें:–

(क) 01 टन क्षमता x 16 घंटा (दो शिफ्ट) में 75 प्रतिशत क्षमता पर 12 टन धान की कुटाई प्रतिदिन।

(ख) 12 टन x 26 कार्य दिवस, माह में कुल 312 टन धान की कुटाई।

(ग) 312 टन प्रतिमाह से 08 माह (फरवरी,13से सितम्बर,13) तक कुल 2500मे0टन धान की कुटाई।

(घ) अगर क्षमता अधिक हो तो उसी अनुपात में क्षमता के अनुरूप धान कुटाई हेतु अधिक उपलब्ध कराया जाय।

2. पुनः मिलर की कठिनाईयों को देखते हुए मिलर द्वारा मिलिंग क्षमता के अनुरूप बैंक गारंटी/बैंक ड्राफ्ट/ जमीन जायदाद बंधक नहीं दिये जाने की स्थिति में उनसे मिलिंग क्षमता का 25% के समतुल्य बैंक ड्राफ्ट लेकर मिलर को उतनी मात्रा का धान मिलिंग हेतु उपलब्ध कराने हेतु तथा उपलब्ध कराये गये धान का CMR प्राप्त होने के उपरांत पुनः जमा किये गये उसी बैंक ड्राफ्ट के विरूद्ध चकचालित करते हुए धान मिलिंग हेतु उपलब्ध कराने के लिए निदेशित किया गया।

3. गत सप्ताह के विडियो कॉनफ्रेन्सिंग में पटना एवं नालन्दा के जिला पदाधिकारी द्वारा यह बताया गया कि इन जिलों के मिल मालिकों द्वारा गारंटी देने में असमर्थता व्यक्त की गई है। [illegible] कॉन्फ्रेन्सिग में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण द्वारा निदेश दिया गया कि पूर्व के निदेश को संशोधित करते हुए जितनी मात्रा की बैंक गारंटी/बी0डी0/सम्पत्ति बंधक मिल के द्वारा दी जाती है, उतनी ही मात्रा धान की आपूर्ति करते हुए अविलम्ब मिल मालिकों से एकरारनामा करना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। जिला प्रबंधक एकरारनामा कराते समय यह भी ध्यान रखेंगे कि मिल को उपलब्ध कराये गये धान की मात्रा के अनुरूप उनके पास भंडारण क्षमता हो।

Urgent

विश्वासभाजन,
[signature]
प्रबन्ध निदेशक।
2.2.13

ज्ञापांक 309 दिनांक 7.2.013
RCM 27-01-13
प्रतिलिपिः-सभी सहायक प्रबंधक/सभी धान क्रय केन्द्र प्रभारी/स0 ले0 पदा0/कार्यवाहक सहायक धान भंडार निर्गमादेश/सभी सहायक/ उ0ा0 प्रभारी सह सी0एम0आर0 आपूर्ति पदा0 भा0 खा0 निगम फुलवारीशरीफ/ दीघा/[illegible] मोकामा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अभिप्रमाणित
[signature]
District Manager
Bihar State Food & Civil Supplies Corp.

अनु०-7

(11)

खरीफ विपणन मौसम 2012–13 अन्तर्गत धान अधिप्राप्ति से संबंधित दिनांक 27.05.2013 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में सभी जिला पदाधिकारियों के साथ हुई विडियो कन्फ्रेंसिंग की कार्यवाही

FAX
E-mail

उपस्थिति

1. प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
2. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना
3. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भंडार निगम, पटना
4. उप महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, पटना
5. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक, पटना

कार्यवाही

मुख्य सचिव ने सभी जिला पदाधिकारियों को इस आशय का निदेश दिया कि खरीफ विपणन मौसम 2012–13 अन्तर्गत अधिप्राप्ति किये गये शत प्रतिशत धान को एक सप्ताह के अंदर मिलरों को पूर्ण रूप से उपलब्ध करा दिया जाय। विडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान सभी जिलों से यह बताया गया कि खरीफ विपणन मौसम 2012–13 अन्तर्गत अधिप्राप्ति किये गये धान के विरूद्ध अद्यतन किसी किसान का भुगतान लंबित नहीं है। कुछ जिला पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि अधिप्राप्ति किये गये धान के विरूद्ध कुछ पैक्सों का भुगतान राज्य खाद्य निगम के पास लंबित है। मुख्य सचिव द्वारा प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम को पैक्सों का लंबित भुगतान शीघ्र करने हेतु निदेशित किया गया। प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा बताया गया कि खरीफ विपणन मौसम 2012–13 अन्तर्गत अधिप्राप्ति किये गये धान के भंडार का बीमा एवं सरकार की गारंटी की प्रत्याशा में चार राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कुल स्वीकृत ऋण के विरूद्ध 50 प्रतिशत यानि 1300 करोड़ रूपये की राशि बिहार राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध करायी गई। प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा बताया गया कि इस सम्बन्ध में कार्रवाई की जा रही है परन्तु तत्काल पैक्सों के भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। अधिप्राप्ति कार्यक्रम में राज्य खाद्य निगम को किसी प्रकार की क्षति का वहन नही करना पड़े, इसलिए मुख्य सचिव ने प्रबंध निदेशक, राज्य खाद्य निगम को मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत उपबंधित राशि में से तत्काल 300 करोड़ रूपये उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

खरीफ विपणन मौसम 2012–13 अन्तर्गत अधिप्राप्ति चक्र के सुचारू संचालन हेतु महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम को निदेश दिया गया कि सभी जिलों, विशेष कर धान बाहुल्य जिलों में पर्याप्त भंडारण/गुण नियंत्रक/ सी0एम0आर0 प्राप्त करने हेतु अतिरिक्त डिपों की व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि सी0एम0आर0 प्राप्त करने का कार्य बाधित न हो एवं समय सीमा के अन्दर अधिप्राप्ति किये गये धान के विरूद्ध सी0एम0आर0 की कुल मात्रा प्राप्त कराया जाना संभव हो सके।

समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि सी0एम0आर0/गेहूँ के मद में भारतीय खाद्य निगम के पास अत्यधिक राशि बकाया

है। मुख्य सचिव द्वारा महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम को सख्त निर्देश दिया गया कि इस मामले में व्यक्तिगत रूचि लें एवं धान बाहुल्य राजस्व जिलों का कैश क्रेडिट लिमिट शीघ्र बढ़ाने की कार्रवाई करें ताकि भुगतान की प्रक्रिया निरंतर चलती रहे एवं राशि के अभाव में अधिप्राप्ति का चक्र बाधित न हो।

सभी जिला पदाधिकारियों ने यह मुद्दा उठाया कि सीमित भंडारण क्षमता, पर्याप्त गुण नियंत्रक का अभाव एवं सप्ताह में तीन दिन ही सी0एम0आर0 प्राप्त करने के रोस्टर के कारण भारतीय खाद्य निगम मिलिंग क्षमता के अनुपात में सी0एम0आर0 प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इसके अतिरिक्त जिला पदाधिकारियों ने यह भी जानकारी दी कि राज्य के सीमित भंडारण क्षमता के कारण अधिप्राप्ति किये गये धान अभी भी खुले में रखे हुए हैं। उक्त आलोक में मुख्य सचिव ने पुनः दुहराया कि आने वाले मानसून को ध्यान में रखते हुए किसी भी परिस्थिति में धान को खुले में न रखा जाय। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करें कि जिन मिलों को उनके द्वारा दी गई बैंक गारंटी के अनुपात में धान दिया गया तथा दिये गये धान के विरूद्ध सी0एम0आर0 तैयार कर लिया गया है तथा यह सी0एम0आर0 मिलर के पास भंडारित है तत्पश्चात उस स्थिति में मिलर द्वारा दिये गये बैंक गारंटी के अनुपात में धान का अगला लॉट मिलिंग हेतु उपलब्ध करा दिया जाय । यह जिला प्रबंधकों की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी । जिला प्रबंधक उक्त मिलों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित कर लेंगे कि उनके पास सी0एम0आर0 तैयार है तथा धान का अगला लॉट रखने हेतु पर्याप्त भंडारण की व्यवस्था है।

सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई ।

30.5.13

(ए0 के0 सिन्हा)
मुख्य सचिव, बिहार

ज्ञापांक – प्र04/वि0अधि0–07/11– 3390 खाद्य, पटना/दिनांक–31/5/2013

प्रतिलिपि–सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली/प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना/महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भंडार निगम, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम/मुख्य सचिव कोषांग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव एवं प्रधान सचिव कोषांग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

31/5/13

(सत्य प्रकाश)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
बिहार, पटना

A-3.

अनु०-8

ak Prasad,
(IAS)
aging Director

Bihar State Food & Civil
Supplies Corporation Ltd.

Head Office
Sone Bhawan 5th floor,Birchand Patel Path,Patna-1

D.O.Letter No.-5985 Patna, Dated-17.07.2013

Dear .....

Sub:- Regarding breaking of impasse with regard to delivery of CMR under KMS 2012-13 to Food Corporation of India

I would like to bring to your kind notice that on the basis of the fruitful joint deliberations held on 01-06-13 at the work shop organized by FCI in the presence of senior officials and field functionaries of FCI and BSFCSC, a district wise joint CMR delivery plan was prepared by the concerned District Manager, BSFCS and the Area Manager, FCI for seamless delivery of CMR lots to the FCI godown within the anointed time frame and a compliation of the same has been circulated by BSFC. Later, after receipt of a new direction of GoI, an amended CMR delivery plan has been circulated yet again vide letter No.5339 dated-27-06-13 according to which the last date of delivery of CMR lots i.e.31-10-13 has been revised to 30-09-13(Copy encl).

However in light of the above communication received from GoI, the poor number of CMR lots being accepted at the FCI godowns across the State is a source of major concern. The matter under reference has been analysed at the head office and as a result the following issues need to be addressed immediately.

A persual of the enclosed copies of the CMR tracker of the last two weeks reveal the following data:-

**Table**

| Sl.No | Week | State Weekly target of CMR lots delivery | Lots of CMR accepted by FCI in the current week | Short fall in the number of CMR lots accepted by FCI in current week | Total short fall in the number of CMR lots accepted by FCI at the end of the current week | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 29.06.13 to 05.07.13 | 2982 | 944 | 2038 | 6595 | |
| 2 | 06.07.13 to 12.07.13 | 2982 | 949 | 2033 | 8628 | |

The above data reveals that against a weekly target of 2982 CMR lots to be accepted by FCI at its earmarked godowns across the State, only 944 and 949 lots respectively have been accepted resulting in a short fall of 2038 and 2033 lots respectively in the weeks under reference. As a natural corrollary to the above short fall, the total short fall against the above mentioned targets has risen by leaps and bounds to 6595 and 8628 respectively.

In light of the total paddy procured under KMS 2012-13 in the State and against a target of delivery of a total number of 48069 lots of CMR, only 10273 lots of CMR has been accepted at the FCI godowns currently with 37796 lots of CMR yet to be accepted.

You are aware of the experience of KMS 2011-12 wherein due to a number of reasons, the fixed number of lots of CMR could not be accepted at the FCI godowns in time which had a deliterious effect on the quality of the same which eventually resulted in the rejection of the CMR lots and financial loss to the BSFC. Apart from that, the lack of proper monitoring by the District Managers with respsect to the delivery of procured paddy at the mills and CMR lots at the FCI godowns have resulted in variation of figures which is being looked into.

In a bid to prevent the repetition of events of the last FY, on the basis of reports obtained from the office of all the District Managers as a result of weekly Video Conference and monitoring at the Head office, FCI has been requested to address the bottlenecks vide letter no.5453 dated-29-06-13, letter no.5696 dated-08-07-13 and letter no.5856 dated 13-07-13.(copy encl.)

Perusal of the above mentioned letters shall reveal that the following issues and resulting bottlenecks need to be addressed by FCI :-

1- **Lack of clearcut Evacuation plan for the food grains in light of the storage capacity of FCI at the district level.**

2- **Sudden and unannounced cessation of acceptance of CMR lots at FCI godowns in light of limited labour capacity with arrival of railway rakes in the district.**

3- **Lack of quality control personnel at FCI godowns. Inability of the quality control personnel to accept the fixed no of CMR lots on in a day.**

4- **As against six working days in a week ear marked for acceptance of CMR lots at FCI godowns in a district, the same are received three working days or less in a week.**

5- **Delay in acceptance of CMR lots from vehicles at FCI godowns for days together has a deliterious effect on the quality of CMR coupled with lack of objectivity in the quality control norms.**

6- **Lack of cooperation on part of the labour force at the FCI godowns also affects the acceptance of CMR lots.**

7- **Lack of sharing of information with district SFC counter parts in time results in lack of coordination and inordinate delays in acceptance of CMR lots at FCI godowns.**

In light of the above facts and the willingness of the BSFCSC to adhere to the time line fixed by GoI, it is requested that depending upon the resources available at the district levels with respect to storage capacity, quality control personnel, labour force availabity at FCI godowns and movement of railway rakes, a workable CMR delivery plan enumerating the intake capacity or ability to accept CMR lots at FCI godown(s) in the district per day, may be prepared by the FCI and communicated to BSFCSC at the earliest so that the timelines can be met.

Encl-As mentioned above.

Managing Director.

Sri Satya Nand,IFS
G.M. (Area)FCI
Arunachal Bhawan,
Exhibition Road,Patna.

Memo No.5985 Patna, Dated-17.07.2013

CC.-Chairman and Managing Director,FCI, New Delhi for kind information and necessary action.

Managing Director.

Memo No.5985 Patna, Dated-17.07.2013

CC- Joint Secretary, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution Departament of Food & Public Distribution,Krishi Bhawan New Delhi in light of letter no.1(2)2013PY dated 14-06-2013 and letter no.1(2)2013-PY-I dated 25-06-2013 for kind information and necessary action.

Managing Director.

Memo No.5985 Patna, Dated-17.07.2013

CC- Principal Secretary, Food, Consumer Protection Department, Bihar, Patna for kind information and necessary action.

Managing Director.

(203

Memo No.5985 Patna, Dated-17.07.2013

CC- Chief Secretary/ Development Commissioner,Bihar, Patna for kind information and necessary action, please.

Managing Director.

Memo No.5985 Patna, Dated-17.07.2013

CC- Private Secretary of the Hon'ble Minister Food, Consumer Protection Department, Bihar, Patna for kind information and necessary action.

Managing Director.

अनु०-9

A-4

194

बिहार स्टेट फुड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0,
सोन भवन,5वीं मंजिल,वीरचन्द पटेल पथ–पटना ।

पत्र संख्या– 9064 पटना, दिनांक– 5/10/2013

प्रेषक,

डा0 दीपक प्रसाद,भा0प्र0से0,
प्रबन्ध निदेशक।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः– खरीफ विपणन मौसम 2012–13 अन्तर्गत अधिप्राप्ति धान के विरूद्ध समानुपातिक मात्रा में सी0एम0आर0 सम्बद्ध भारतीय खाद्य निगम के गोदामों/डीपो को उपलब्ध कराने हेतु अवधि विस्तार के कम में विशेष अभियान के माध्यम से ससमय लक्ष्य की प्राप्ति के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2012–13 अन्तर्गत अधिप्राप्ति धान के विरूद्ध समानुपातिक मात्रा में सी0एम0आर0 सम्बद्ध भारतीय खाद्य निगम के गोदामों/डीपो को उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृत अवधि विस्तार (31.12.2013) के आलोक में निगम स्तर पर खरीफ विपणन मौसम 2012–13 अन्तर्गत विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई।

विदित है कि खरीफ विपणन मौसम 2011–12 में अधिप्राप्ति धान के विरूद्ध सी0एम0आर0 की डिलेवरी में अप्रत्याशित विलम्ब के फलस्वरूप प्रासंगिक खरीफ विपणन मौसम में सी0एम0आर0 की डिलेवरी अधिकारिक रूप से मई 2013 से प्रारंभ हो सकी है। समीक्षोपरांत पाया गया कि कुल अधिप्राप्ति धान यथा–19.46 लाख मे.0टन.के कम में देय सी0एम0आर0 लॉट्स यथा–48313 लॉट्स के विरूद्ध दिनांक–28.09.13 तक मात्र 21687 सी0एम0आर0 के लॉट्स संबंधित भारतीय खाद्य निगम के डीपो/गोदामों पर उपलब्ध कराया जा सका है जिसमें से भारतीय खाद्य निगम द्वारा कमशः 20088 लॉट्स एवं 1599 लॉट्स स्वीकृत एवं अस्वीकृत किया गया हैं। इस प्रकार निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 42 प्रतिशत सी0एम0आर0 लॉट्स भारतीय खाद्य निगम को उपलब्ध करायी जा सकी है।

यदि संलग्न सूची में गत चार माह के आँकड़ों का अवलोकन किया जाय तो प्रत्येक सप्ताह निर्धारित लक्ष्य यथा–2356 लॉट्स के विरूद्ध औसतन 992 सी0एम0आर0 लॉट्स भारतीय खाद्य निगम द्वारा स्वीकृत की जाती है जो चिन्ता का विषय है। इस दिशा में निगम द्वारा निरंतर भारतीय खाद्य निगम से बेहतर समन्वय एवं अवरोध के निराकरण हेतु पत्राचार एवं विमर्श किया जाता रहा है तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा संयुक्त कार्य योजना तैयार करने हेतु आयोजित दो कार्यशालाओं में मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से जिला प्रबंधक एवं उनके प्रतिनिधियों की सहभागिता भी सुनिश्चित की गई किन्तु भारतीय खाद्य निगम के स्तर पर भंडारण क्षमता, कार्मिक (टी0ए0 एवं क्यू0सी0) एवं मजदूरों की कमी तथा निरंतर खाद्यान्न के रैक के आगमन एवं खाद्यान्न से भरे सीमित गोदाम एवं डीपो से Evacuation के अभाव में वांछित

प्रगति दृष्टिगोचर नही हो सकी है। फलतः केन्द्र सरकार द्वारा प्रासंगिक कार्य हेतु अवधि विस्तार के बावजूद कुल अधिशेष 28225 सी0एम0आर0 लॉट्स की सम्बद्ध भारतीय खाद्य निगम के गोदाम/डीपो पर ससमय डिलेवरी की विषम चुनौती निगम मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के समक्ष है।

साथ ही निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा भारतीय खाद्य निगम के गोदाम/डीपो पर उपलब्ध कराये गये सी0एम0आर0 लॉट्स के कम में भुगतान हेतु 885.38 करोड़ रूपये के समर्पित विपत्र के विरूद्ध मात्र 655.68 करोड़ रूपये का भुगतान प्राप्त हो सका है।

उल्लेखनीय है कि विगत कुछ वर्षो से संसाधन यथा–वित्तीय,कार्मिक, भंडारण एवं सीमित मिलिंग क्षमता की कमी के बावजूद राज्य सरकार के निदेश के अनुपालन में कई नवीन प्रयासो के अन्तर्गत निगम द्वारा चुनौती स्वीकार कर योजनाओं के ससमय एवं समुचित कार्यान्वयन का प्रयास किया जाता रहा है। इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर उचित निदेश एवं मार्गदर्शन भी प्रदान की जाती रही है तथा उच्च स्तरीय साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक के माध्यम से भी कई बिन्दुओं पर समुचित सुझाव दिये जाने के अतिरिक्त क्षेत्रीय स्तर पर भारतीय खाद्य निगम एवं राज्य खाद्य निगम के कर्मियों के बीच समन्वय में वृद्धि हेतु सार्थक प्रयास की जाती रही है।

खरीफ विपणन मौसम 2011–12 के अनुभव के आधार पर निगम मुख्यालय द्वारा अधिप्राप्ति, भंडारण, परिवहन एवं भारतीय खाद्य निगम के सम्बद्ध गोदाम एवं डीपो पर सी0एम0आर0 डिलेवरी की गति में सुधार हेतु ठोस कदम उठाते हुए कई आवश्यक निदेश एवं मार्गदर्शन जिला प्रबंधक के कार्यालय को समय–समय पर दिया जाता रहा है किन्तु क्षेत्रीय एवं जिला स्तर पर सतत् पर्यवेक्षण, अनुश्रवण तथा निगरानी के अभाव के फलस्वरूप वांछित प्रगति की कमी रही है।

इस दिशा में मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से निर्गत पत्रांक–7066 दिनांक–07.11.2012 के माध्यम से संसूचित विस्तृत दिशा–निदेश की कंडिका–10 एवं कंडिका–11 में क्षेत्रीय स्तर पर अधिप्राप्ति कार्य में वांछित सहयोग प्रदान करने हेतु जिला स्तर पर प्रबंधन, अनुश्रवण, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तथा संबंधित जिला पदाधिकारी का भूमिका का उल्लेख है। निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों की सीमित संसाधन के परिप्रेक्ष्य में अधिप्राप्ति की प्रकिया यथा–निगम के कय केन्द्र एवं पैक्स के केन्द्रों पर धान की अधिप्राप्ति, अधिप्राप्ति धान का भंडारण अथवा एकरारनामित मिलों को धान की कुटाई हेतु निर्गत किये जाने के अतिरिक्त मिलों द्वारा प्राप्त किये गये अधिप्राप्ति धान की ससमय कुटाई, सी0एम0आर0 के सम्बद्ध भारतीय खाद्य निगम के गोदाम/डीपो तक परिवहन तथा भारतीय खाद्य निगम के गोदामों पर कतिपय कारणों से सी0एम0आर0 से लदे ट्रकों के अप्रत्याशित विलम्ब में जिला प्रशासन के सकिय नेतृत्व, मार्गदर्शन एवं सहयोग की आवश्यकता महसूस की गयी है।

यदि पूर्व में दिये गये निदेश के आलोक में जिला स्तर पर धान/सी0एम0आर0 के अनुश्रवण, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण हेतु चिन्हित अपर समाहर्त्ता अथवा समकक्ष पद के पदाधिकारी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में संबंधित अनुमंडल पदाधिकारियों द्वारा प्रतिदिन अपने अनुमंडल अन्तर्गत अवस्थित एकरारनामित मिलों में प्राप्त अधिप्राप्ति धान की मात्रा, कुटाई उपरांत तैयार सी0एम0आर0 की मात्रा तथा सम्बद्ध भारतीय खाद्य निगम के गोदाम/डीपो पर सी0एम0आर0 की डिलेवरी की समीक्षा कर प्रतिवेदन जिला स्तर पर प्रेषित की जाती है तथा सभी अनुमंडल पदाधिकारियो से प्राप्त प्रतिवेदन के संकलनोपरांत जिला पदाधिकारी द्वारा जिला स्तर पर गठित टॉस्क फोर्स की साप्ताहिक बैठक निर्वाचन कार्य सदृश्य प्राथमिकता के

आधार पर आयोजित कर सभी संबंधित पदाधिकारियो से सी0एम0आर0 की डिलेवरी की दिशा में उत्पन्न गतिरोध की समीक्षा कर उक्त गतिरोधों का निराकरण किया जाता है तथा समय–समय पर आवश्यकतानुसार संबंधित प्रमंड़लीय आयुक्त का महत्वपूर्ण मार्ग दर्शन एंव दिशा–निर्देश प्राप्त किया जाता है तो इस विशेष अभियान से सी0एम0आर0 के अधिशेष लॉट्स की ससमय डिलेवरी के लक्ष्य की प्राप्ति में व्यापक सुधार होने की उम्मीद है।

इसके अतिरिक्त यदि राज्य सरकार मनरेगा दिवस के सदृश्य प्रत्येक सप्ताह के एक कार्य दिवस को खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में संसूचित करने का निर्णय लेती है तो उक्त कार्य दिवस को जिला स्तर पर वरीय उपसमाहर्त्ता स्तर के पदाधिकारी के नेतृत्व में गठित जाँच दलों द्वारा तत्काल खाद्य सुरक्षा के एक महत्वपूर्ण बिन्दु यथा अधिप्राप्ति अन्तर्गत जिला के एकरारनामित मिलों के भौतिक सत्यापन के माध्यम से मिलवार प्राप्त अधिप्राप्ति धान की अधिशेष मात्रा, कुटाई उपरांत मिल परिसर में तैयार एवं उपलब्ध सी0एम0आर0 की मात्रा, संबंधित मिल की अधिष्ठापित/कार्यरत मिलिंग एवं भंडारण क्षमता तथा अधिप्राप्ति के कम में खाद्यान्न के आगत एवं निर्गत सम्बन्धित लेखा संधारण के बिन्दुओं की जाँच कराकर सुस्पष्ट अनुशंसा के साथ अग्रेतर कार्रवाई हेतु जाँच प्रतिवेदन उसी कार्य दिवस को जिला पदाधिकारी को उपलब्ध कराये जाने के बिन्दु पर भी विचार किया जा सकता है। उपर्युक्त कार्रवाई से सी0एम0आर0 डिलेवरी की प्रगति में वांछित सुधार एवं आगामी खरीफ विपणन मौसम हेतु चिन्हित मिलों के साथ एकरारनामा करने में जिला प्रशासन को सहयोग प्राप्त होने की उम्मीद है।

उपर्युक्त पृष्ठभूमि के आलोक में अनुरोध है कि खरीफ विपणन मौसम 2012–13 के अन्तर्गत विशेष अभियान के माध्यम से ससमय लक्ष्य की प्राप्ति हेतु भारतीय खाद्य निगम को समुचित एवं सकरात्मक सहयोग प्रदान करने तथा जिला प्रशासन को जिलान्तर्गत शेष एकरारनामित मिलों में अधिशेष अधिप्राप्ति धान की मिलिंग एवं समानुपातिक मात्रा में FAQ गुणवत्तायुक्त सी0एम0आर0 की सम्बद्ध भारतीय खाद्य निगम के गोदाम/डीपो में डिलेवरी की प्रक्रिया की सतत् निगरानी, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करने हेतु पुनः निदेशित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक–यथावर्णित।

विश्वासभाजन,

प्रबन्ध निदेशक
5.10.13

अनु-10

A-8

201

Bihar State Food & Civil Supplies [illegible] n Ltd.
Sone Bhawan 5th floor, Birchand Pa[illegible]a-1

Letter No.- 10176 Patna, Dated- 16.11.2013

From

Dr.Deepak Prasad,IAS
Managing Director.

To

CMD,
FCI New Delhi.

Sub:- **Regarding breaking of impasse with regard to delivery of CMR under KMS 2012-13 to Food Corporation of India.**

Sir,

I would like to take this opportunity to thank you for advocating the cause of BSFC with regard to extension of the last date of delivery of CMR under KMS 2012-13 which the GoI has kindly consented to extend till 31-12-13.

In light of the above mentioned positive development, a workshop was organised by the GM, FCI on 31-08-13 to prepare a joint amended CMR delivery plan for all the 38 districts which was duly communicated to all the District Managers for immediate action.

It would not be out of place to bring to your kind notice that the office of GM, FCI, Bihar, Patna has been repeatedly requested for the removal of bottlenecks at his end by the Corporation, on a regular basis. These communications have been interspersed and rigourously followed up with telephonic requests on a day to day basis depending upon the exigencies at hand from the Corporation's end but somehow the effort at both ends have yet to bear fruit.

The regular constraints at the FCI depots'end invariably refer to issues related with cessation of work i.e.non acceptance of CMR lots due to:-

1- Lack of storage space in godowns due to lack of timely evacuation of grains.
2- Inordinate delay in unloading of CMR laden vehicles.
3- Shortage of Labour.
4- Sudden and unannounced arrival of food grain laden railway rakes.
5- Non-receipt days.
6- Lifting of TPDS grains
7- Unannounced physical verification of FCI godown/depots with no alternative arrangement
8- Compliance of vigilance directives with regard to zero balance.

The latest to join the exalted list of above mentioned probabilities is the recent available report which refers to the decision of the labour work force at a couple of FCI godowns/ depots to abide by the principle of "Work to Rule" with no alternatives in sight.

200

Thus the recurring instances of abysmally poor number of CMR lots being accepted at the FCI godowns/depots across the State in a week remains a major source of concern and hardly needs to be over emphasised as is revealed by the following data :-

**Table**

| Sl.No | Week | State Weekly target of CMR lots delivery | Lots of CMR accepted by FCI in the current week | Shortfall in the number of CMR lots accepted by FCI in current week | Total No.of deliverable CMR lots. | Total CMR lots delivered till date | Remaining no of CMR lots to be delivered | Remarks % achievement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 26.10.13 to01.11.13 | 3689 | 891 | 2798 | 48313 | 23380 | 24933 | 48.39 |
| 2 | 02.11.13 to 08.11.13 | | 318 | 3371 | | 23698 | 24615 | 49.00 |
| 3 | 09.11.13 to 15.11.13 | | 491 | 3198 | | 24189 | 24124 | 50.00 |

In light of the above facts and the willingness of the BSFCSC to adhere to the time line fixed by GoI, it is requested that adequate directions may be issued from your end to rescue the dismal situation at hand or suggest alternatives to help the Corporation meet the burgeoning target in time. .

Yours faithfully,

Managing Director

Memo No. 10176 Patna, Dated-16/11/2013

CC- Joint Secretary, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution Departament of Food & Public Distribution,Krishi Bhawan New Delhi in light of letter dated 23-09-2013 for kind information and necessary action.

Managing Director.

Memo No. 10176 Patna, Dated-16/11/2013

CC- Principal Secretary, Food, Consumer Protection Department, Bihar, Patna for kind information and necessary action.

Managing Director

Memo No. 10176 Patna, Dated-16/11/2013

CC- Chief Secretary, Bihar, Patna/Development Commissioner,Bihar Patna for kind information.

Managing Director

A-1

अनु०-11

बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0,
सोन भवन, 5वीं मंजिल, बीरचन्द पटेल पथ, पटना–800001

पत्रांक– 4521 पटना, दिनांक– 31.5.13

प्रेषक,

प्रमुख अधिप्राप्ति,
मुख्यालय, पटना।

सेवा में,

महा प्रबंधक (क्षेत्र),
भारतीय खाद्य निगम,
एक्जीबिशन रोड़, पटना।

विषय :– दिनांक 16.01.13, 21.01.13, 28.01.13, 04.02.13, 11.02.13, 18.02.13, 25.02.13, 04.3.13, 12.03.13, 18.03.03, 26.03.13, 01.04.13, 08.04.13, 15.04.13, 22.04.13, 30.04.13, 06.05.13, 13.05.13 , 20.05.13 ,27.5.13 को हुए Video Conference में उठाये गये समस्याओं के निराकरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में दिनांक 16.01.13, 21.01.13, 28.01.12, 04.02.13, 11.02.13 18.02.13, 25.02.13, 04.03.13, 12.03.13 एवं 18.03.13, 26.03.13, 01.04.13, 08.04.13, 15.04.13, 22.04.13, 30.04.13, 06.05.13 , 13.05.13 एवं 20.5.13 को सम्पन्न Video Conference में उठाये गये समस्याओं के निराकरण हेतु जिलावार विवरणी के साथ निगम मुख्यालय पत्रांक 4442 दिनांक 24.05.13 के द्वारा आपसे अनुरोध किया गया था, परन्तु अभी तक उक्त समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ है। पुनः दिनांक 27.05.13 को इन समस्याओं को विडियो कान्फ्रेंस में उठाया गया है, जिसका निराकरण किया जाना नितान्त आवश्यक है। जिलों से संबंधित समस्याओं की विवरणी निम्न प्रकार है :–

(1) नालन्दा (i) नालन्दा जिला में एक QC कार्यरत होने के कारण वहाँ समय पर सी0एम0आर0 का जाँच नहीं हो पा रहा है। वहाँ पर QC के बहाली हेतु निगम मुख्यालय पत्रांक 4300 दिनांक 17.5.13 एवं पत्रांक 4442 दिनांक 24.5.13 के माध्यम से अनुरोध किया गया है परन्तु अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो सकी है। पुनः अनुरोध है वहाँ कम से कम दो QC बहाल करने की कृपा की जाय।

(ii) नालन्दा जिला का जमा किया गया सी0एम0आर0 का भारतीय खाद्य निगम, नालन्दा डीपो द्वारा acceptance note नहीं उपलब्ध कराने के कारण वहाँ 12.54 करोड़ रू0 का विपत्र जमा नहीं हो पा रहा है। फलतः राज्य खाद्य निगम को ब्याज के रूप में आर्थिक क्षति हो रही है। अतः अनुरोध है कि acceptance note उपलब्ध कराने के लिए संबंधित क्षेत्र प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम डीपो, नालन्दा को आवश्यक निदेश देने की कृपा की जाय।

(2) रोहतास– (i) भारतीय खाद्य निगम डेहरी तथा सासाराम डीपो के भरा रहने के कारण वहाँ सी0एम0आर0 प्राप्ति की गति काफी धीमी है।

(ii) इसके अतिरिक्त सी0डब्लू0सी0 का गोदाम खाली है, जिसे भारतीय खाद्य निगम द्वारा उपयोग में लाने पर वहाँ सी0एम0आर0 जमा करने में गति आ सकती है।

अतः अनुरोध है कृपया डेहरी तथा सासाराम स्थित भारतीय खाद्य निगम गोदाम में रेक प्लानिंग इस प्रकार की जाय कि गोदाम खाली हो सके एवं वहाँ सी0एम0आर0 प्राप्त किया जा सके। साथ ही सी0डब्लू0सी0 का 2500 मे0 टन भंडारण क्षमता के गोदाम को अपने अधीन उपयोग में लाया जाय ताकि सी0एम0आर0 की प्राप्ति में गति आ सके।

3) बक्सर :

(i) बक्सर जिला में मात्र 4 QC कार्यरत है। QC की कमी रहने के कारण वहाँ सी0एम0आर0 जमा करने में काफी कठिनाई हो रही है। इस संदर्भ में पूर्व में निगम पत्रांक 3857 दिनांक 28.04.13, पत्रांक 3976 दिनांक 02.05.13 एवं पत्रांक 4123 दिनांक 09.05.13 द्वारा 6 QC बहाल करने का अनुरोध किया गया है, परन्तु अभी तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो सकी है। पुनः अनुरोध है वहाँ कम से कम 1 अतिरिक्त QC बहाल करने की कृपा की जाय ताकि समय पर सी0एम0आर0 जमा हो सके।

S/Doc.Pro.V.C.Compl.

(4) जहानाबाद : (i) जहानाबाद में एक Q.C.Personnel के रहने के कारण वहाँ सी0एम0आर0 जमा कराने में काफी कठिनाई हो रही है। अतः अनुरोध है कृपया वहाँ अतिरिक्त Q.C.Personnel बहाल करने की कृपा की जाय ताकि समय पर सी0एम0आर0 जमा हो सके।

(ii) जहानाबाद स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदाम की भण्डारण क्षमता कम होने के कारण वहाँ सी0एम0आर0 जमा करने में कठिनाई हो रही है। अतः अनुरोध है कृप्या वहाँ अतिरिक्त गोदाम की व्यवस्था की जाय ताकि सी0एम0आर0 जमा हो सके।

(5) गया एवं जहानाबाद : भारतीय खाद्य निगम के अधिक बेस डीपो रहने से वहाँ सी0एम0आर0 जमा करने में काफी सहुलियत रहती है। गया स्थित SWC के दुर्गाबाड़ी गोदाम को खोले जाने के लिये पूर्व में निगम मुख्यालय पत्रांक 3857 दिनांक 28.04.13, पत्रांक 3976 दिनांक 02.05.13, पत्रांक 4123 दिनांक 09.05.13 एवं पत्रांक 4300 दिनांक 17.05.13 द्वारा अनुरोध किया गया, परन्तु अभी तक उक्त गोदाम नहीं खोला गया है।

इसके अतिरिक्त कटारी हिल सी0डब्लू0सी0 के गोदाम में रैक प्लेसमेंट इस प्रकार हो रहा है कि वहाँ लक्ष्य के अनुसार सी0एम0आर0 जमा नहीं हो पा रहा है।

अतः पुनः अनुरोध है कृपया गया स्थित एस0डब्लू0सी0 के दुर्गाबाड़ी बेस गोदाम एवं कटारी हिल गोदाम को चालू रखा जाय इसे बन्द नहीं किया जाय एवं रैक प्लेसमेंट की व्यवस्था इस प्रकार किया जाय ताकि वहाँ सी0एम0आर0 जमा हो सके। इस संबंध में जिला पदाधिकारी, गया द्वारा Video Conference के दौरान बार–बार अनुरोध किया जा रहा है, जिसके आलोक में महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम द्वारा पूर्व के विडियो कान्फ्रेंस के कम में यह बताया गया कि दुर्गाबाड़ी बेस गोदाम को दो–तीन दिनों के अन्दर पुनः शुरू कर दिया जायेगा। अतः इस पर त्वरित कार्रवाई अपेक्षित है।

(6) कैमूर : मोहनिया एवं कुदरा स्थित भारतीय खाद्य निगम गोदाम के भरा रहने के कारण वहाँ सी0एम0आर0 प्राप्त करना बन्द कर दिया गया है। इस संदर्भ में गोदाम खाली करने हेतु निगम मुख्यालय पत्रांक 4123 दिनांक 09.05.13 एवं 4300 दिनांक 17.05.13 एवं पत्रांक 4442 दि0 24.5.13 के माध्यम से आप से अनुरोध किया गया है, परन्तु अभी भी यह समस्या बनी हुई है, जिससे वहाँ सी0एम0आर0 जमा नहीं हो रहा है। अतः अनुरोध है कि वहाँ रैक प्लानिंग इस प्रकार की जाय कि गोदाम खाली हो सके एवं सी0एम0आर0 प्राप्त किया जा सके।

(7) जमुई : (i) जमुई जिला का अधिप्राप्ति धान का सी0एम0आर0 लखीसराय स्थित भारतीय खाद्य निगम डीपो में जमा किया जाना है। इस डीपो के कार्यरत नहीं रहने के कारण वहाँ सी0एम0आर0 जमा नहीं हो पा रहा है। इसे चालू करने के लिए निगम मुख्यालय पत्रांक 4300 दिनांक 17.05.13 के माध्यम से अनुरोध किया गया था, परन्तमु अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो सकी है।

पुनः अनुरोध है कृपया लखीसराय स्थित भारतीय खाद्य निगम डीपो को चालू कराया जाय ताकि वहाँ सी0एम0आर0 जमा हो सके।

(ii) जमुई जिला का सी0एम0आर0 विगत दो सप्ताह से भारतीय खाद्य निगम डीपो में प्राप्त नहीं किया जा रहा है।

अनुरोध है कृप्या वहाँ सी0एम0आर0 प्राप्त करने हेतु संबंधित क्षेत्र प्रबंधक को आवश्यक निदेश देने की कृपा की जाय।

(8) सिवान : (i) सिवान स्थित भारतीय खाद्य निगम डीपो में डंपिंग के लिये जगह नहीं रहने के कारण वहाँ सी0एम0आर0 प्राप्त नहीं किया जा रहा है। इस समस्या का समाधान हेतु पूर्वमें निगम मुख्यालय पत्रांक 4300 दिनांक 17.05.13 द्वारा अनुरोध किया गया है, परन्तु अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो सकी है। पुनः अनुरोध है कि उक्त समस्या का समाधान अपने स्तर से करने की कृपा की जाय ताकि वहाँ सी0एम0आर0 प्राप्त किया जा सके। अथवा सी0एम0आर0 प्राप्त करने हेतु वहाँ अन्य बेस डीपो की व्यवस्था की कृपा जाय।

(9) किशनगंज : किशनगंज में भारतीय खाद्य निगम का सिर्फ एक ही बेस डीपो होने के कारण वहाँ सी0एम0आर0 जमा करने में काफी कठिनाई हो रही है। एक दूसरा बेस गोदाम खोलने के लिए निगम मुख्यालय पत्रांक 4300 दिनांक 17.05.13 एवं पत्रांक 4442 दि0 24.5.13 के द्वारा अनुरोध किया गया है, परन्तु अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो सकी है।

पुनःअनुरोध है कि वहाँ पर बिस्कोमान का गोदाम जो खाली पड़ा हुआ है, उसे अपने अधीन लेकर चालू कराने की कृपा की जाय, ताकि वहाँ 30 लॉट सी0एम0आर0 प्रति दिन जमा किया जा

सके। इस संबंध में विडियो कान्फ्रेंस के क्रम में बिस्कोमान गोदाम का तुरंत निरीक्षण कराने संबंधी आश्वासन भारतीय खाद्य निगम के प्रतिनिधि द्वारा दिया गया था।

(10) मधुबनी : पण्डौल स्थित भारतीय खाद्य निगम डीपो बन्द हो जाने के कारण वहाँ सी0एम0आर0 जमा नहीं हो पा रहा है। अनुरोध है कृप्या उक्त गोदाम को पुनः चालू किया जाय ताकि वहाँ सी0एम0आर0 जमा किया जा सके।

(11) गोपालगंज : गोपालगंज में भारतीय खाद्य निगम के डीपो नहीं रहने के कारण वहाँ का सी0एम0आर0 सिवान में जमा कराया जाता है, जिससे एक ही सेन्टर होने के कारण निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सी0एम0आर0 का लॉट जमा नहीं हो पायेगा। अतः अनुरोध है कि बिस्कोमान का 2000 मे0 टन भण्डारण क्षमता का गोदाम जो खाली पड़ा हुआ है, उसे अपने अधीन लेकर चालू कराया जाय ताकि वहाँ निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सी0एम0आर0 जमा किया जा सके।

(12) वैशाली : वैशाली जिला में भारतीय खाद्य निगम के एक ही बेस डीपो होने के कारण वहाँ सी0एम0आर0 जमा नहीं हो पा रहा है।

अनुरोध है कृपया शीघ्रातिशीघ्र अत्यावश्यक रूप से एक अतिरिक्त बेस डीपो खोलने की व्यवस्था करने की कृपा की जाय ताकि सी0एम0आर0 जमा हो सके।

(13) अरवल : अरवल जिला का सी0मएआर0 भारतीय खाद्य निगम, जहानाबाद डीपो में प्राप्त किये जाने की गति काफी धीमी होने के कारण वहाँ मात्र 5 से 6 लॉट ही प्राप्त किया जा रहा है, जिसके कारण लक्ष्य के अनुसार सी0एम0आर0 जमा नहीं हो पायेगा।

अतः अंनुरोध है कृप्या अरवल जिला का सी0एम0आर0 प्राप्त करने की अतिरिक्त व्यवस्था करने की कृपा की जाय।

(14) कटिहार : कटिहार जिला का सी0एम0आर0 भारतीय खाद्य निगम डीपो में प्राप्त करने का निर्धारित अवधि कम है एवं वहाँ सी0एम0आर0 प्राप्त करने की गति भी काफी धीमी है। अनुरोध है कृपया वहाँ सभी छः कार्य दिवस को सी0एम0आर0 प्राप्त करने हेतु संबंधित क्षेत्र प्रबंधक को आवश्यक निदेश देने की कृपा की जाय, ताकि समय पर सी0एम0आर0 जमा हो सके।

(15) भारतीय खाद्य निगम द्वारा Acceptance Note उपलब्ध कराया जाना : निम्नलिखित जिलों में भारतीय खाद्य निगम डीपो में जमा अधिप्राप्ति खाद्यान्नों का Acceptance Note नहीं उपलब्ध कराये जाने के कारण उसका विपत्र जमा नहीं हो पा रहा है। फलतः राज्य खाद्य निगम का एक बहुत बड़ी पूँजी फंसी हुई है एवं ब्याज के रूप में निगम को आर्थिक हानि हो रही है। विवरणी निम्न प्रकार है :-

1. कैमूर — 10.00 करोड़ रू0
2. गया — 80.00 लाख रू0
3. जहानाबाद — 5.00 गरोड़ रू0
4. सारण — 621 मे0 टन सी0एम0आर0 का
5. मोतिहारी — 2.05 करोड़ रू0

अनुरोध है कृप्या उक्त जिलों के जमा अधिप्राप्ति खाद्यान्नों का Acceptance Note उपलब्ध कराने हेतु संबंधित क्षेत्र प्रबंधक को आवश्यक निदेश देने की कृपा की जाय, ताकि इसका विपत्र जमा किया जा सके एवं निगम को आर्थिक क्षति से बचाया जा सके।

(16) नवादा : वारसलीगंज भारतीय खाद्य निगम डीपो में QC Personnel नहीं रहने के कारण वहाँ सी0एम0आर0 जमा नहीं हो पा रहा है।

अनुरोध है कृपया वहाँ QC Personnel की व्यवस्था करने की कृपा की जाय, ताकि वहाँ सी0एम0आर0 जमा हो सके।

(17) टी0पी0डी0एस0 खाद्यान्नों की आवश्यकता :

निम्नलिखित जिलों में भारतीय खाद्य निगम डीपो में टी0पी0डी0एस0 खाद्यान्नों के नहीं रहने के कारण वहाँ गेहूँ एवं चावल का उठाव कार्य बाधित है। फलतः टी0पी0डी0एस0 खाद्यान्नों का वितरण नहीं हो पा रहा है :-

(i) जमुई — गेहूँ की आवश्यकता है।

(ii) रोहतास – गेहूँ की आवश्यकता है।
(iii) किशनगंज – चावल की आवश्यकता है।

अतः अनुरोध है कि कृपया उक्त अंकित आवश्यक गेहूँ एवं चावल की व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र कराने की कृपा की जाय, ताकि वहाँ खाद्यान्नों का वितरण सुनिश्चित किया जा सके।

(18) सी0एम0आर0–

निम्नलिखित जिलों का के0एम0एस0 2012–13 का अधिप्राप्ति धान का सी0एम0आर0 तैयार है परन्तु संबंधित भारतीय खाद्य निगम डीपो द्वारा प्राप्त नहीं किया जा रहा है।

(i) औरंगाबाद– 200 लॉट सी0एम0आर0 तैयार है।
(ii) जमूई – 851 लॉट सी0एम0आर0 तैयार है परन्तु ए0आर0डी0सी0 जमूई द्वारा प्राप्त नहीं किया गया।
(iii) गोपालगंज– 235 लॉट सी0एम0आर0 तैयार है परन्तु भारतीय खाद्य निगम डीपो द्वारा प्राप्त नहीं किया गया।
(iv) नालन्दा – 200 लॉट सी0एम0आर0तैयार है परन्तु भारतीय खाद्य निगम डीपो नालन्दा में QC की समस्या के कारण सी0एम0आर0 प्राप्त नहीं किया गया।

अनुरोध है कृपया संबंधित क्षेत्र प्रबंधक को इस सन्दर्भ में आवश्यक निदेश देने की कृपा की जाय ताकि उक्त जिलों का सी0एम0आर0 प्राप्त किया जा सके।

(19) भोजपुर – भोजपुर जिला स्थित भारतीय खाद्य निगम डीपो में मात्र दो QC Personnel के कार्यरत होने के कारण वहाँ पर्याप्त मात्रा में सी0एम0आर0 जमा नहीं हो पा रहा है।

अनुरोध है कृपया कम से कम एक अतिरिक्त QC Personnel की वहाँ बहाली करने की कृपा की जाय ताकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में सी0एएम0आर0 जमा किया जा सके।

उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं पर Video Conference में उठायी गयी समस्याओं के निराकरण हेतु शीघ्र कार्रवाई अपेक्षित है, ताकि खरीफ विपणन मौसम 2012–13 का अधिप्राप्ति धान का सी0एम0आर0 समय पर जमा किया जा सके।

विश्वासभाजन,
ह0/– 31.5
प्रमुख अधिप्राप्ति।
31/5/13

ज्ञापांक– 4581 पटना, दिनांक– 31.5.13
प्रतिलिपि प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.5.13
प्रमुख अधिप्राप्ति।
31/5/13

ज्ञापांक– 4581 पटना, दिनांक– 31.5.13
प्रतिलिपि मुख्य सचिव के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

31.5
प्रमुख अधिप्राप्ति।
31/5/13

ज्ञापांक– 4581 पटना, दिनांक– 31.5.13
प्रतिलिपिः गोपनीय शाखा, मुख्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

31.5.13
प्रमुख अधिप्राप्ति।
31/5/13

अनु०-12

# बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0

सोन भवन, 5वीं मंजिल, बीरचन्द पटेल पथ, पटना-800001

पत्रांक- 4901 पटना, दिनांक- 14.6.13

प्रेषक,

प्रमुख अधिप्राप्ति,
मुख्यालय, पटना।

सेवा में,

महा प्रबंधक (क्षेत्र),
भारतीय खाद्य निगम,
एक्जीबिशन रोड़, पटना।

विषय :- दिनांक 16.01.13, 21.01.13, 28.01.13, 04.02.13, 11.02.13, 18.02.13, 25.02.13, 04.3.13, 12.03.13, 18.03.03, 26.03.13, 01.04.13, 08.04.13, 15.04.13, 22.04.13, 30.04.13, 06.05.13, 13.05.13, 20.05.13, 27.5.13, 03.06.13 एवं 10.06.13 को हुए Video Conference में उठाये गये समस्याओं के निराकरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में दिनांक 16.01.13, 21.01.13, 28.01.12, 04.02.13, 11.02.13 18.02.13, 25.02.13, 04.03.13, 12.03.13 एवं 18.03.13, 26.03.13, 01.04.13, 08.04.13, 15.04.13, 22.04.13, 30.04.13, 06.05.13, 13.05.13, 20.5.13, 27.05.13 एवं 03.06.13 को सम्पन्न Video Conference में उठाये गये समस्याओं के निराकरण हेतु जिलावार विवरणी के साथ निगम मुख्यालय पत्रांक 4783 दिनांक 7.6.13 के द्वारा आपसे अनुरोध किया गया था, परन्तु अभी तक उक्त समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ है। पुनः दिनांक 10.06.13 को इन समस्याओं को विडियो कान्फ्रेंस में उठाया गया है, जिसका निराकरण किया जाना नितान्त आवश्यक है। जिलों से संबंधित समस्याओं की विवरणी निम्न प्रकार है :-

(1) नालन्दा (i) नालन्दा जिला में एक QC कार्यरत होने के कारण वहां समय पर सी0एम0आर0 का जॉच नहीं हो पा रहा है। वहॉ पर QC के बहाली हेतु निगम मुख्यालय पत्रांक 4300 दिनांक 17.5.13, 4442 दिनांक 24.05.13, पत्रांक 4571 दिनांक 31.05.13 एवं पत्रांक 4783 दिनांक 07.06.13 के माध्यम से अनुरोध किया गया है परन्तु अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो सकी है। पुनः अनुरोध है वहाँ कम से कम दो QC बहाल करने की कृपा की जाय।

(ii) नालन्दा स्थित सी0डब्लू0सी0 के गोदाम में बराबर लेबर समस्या खड़ा होते रहते हैं, जिसके कारण लक्ष्य के अनुसार वहॉ सी0एम0आर0 जमा नहीं हो पा रहा है।

अतः अनुरोध है कि कृपया इस लेबर समस्या का निदान अपने स्तर से करने की कृपा की जाय।

(2) रोहतास- (i) भारतीय खाद्य निगम डेहरी तथा सासाराम डोपो में भरा रहने के कारण वहॉ सी0एम0आर0 प्राप्ति की गति काफी धीमी है। इस समस्या के समाधान हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 4571 दिनांक 31.05.13 एवं पत्रांक 4783 दिनांक 07.06.13 के माध्यम से आपसे अनुरोध किया गया है, परन्तु अभी तक इसका समाधान नहीं हो सका है।

(ii) इसके अतिरिक्त सी0डब्लू0सी0 का गोदाम खाली है, जिसे भारतीय खाद्य निगम द्वारा उपयोग में लाने पर वहॉ सी0एम0आर0 जमा करने में गति आ सकती है।

पुनः अनुरोध है कृपया डेहरी तथा सासाराम स्थित भारतीय खाद्य निगम गोदाम में रेक प्लानिंग इस प्रकार की जाय कि गोदाम खाली हो सके एवं वहॉ सी0एम0आर0 प्राप्त किया जा सके। साथ ही सी0डब्लू0सी0 का 2500 मे0 टन भंडारण क्षमता के गोदाम को अपने अधीन उपयोग में लाया जाय ताकि सी0एम0आर0 की प्राप्ति की जा सके।

3) बक्सर :

(i) बक्सर जिला में मात्र 4 QC कार्यरत है। QC की कमी रहने के कारण वहॉ सी0एम0आर0 जमा करने में काफी कठिनाई हो रही है। इस संदर्भ में पूर्व में निगम पत्रांक 3857 दिनांक 28.04.13, पत्रांक 3976 दिनांक 02.05.13 एवं पत्रांक 4123 दिनांक 09.05.13 द्वारा 6 QC बहाल करने का अनुरोध किया गया है, परन्तु अभी तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो सकी है। पुनः अनुरोध है वहां कम से कम 1 अतिरिक्त QC बहाल करने की कृपा की जाय ताकि समय पर सी0एम0आर0 जमा हो सके।

(ii) बक्सर स्थित भारतीय खाद्य निगम के चार गोदामों में मात्र एक गोदाम एस0डब्लू0सी0 द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है जिसके कारण लक्ष्य के अनुसार सी0एम0आर0 का लॉट जमा नहीं हो पा रहा है।

अनुरोध है कृप्या वहॉ सी0एम0आर0 की प्राप्ति हेतु सभी चा0 गोदामों को उपयोग में लाने हेतु सबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक को आवश्यक निदेश देने की कृपा की जाय।

(4) जहानाबाद : (i) जहानाबाद में एक Q.C.Personnel के रहने के कारण वहॉ सी0एम0आर0 जमा कराने में काफी कठिनाई हो रही है। अतः अनुरोध हैं कृपया वहॉ अतिरिक्त Q.C.Personnel बहाल करने की कृपा की जाय ताकि समय पर सी0एम0आर0 जमा हो सके।

(ii) जहानाबाद स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदाम की भण्डारण क्षमता कम होने के कारण वहॉ सी0एम0आर0 जमा करने में कठिनाई हो रही है। अतः अनुरोध है कृपया वहॉ अतिरिक्त गोदाम की व्यवस्था की जाय ताकि सी0एम0आर0 जमा हो सके।

(5) गया : भारतीय खाद्य निगम के अधिक बेस डीपो रहने से वहॉ सी0एम0आर0 जमा करने में काफी सहुलियत रहती है। गया स्थित SWC के दुर्गाबाड़ी गोदाम को खोले जाने के लिये पूर्व में निगम मुख्यालय पत्रांक 3857 दिनांक 28.04.13, पत्रांक 3976 दिनांक 02.05.13, पत्रांक 4123 दिनांक 09.05.13 पत्रांक 4300 दिनांक 17.05.13, पत्रांक 4571 दिनांक 31.05.13 एवं पत्रांक 4783 दिनांक 07.06.13 द्वारा अनुरोध किया गया, परन्तु अभी तक उक्त गोदाम नहीं खोला गया है।

इसके अतिरिक्त कटारी हिल सी0डब्लू0सी0 के गोदाम में रैक प्लेसमेंट इस प्रकार हो रहा है कि वहॉ लक्ष्य के अनुसार सी0एम0आर0 जमा नहीं हो पा रहा है।

अतः पुनः अनुरोध है कृपया गया स्थित एस0डब्लू0सी0 के दुर्गाबाड़ी बेस गोदाम एवं कटारी हिल गोदाम को चालू रखा जाय इसे बन्द नहीं किया जाय एवं रैक प्लेसमेंट की व्यवस्था इस प्रकार किया जाय ताकि वहॉ सी0एम0आर0 जमा हो सके। इस संबंध में जिला पदाधिकारी, गया द्वारा Video Conference के दौरान बार–बार अनुरोध किया जा रहा है, जिसके आलोक में महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम द्वारा पूर्व के विडियो कान्फ्रेंस के क्रम में यह बताया गया कि दुर्गाबाड़ी बेस गोदाम को दो–तीन दिनों के अन्दर पुनः शुरू कर दिया जायेगा। अतः इस पर त्वरित कार्रवाई अपेक्षित है।

(6) कैमूर : मोहनिया एवं कुदरा स्थित भारतीय खाद्य निगम गोदाम के भरा रहने के कारण वहॉ सी0एम0आर0 प्राप्त करना बन्द कर दिया गया है। इस संदर्भ में गोदाम खाली करने हेतु निगम मुख्यालय पत्रांक 4123 दिनांक 09.05.13 एवं 4300 दिनांक 17.05.13, पत्रांक 4442 दि0 24.5.13, 4571 दिनांक 31.05.23 एवं पत्रांक 4783 दिनांक 07.06.13 के माध्यम से आप से अनुरोध किया गया है, परन्तु अभी भी यह समस्या बनी हुई है, जिससे वहॉ सी0एम0आर0 जमा नहीं हो रहा है। अतः पुनः अनुरोध है कि वहॉ रैक प्लानिंग इस प्रकार की जाय कि गोदाम खाली हो सके एवं सी0एम0आर0 प्राप्त किया जा सके।

(7) जमुई : (i) जमुई जिला का अधिप्राप्ति धान का सी0एम0आर0 लखीसराय स्थित भारतीय खाद्य निगम डीपो में भी जमा किया जाना है। इस डीपो के विगत एक माह से कार्यरत नहीं रहने के कारण वहॉ सी0एम0आर0 जमा नहीं हो पा रहा है। इसे चालू करने के लिए निगम मुख्यालय पत्रांक 4300 दिनांक 17.05.13,पत्रांक 4571 दिनांक 31.05.13 एवं पत्रांक 4683 दिनांक 07.06.13 के माध्यम से अनुरोध किया गया था, परन्तु अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो सकी है।

पुनः अनुरोध है कृपया लखीसराय स्थित भारतीय खाद्य निगम डीपो को चालू कराया जाये ताकि वहॉ सी0एम0आर0 जमा हो सके।

(8) सिवान : (i) सिवान स्थित भारतीय खाद्य निगम डीपो में डंपिंग के लिये जगह नहीं रहने के कारण वहॉ सी0एम0आर0 प्राप्त नहीं किया जा रहा है। इस समस्या का समाधान हेतु पूर्व में निगम मुख्यालय पत्रांक 4300 दिनांक 17.05.13, पत्रांक 4571 दिनांक 31.05.13 एवं पत्रांक 4783 दिनांक 07.06.13 के द्वारा अनुरोध किया गया है, परन्तु अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो सकी है। पुनः अनुरोध है कि उक्त समस्या का समाधान अपने स्तर से करने की कृपा की जाय ताकि वहॉ सी0एम0आर0 प्राप्त किया जा सके। अथवा सी0एम0आर0 प्राप्त करने हेतु वहॉ अन्य बेस डीपो की व्यवस्था की कृपा जाय।

(ii) सिवान स्थित भारतीय खाद्य निगम डीपो में लेबर समस्या के कारण वहॉ प्राप्त टी0पी0डी0एस0 खाद्यान्नों को निर्गत नहीं किया जा रहा है।

अनुरोध है कृप्या इस लेबर समस्या का अपने स्तर से समाधान कराने की कृपा की जाय ताकि वहॉ से टी0पी0डी0एस0 खाद्यान्न निर्गत हो सके।

(9) किशनगंज : किशनगंज में भारतीय खाद्य निगम का सिर्फ एक ही बेस डीपो होने के कारण वहॉ सी0एम0आर0 जमा करने में काफी कठिनाई हो रही है। एक दूसरा बेस गोदाम खोलने के लिए निगम मुख्यालय पत्रांक 4300 दिनांक 17.05.13, पत्रांक 4442 दिनांक 24.5.13 एवं पत्रांक 4571 दिनांक 31.05.13 के द्वारा अनुरोध किया गया है, परन्तु अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो सकी है।

पुनःअनुरोध है कि वहॉ पर बिस्कोमान का गोदाम जो खाली पड़ा हुआ है, उसे अपने अधीन लेकर चालू कराने की कृपा की जाय, ताकि वहॉ 30 लॉट सी0एम0आर0 प्रति दिन जमा किया जा

करें। इस संबंध में विडियो कान्फ्रेंस के क्रम में बिस्कोमान गोदाम का तुरंत निरीक्षण कराने संबंधी अनुरोध भारतीय खाद्य निगम के प्रतिनिधि द्वारा दिया गया था।

(10) मधुबनी : पण्डौल स्थित भारतीय खाद्य निगम डीपो बन्द हो जाने के कारण वहाँ सी0एम0आर0 जमा नहीं हो पा रहा है। इसे चालू किये जाने हेतु निगम पत्रांक 4783 दिनांक 07.06.13 के द्वारा अनुरोध किया गया है, परन्तु अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो सकी है। पुनः अनुरोध है कृपया उक्त गोदाम को पुनः चालू किया जाय ताकि वहाँ सी0एम0आर0 जमा किया जा सके।

(11) गोपालगंज : गोपालगंज में भारतीय खाद्य निगम के डीपो नहीं रहने के कारण वहाँ का सी0एम0आर0 सिवान में जमा कराया जाता है, जिससे एक ही सेन्टर होने के कारण निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सी0एम0आर0 का लॉट जमा नहीं हो पायेगा। अतः अनुरोध है कि बिस्कोमान का 2000 मे0 टन भण्डारण क्षमता का गोदाम जो खाली पड़ा हुआ है, उसे अपने अधीन लेकर चालू कराया जाय ताकि वहाँ निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सी0एम0आर0 जमा किया जा सके।

(12) वैशाली : (i) वैशाली जिला में भारतीय खाद्य निगम के एक ही बेस डीपो होने के कारण वहाँ सी0एम0आर0 जमा नहीं हो पा रहा है। वहाँ एक अतिरिक्त बेस गोदाम खोलने के लिए निगम मुख्यालय पत्रांक 4783 दिनांक 07.06.13 के द्वारा अनुरोध किया गया है, परन्तु अभी तक कोई अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो सकी है।

अनुरोध है कृपया वैशाली स्थित बाजार समिति प्रांगण में गोदाम खाली पड़ा हुआ है, उसे अपने अधीन लेकर एक अतिरिक्त बेस डीपो खोलने की व्यवस्था करने की कृपा की जाय, ताकि सी0एम0आर0 जमा हो सके।

(ii) वैशाली जिलान्तर्गत हाजीपुर स्थित भारतीय खाद्य निगम डीपो में मात्र एक QC कार्यरत रहने के कारण वहाँ मात्र 10 लॉट ही सी0एम0आर0 अभी तक जमा हो पाया है।

अनुरोध है कृपया वहाँ अतिरिक्त QC Personnel की बहाली करने की कृपा की जाय ताकि अपेक्षित मात्रा में सी0एम0आर0 जमा हो सके।

(13) अरवल : अरवल जिला का सी0एम0आर0 भारतीय खाद्य निगम, जहानाबाद डीपो में प्राप्त किये जाने की गति काफी धीमी होने के कारण वहाँ मात्र 5 से 6 लॉट ही प्राप्त किया जा रहा है, जिसके कारण लक्ष्य के अनुसार सी0एम0आर0 जमा नहीं हो पायेगा।

अतः अनुरोध है कृप्या अरवल जिला का सी0एम0आर0 प्राप्त करने हेतु अतिरिक्त बेस गोदाम खोलने की कृपा की जाय।

(14) कटिहार : कटिहार जिला का सी0एम0आर0 भारतीय खाद्य निगम डीपो में प्राप्त करने का निर्धारित अवधि कम है एवं वहाँ सी0एम0आर0 प्राप्त करने की गति भी काफी धीमी है। अनुरोध है कृपया वहाँ सभी छः कार्य दिवस को सी0एम0आर0 प्राप्त करने हेतु संबंधित क्षेत्र प्रबंधक को आवश्यक निदेश देने की कृपा की जाय, ताकि समय पर सी0एम0आर0 जमा हो सके।

(15) भारतीय खाद्य निगम द्वारा Acceptance Note उपलब्ध कराया जाना : निम्नलिखित जिलों में भारतीय खाद्य निगम डीपो में जमा अधिप्राप्ति खाद्यान्नों का Acceptance Note नहीं उपलब्ध कराये जाने के कारण उसका विपत्र जमा नहीं हो पा रहा है। फलतः राज्य खाद्य निगम का एक बहुत बड़ी पूँजी फंसी हुई है एवं ब्याज के रूप में निगम को आर्थिक हानि हो रही है। विवरणी निम्न प्रकार है :-

1. कैमूर – 10.00 करोड़ रू0
2. गया – 80.00 लाख रू0
3. जहानाबाद – 5.00 गरोड़ रू0
4. सारण – 621 मे0 टन सी0एम0आर0 का
5. मोतिहारी – 2.05 करोड़ रू0
6. लक्खीसराय – 30 लॉट सी0एम0आर0 का मुंगेर से

अनुरोध है कृप्या उक्त जिलों के जमा अधिप्राप्ति खाद्यान्नों का Acceptance Note उपलब्ध कराने हेतु संबंधित क्षेत्र प्रबंधक को आवश्यक निदेश देने की कृपा की जाय, ताकि इसका विपत्र जमा किया जा सके एवं निगम को आर्थिक क्षति से बचाया जा सके।

(16) नवादा : (i) वारसलीगंज भारतीय खाद्य निगम डीपो में QC Personnel नहीं रहने के कारण वहाँ सी0एम0आर0 जमा नहीं हो पा रहा है।

अनुरोध है कृपया वहाँ QC Personnel की व्यवस्था करने की कृपा की जाय, ताकि वहाँ सी0एम0आर0 जमा हो सके।

(ii) वारसलीगंज भारतीय खाद्य निगम डीपो में लेबर समस्या के कारण वहाँ लक्ष्य के अनुसार सी0एम0आर0 प्राप्त नहीं किया जा रहा है।

अनुरोध है कृपया उक्त लेबर समस्या का समाधान अपने स्तर से कराने की कृपा की जाय, ताकि वहाँ सी०एम०आर० जमा किया जा सके।

(17) टी०पी०डी०एस० खाद्यान्नों की आवश्यकता :

निम्नलिखित जिलों में भारतीय खाद्य निगम डीपो में टी०पी०डी०एस० खाद्यान्नों के नहीं रहने के कारण वहाँ गेहूँ एवं चावल का उठाव कार्य बाधित है। फलतः टी०पी०डी०एस० खाद्यान्नों का वितरण नहीं हो पा रहा है :–

(i) खगड़िया – गेहूँ की आवश्यकता है।
(ii) नालन्दा – एक रेक गेहूँ की आवश्यकता है।

अतः अनुरोध है कि कृपया उक्त अंकित आवश्यक गेहूँ एवं चावल की व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र कराने की कृपा की जाय, ताकि वहाँ खाद्यान्नों का वितरण सुनिश्चित किया जा सके।

(18) भोजपुर – (i) भोजपुर जिला स्थित भारतीय खाद्य निगम डीपो में 3 QC Personnel की जगह एक QC Personnel के कार्यरत होने के कारण वहाँ पर्याप्त मात्रा में सी०एम०आर० जमा नहीं हो पा रहा है। वहाँ QC Personnel की बहाली हेतु पूर्व में अनेकों बार अनुरोध किया गया है, परन्तु अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो सकी है।

पुनः अनुरोध है कृपया कम से कम एक अतिरिक्त QC Personnel की वहाँ बहाली करने की कृपा की जाय ताकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में सी०एएम०आर० जमा किया जा सके।

(ii) भोजपुर जिलान्तर्गत भारतीय खाद्य निगम के डीपो में खाद्यान्न भरा रहने के कारण वहाँ सी०एम०आर० जमा नहीं हो पा रहा है।

अनुरोध है कृपया इसे पूर्ण रूप से खाली कराया जाय ताकि वहाँ सी०एम०आर० प्राप्त किया जा सके।

(19) औरंगाबाद : अनेकों बार भारतीय खाद्य निगम से अनुरोध करने के बावजूद दाउदनगर बेस गोदाम चालू नहीं किया गया है, जिसके कारण वहाँ सी०एम०आर० प्राप्ति की गति काफी धीमी है। इसे चालू किए जाने हेतु पूर्व में अनेकों बार अनुरोध किया गया है, परन्तु अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो सकी है।

पुनः अनुरोध है कृपया उक्त गोदाम को चालू कराया जाय ताकि वहाँ सी०एम०आर० प्राप्त किया जा सके।

(20) मोतिहारी : मोतिहारी जिला में सी०एम०आर० प्राप्त करने हेतु बेस डीपो के भण्डारण क्षमता कम होने के कारण वहाँ पर्याप्त मात्रा में सी०एम०आर० जमा नहीं हो पा रहा है।

अनुरोध है कृपया वहाँ सी०एम०आर० प्राप्त करने के लिए एस०डब्लू०सी० के गोदाम को चालू कराने की कृपा की जाय ताकि लक्षित मात्रा में सी०एम०आर० जमा हो सके।

(21) बेतिया : बेतिया जिला में भारतीय खाद्य निगम के दो सी०एम०आर० प्राप्ति केन्द्र रहने के बावजूद सिर्फ 10 लॉट सी०एम०आर० ही जमा हो पा रहा है। फलतः लक्षित मात्रा के अनुसार सी०एम०आर० जमा नहीं हो पा रहा है।

अनुरोध है कृपया वहाँ प्राप्ति की व्यवस्था इस प्रकार की जाये कि लक्ष्य के अनुसार सी०एम०आर० जमा हो सके।

(22) सुपौलः सुपौल जिलान्तर्गत भारतीय खाद्य निगम डीपो में QC Personnel के अभाव में वह सी०एम०आर० प्राप्त नहीं किया जा रहा है।

अनुरोध है कृपया वहाँ QC Personnel के योगदान देने हेतु आवश्यक निदेश देने की कृपा की जाय, ताकि सी०एम०आर० प्राप्त किया जा सके।

उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं पर Video Conference में उठायी गयी समस्याओं के निराकरण हेतु शीघ्र कार्रवाई अपेक्षित है, ताकि खरीफ विपणन मौसम 2012-13 का अधिप्राप्ति धान का सी०एम०आर० समय पर जमा किया जा सके।

विश्वासभाजन,
15.6.13
प्रमुख अधिप्राप्ति।
13/6/13 14.6.13

ज्ञापांक– 4901 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सा सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रमुख अधिप्राप्ति।
13/6/13

S/Doc.Pro.V.C.Compl.

ज्ञापांक– 4901 पटना, दिनांक– 14.6.13

प्रतिलिपि मुख्य सचिव के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

14.6.13
प्रमुख अधिप्राप्ति।

ज्ञापांक– 4901 पटना, दिनांक– 14.6.13/13/6/13

प्रतिलिपिः गोपनीय शाखा, मुख्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

14.6.13
प्रमुख अधिप्राप्ति।

13/6/13

अनु०-13

बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0,
सोन भवन, 5वीं मंजिल, बीरचन्द पटेल पथ, पटना–800001

पत्रांक– 5182 पटना, दिनांक– 20/6/13

प्रेषक,

प्रमुख अधिप्राप्ति,
मुख्यालय, पटना।

सेवा में,

महा प्रबंधक (क्षेत्र),
भारतीय खाद्य निगम,
एक्जीबिशन रोड़, पटना।

विषय :– दिनांक 16.01.13, 21.01.13, 28.01.13, 04.02.13, 11.02.13, 18.02.13, 25.02.13, 04.3.13, 12.03.13, 18.03.03, 26.03.13, 01.04.13, 08.04.13, 15.04.13, 22.04.13, 30.04.13, 06.05.13, 13.05.13 , 20.05.13, 27.5.13, 03.06.13, 10.06.13 एवं 17.06.13 को हुए Video Conference में उठाये गये समस्याओं के निराकरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में दिनांक 16.01.13, 21.01.13, 28.01.12, 04.02.13, 11.02.13 18.02.13, 25.02.13, 04.03.13, 12.03.13 एवं 18.03.13, 26.03.13, 01.04.13, 08.04.13, 15.04.13, 22.04.13, 30.04.13, 06.05.13, 13.05.13, 20.5.13, 27.05.13, 03.06.13 एवं 10.06.13 को सम्पन्न Video Conference में उठाये गये समस्याओं के निराकरण हेतु जिलावार विवरणी के साथ निगम मुख्यालय पत्रांक 4783 दिनांक 7.6.13 के द्वारा आपसे अनुरोध किया गया था, परन्तु अभी तक उक्त समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ है। पुनः दिनांक 17.06.13 को इन समस्याओं को विडियो कान्फ्रेंस में उठाया गया है, जिसका निराकरण किया जाना नितान्त आवश्यक है। जिलों से संबंधित समस्याओं की विवरणी निम्न प्रकार है :–

(1) नालन्दा (i) नालन्दा जिला में एक QC कार्यरत होने के कारण वहाँ समय पर सी0एम0आर0 का जॉच नहीं हो पा रहा है। वहाँ पर QC के बहाली हेतु निगम मुख्यालय पत्रांक 4300 दिनांक 17.5.13, 4442 दिनांक 24.05.13, पत्रांक 4571 दिनांक 31.05.13, पत्रांक 4783 दिनांक 07.06.13 एवं पत्रांक 4901 दिनांक 14.06.13 के माध्यम से अनुरोध किया गया है परन्तु अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो सकी है। पुनः अनुरोध है वहाँ कम से कम दो QC बहाल करने की कृपा की जाय।

(ii) नालन्दा स्थित सी0डब्लू0सी0 के गोदाम में बराबर लेबर समस्या खड़ा होते रहते हैं, जिसके कारण लक्ष्य के अनुसार वहाँ सी0एम0आर0 जमा नहीं हो पा रहा है। इस समस्या का समाधान हेतु निगम मुख्यालय पत्रांक 4901 दिनांक 14.06.13 के माध्यम से अनुरोध किया गया था, परन्तु अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो सकी है।

पुनः अनुरोध है कि कृप्या इस लेबर समस्या का निदान अपने स्तर से करने को कृपा की जाय।

(2) रोहतास– (i) भारतीय खाद्य निगम डेहरी तथा सासाराम डीपो के भरा रहने के कारण वहाँ सी0एम0आर0 प्राप्ति की गति काफी धीमी है। इस समस्या के समाधान हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 4571 दिनांक 31.05.13 एवं पत्रांक 4783 दिनांक 07.06.13 के माध्यम से आपसे अनुरोध किया गया है, परन्तु अभी तक इसका समाधान नहीं हो सका है।

(ii) इसके अतिरिक्त सी0डब्लू0सी0 का गोदाम खाली है, जिसे भारतीय खाद्य निगम द्वारा उपयोग में लाने पर वहाँ सी0एम0आर0 जमा करने में गति आ सकती है।

पुनः अनुरोध है कृपया डेहरी तथा सासाराम स्थित भारतीय खाद्य निगम गोदाम में रेक प्लानिंग इस प्रकार की जाय कि गोदाम खाली हो सके एवं वहाँ सी0एम0आर0 प्राप्त किया जा सके। साथ ही सी0डब्लू0सी0 का 2500 मे0 टन भंडारण क्षमता के गोदाम को अपने अधीन उपयोग में लाया जाय ताकि सी0एम0आर0 की प्राप्ति की जा सके।

3) बक्सर :

(i) बक्सर जिला में मात्र 4 QC कार्यरत है। QC की कमी रहने के कारण वहाँ सी0एम0आर0 जमा करने में काफी कठिनाई हो रही है। इस संदर्भ में पूर्व में निगम पत्रांक 3857 दिनांक 28.04.13, पत्रांक 3976 दिनांक 02.05.13 एवं पत्रांक 4123 दिनांक 09.05.13 द्वारा 6 QC बहाल करने का अनुरोध किया गया है, परन्तु अभी तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो सकी है। पुनः अनुरोध है वहाँ कम से कम 1 अतिरिक्त QC बहाल करने की कृपा की जाय ताकि समय पर सी0एम0आर0 जमा हो सके।

S/Doc.Pro.V.C.Compl.

(4) जहानाबाद : (i) जहानाबाद में एक Q.C.Personnel के रहने के कारण वहाँ सी0एम0आर0 जमा कराने में काफी कठिनाई हो रही है। अतः अनुरोध है कृपया वहाँ अतिरिक्त Q.C.Personnel बहाल करने की कृपा की जाय ताकि समय पर सी0एम0आर0 जमा हो सके।

(ii) जहानाबाद स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदाम की भण्डारण क्षमता कम होने के कारण वहाँ सी0एम0आर0 जमा करने में कठिनाई हो रही है। वहाँ 3000 मे0 टन क्षमता के खाली गोदाम उपलब्ध है, वहाँ सी0एम0आर0 जमा किया जा सकता है। अनुरोध है कृपया उक्त गोदाम को लेकर सी0एम0आर0 जमा करने की गोदाम की व्यवस्था की जाय ताकि सी0एम0आर0 जमा हो सके। वहाँ 3000 मे0 टन क्षमता के खाली गोदाम उपलब्ध है, वहाँ सी0एम0आर0 जमा किया जा सकता है।

(5) कैमूर : मोहनिया एवं कुदरा स्थित भारतीय खाद्य निगम गोदाम के भरा रहने के कारण वहाँ सी0एम0आर0 प्राप्त करना बन्द कर दिया गया है। इस संदर्भ में गोदाम खाली करने हेतु निगम मुख्यालय पत्रांक 4123 दिनांक 09.05.13 एवं 4300 दिनांक 17.05.13, पत्रांक 4442 दि0 24.5.13, 4571 दिनांक 31.05.13, पत्रांक 4783 दिनांक 07.06.13 एवं पत्रांक 4901 दिनांक 14.06.13 के माध्यम से आप से अनुरोध किया गया है, परन्तु अभी भी यह समस्या बनी हुई है, जिससे वहाँ सी0एम0आर0 जमा नहीं हो रहा है। अतः पुनः अनुरोध है कि वहाँ रैक प्लानिंग इस प्रकार की जाय कि गोदाम खाली हो सके एवं सी0एम0आर0 प्राप्त किया जा सके।

(7) जमुई : (i) जमुई जिला का अधिप्राप्ति धान का सी0एम0आर0 लखीसराय स्थित भारतीय खाद्य निगम डीपो में भी जमा किया जाना है। इस डीपो के विगत एक माह से कार्यरत नहीं रहने के कारण वहाँ सी0एम0आर0 जमा नहीं हो पा रहा है। इसे चालू करने के लिए निगम मुख्यालय पत्रांक 4300 दिनांक 17.05.13,पत्रांक 4571 दिनांक 31.05.13, पत्रांक 4683 दिनांक 07.06.13 एवं पत्रांक 4901 दिनांक 14.06.13 के माध्यम से अनुरोध किया गया है, परन्तु अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो सकी है।

पुनः अनुरोध है कृपया लखीसराय स्थित भारतीय खाद्य निगम डीपो को चालू कराया जाय ताकि वहाँ सी0एम0आर0 जमा हो सके।

(8) सिवान : (i) सिवान स्थित भारतीय खाद्य निगम डीपो में डंपिंग के लिये जगह नहीं रहने के कारण वहाँ सी0एम0आर0 प्राप्त नहीं किया जा रहा है। इस समस्या का समाधान हेतु पूर्वमें निगम मुख्यालय पत्रांक 4300 दिनांक 17.05.13, पत्रांक 4571 दिनांक 31.05.13, पत्रांक 4783 दिनांक 07.06.13 एवं पत्रांक 4901 दिनांक 14.06.13 के द्वारा अनुरोध किया गया है, परन्तु अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो सकी है। पुनः अनुरोध है कि उक्त समस्या का समाधान अपने स्तर से करने की कृपा की जाय ताकि वहाँ सी0एम0आर0 प्राप्त किया जा सके। अथवा सी0एम0आर0 प्राप्त करने हेतु वहाँ अन्य बेस डीपो की व्यवस्था की कृपा जाय, ताकि लक्ष्य के अनुरूप सी0एम0आर0 जमा किया जा सके।

(ii) सिवान स्थित भारतीय खाद्य निगम डीपो में लेबर समस्या के कारण वहाँ पर्याप्त टी0पी0डी0एस0 खाद्यान्नों को निर्गत नहीं किया जा रहा है।

अनुरोध है कृप्या इस लेबर समस्या का अपने स्तर से समाधान कराने की कृपा की जाय, ताकि वहाँ से टी0पी0डी0एस0 खाद्यान्न निर्गत हो सके।

(9) पटना : पटना स्थित भारतीय खाद्य निगम डीपो में सी0एम0आर0 प्राप्त करने की गति काफी धीमी है, जिसके कारण वहाँ निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सी0एम0आर0 जमा नहीं हो पा रहा है।

अनुरोध है कृपया सी0डब्लू0सी0 के माध्यम से फतुहा अथवा बिहटा में एक दूसरा बेस गोदाम की व्यवस्था की जाय ताकि वहाँ निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सी0एम0आर जमा किया जा सके।

(10) मधुबनी : पण्डौल स्थित भारतीय खाद्य निगम डीपो बन्द हो जाने के कारण वहाँ सी0एम0आर0 जमा नहीं हो पा रहा है। इसे चालू किये जाने हेतु निगम पत्रांक 4783 दिनांक 07.06.13 एवं पत्रांक 4901 दिनांक 14.06.13 के द्वारा अनुरोध किया गया है, परन्तु अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो सकी है। पुनः अनुरोध है कृपया उक्त गोदाम को पुनः चालू किया जाय ताकि वहाँ सी0एम0आर0 जमा किया जा सके।

(11) गोपालगंज : गोपालगंज में भारतीय खाद्य निगम के डीपो नहीं रहने के कारण वहाँ का सी0एम0आर0 सिवान में जमा कराया जाता है, जिससे एक ही सेन्टर होने के कारण निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सी0एम0आर0 का लॉट जमा नहीं हो पायेगा। वहाँ बिस्कोमान के 2000 मे0 टन भण्डारण क्षमता का गोदाम किराया पर लेकर चालू करने का अनुरोध पूर्व में अनेकों बार अनुरोध किया गया है, परन्तु अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो सकी है। पुनः अनुरोध है कि बिस्कोमान का 2000 मे0 टन भण्डारण क्षमता का गोदाम जो खाली पड़ा हुआ है, उसे अपने अधीन लेकर चालू कराया जाय ताकि वहाँ निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सी0एम0आर0 जमा किया जा सके।

(12) वैशाली : (i) वैशाली जिला में भारतीय खाद्य निगम के एक ही बेस डीपो होने के कारण वहाँ सी0एम0आर0 जमा नहीं हो पा रहा है। वहाँ एक अतिरिक्त बेस गोदाम खोलने के लिए निगम मुख्यालय

पत्रांक 4783 दिनांक 07.06.13 के द्वारा अनुरोध किया गया है, परन्तु अभी तक कोई अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो सकी है।

अनुरोध है कृपया वैशाली स्थित बाजार समिति प्रंगण में गोदाम खाली पड़ा हुआ है, उसे अपने अधीन लेकर एक अतिरिक्त बेस डीपो खोलने की व्यवस्था करने की कृपा की जाय ताकि सी0एम0आर0 जमा हो सके।

(ii) वैशाली जिलान्तर्गत हाजीपुर स्थित भारतीय खाद्य निगम डीपो में मात्र एक QC कार्यरत रहने के कारण वहाँ मात्र 10 लॉट ही सी0एम0आर0 अभी तक जमा हो पाया है।

अनुरोध है कृपया वहाँ अतिरिक्त QC Personnel की बहाली करने की कृपा की जाय ताकि अपेक्षित मात्रा में सी0एम0आर0 जमा हो सके।

(13) <u>अरवल</u> : अरवल जिला का सी0एमआर0 भारतीय खाद्य निगम, जहानाबाद डीपो में प्राप्त किये जाने की गति काफी धीमी होने के कारण वहाँ मात्र 5 से 6 लॉट ही प्राप्त किया जा रहा है, जिसके कारण लक्ष्य के अनुसार सी0एम0आर0 जमा नहीं हो पायेगा।

अतः अनुरोध है कृपया अरवल जिला का सी0एम0आर0 प्राप्त करने हेतु अतिरिक्त बेस गोदाम खोलने की कृपा की जाय।

(14) <u>बेगुसराय</u> : बेगुसराय स्थित बखरी एवं सी0डब्लू0सी देघ्रा में सी0एम0आर0 प्राप्त करने का निर्धारित अवधि कम है, जिसके कारण वहाँ सी0एम0आर0 प्राप्त करने की गति भी काफी धीमी है। अनुरोध है कृपया वहाँ सभी छः कार्य दिवस को सी0एम0आर0 प्राप्त करने हेतु संबंधित क्षेत्र प्रबंधक को आवश्यक निदेश देने की कृपा की जाय, ताकि समय पर सी0एम0आर0 जमा हो सके।

(15) <u>भारतीय खाद्य निगम द्वारा **Acceptance Note** उपलब्ध कराया जाना</u> : निम्नलिखित जिलों में भारतीय खाद्य निगम डीपो में जमा अधिप्राप्ति खाद्यान्नों का Acceptance Note नहीं उपलब्ध कराये जाने के कारण उसका विपत्र जमा नहीं हो पा रहा है। फलतः राज्य खाद्य निगम का एक बहुत बड़ी पूँजी फंसी हुई है एवं ब्याज के रूप में निगम को आर्थिक हानि हो रही है। विवरणी निम्न प्रकार है :-

1. कैमूर — 10.00 करोड़ रू0
2. गया — 80.00 लाख रू0
3. जहानाबाद — 5.00 गरोड़ रू0
4. सारण — 621 मे0 टन सी0एम0आर0 का
5. मोतिहारी — 2.05 करोड़ रू0
6. लक्खीसराय — 30 लॉट सी0एम0आर0 का मुंगेर से
7. औरंगाबाद — 18.00 करोड़
8. बांका — 20 लॉट सी0एम0आर0 का

अनुरोध है कृप्या उक्त जिलों के जमा अधिप्राप्ति खाद्यान्नों का Acceptance Note उपलब्ध कराने हेतु संबंधित क्षेत्र प्रबंधक को आवश्यक निदेश देने की कृपा की जाय, ताकि इसका विपत्र जमा किया जा सके एवं निगम को आर्थिक क्षति से बचाया जा सके।

(16) <u>नवादा</u> : (i) वारसलीगंज भारतीय खाद्य निगम डीपो में QC Personnel नहीं रहने के कारण वहाँ सी0एम0आर0 जमा नहीं हो पा रहा है।

अनुरोध है कृपया वहाँ QC Personnel की व्यवस्था करने की कृपा की जाय, ताकि वहाँ सी0एम0आर0 जमा हो सके।

(ii) वारसलीगंज भारतीय खाद्य निगम डीपो में लेबर समस्या के कारण वहाँ लक्ष्य के अनुसार सी0एम0आर0 प्राप्त नहीं किया जा रहा है।

अनुरोध है कृपया उक्त लेबर समस्या का समाधान अपने स्तर से कराने की कृपा की जाय, ताकि वहाँ सी0एम0आर0 जमा किया जा सके।

(17) <u>टी0पी0डी0एस0 खाद्यान्नों की आवश्यकता</u> :

निम्नलिखित जिलों में भारतीय खाद्य निगम डीपो में टी0पी0डी0एस0 खाद्यान्नों के नहीं रहने के कारण वहाँ गेहूँ एवं चावल का उठाव कार्य बाधित है। फलतः टी0पी0डी0एस0 खाद्यान्नों का वितरण नहीं हो पा रहा है :-

(i) औरंगाबाद — एक रैक गेहूँ की आवश्यकता है।
(ii) खगड़िया — गेहूँ की आवश्यकता है।
(iii) सिवान — चावल की आवश्यकता टी0पी0डी0एस0 एवं एम0डी0एम0 के लिए।
(iv) गोपालगंज — चावल की आवश्यकता है।

अतः अनुरोध है कि कृपया उक्त अंकित आवश्यक गेहूँ एवं चावल की व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र कराने की कृपा की जाय, ताकि वहाँ खाद्यान्नों का वितरण सुनिश्चित किया जा सके।

(18) भोजपुर – (i) भोजपुर जिला स्थित भारतीय खाद्य निगम डीपो में 3 QC Personnel की जगह एक QC Personnel के कार्यरत होने के कारण वहाँ पर्याप्त मात्रा में सी0एम0आर0 जमा नहीं हो पा रहा है। वहाँ QC Personnel की बहाली हेतु पूर्व में अनेकों बार अनुरोध किया गया है, परन्तु अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो सकी है।

पुनः अनुरोध है कृपया कम से कम एक अतिरिक्त QC Personnel की वहाँ बहाली करने की कृपा की जाय ताकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में सी0एएम0आर0 जमा किया जा सके।

(ii) भोजपुर जिलान्तर्गत भारतीय खाद्य निगम के डीपो में खाद्यान्न भरा रहने के कारण वहाँ निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सी0एम0आर0 जमा नहीं हो पा रहा है।

अनुरोध हैं कृपया इसे पूर्ण रूप से खाली कराया जाय ताकि वहाँ लक्ष्य के अनुसार सी0एम0आर0 प्राप्त किया जा सके।

(19) <u>औरंगाबाद</u> : (i) अनेकों बार भारतीय खाद्य निगम से अनुरोध करने के बावजूद दाउदनगर बेस गोदाम चालू नहीं किया गया है, जिसके कारण वहाँ सी0एम0आर0 प्राप्ति की गति काफी धीमी है। इसे चालू किए जाने हेतु पूर्व में अनेकों बार अनुरोध किया गया है, परन्तु अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो सकी है।

पुनः अनुरोध है कृपया उक्त गोदाम को चालू कराया जाय ताकि वहाँ सी0एम0आर0 प्राप्त किया जा सके।

(ii)कोयल एवं जक्की बिगहा स्थित भारतीय खाद्य निगम के डीपो खाद्यान्न से भरा रहने के कारण वहाँ सी0एम0आर0 जमा नहीं हो पा रहा है।

अनुरोध है कृपया वहाँ रैक न्लानिंग कर उक्त गोदाम को खाली किया जाय ताकि वहाँ सी0एम0आर जमा हो सके।

(20) <u>मोतिहारी</u> : मोतिहारी जिला में सी0एम0आर0 प्राप्त करने हेतु बेस डीपो के भण्डारण क्षमता कम होने के कारण वहाँ पर्याप्त मात्रा में सी0एम0आर0 जमा नहीं हो पा रहा है।

अनुरोध है कृपया वहाँ सी0एम0आर0 प्राप्त करने के लिए एस0डब्लू0सी0 के गोदाम को चालू कराने की कृपा की जाय ताकि लक्षित मात्रा में सी0एम0आर0 जमा हो सके।

(21) <u>बेतिया</u> : बेतिया जिला में भारतीय खाद्य निगम के दो सी0एम0आर0 प्राप्ति केन्द्र रहनें के बावजूद वहाँ लेबर समस्या के कारण सी0एम0आर0 की प्राप्ति बाधित होती रहती है। फलतः लक्षित मात्रा के अनुसार सी0एम0आर0. जमा नहीं हो पा रहा है।

अनुरोध है कृपया वहाँ अपने स्तर से लेबर समस्या का निदान करने की कृपा की जाये, ताकि लक्ष्य के अनुसार सी0एम0आर0 जमा हो सके।

(22) सुपौल: सुपौल जिलान्तर्गत भारतीय खाद्य निगम डीपो में QC Personnel के अभाव में वहाँ सी0एम0आर0 प्राप्त नहीं किया जा रहा है।

अनुरोध है कृपया वहाँ QC Personnel के योगदान देने हेतु आवश्यक निदेश देने की कृपा की जाय, ताकि सी0एम0आर0 प्राप्त किया जा सके।

उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं पर Video Conference में उठायी गयी समस्याओं के निराकरण हेतु शीघ्र कार्रवाई अपेक्षित है, ताकि खरीफ विपणन मौसम 2012–13 का अधिप्राप्ति धान का सी0एम0आर0 समय पर जमा किया जा सके।

विश्वासभाजन,
ह0/–
प्रमुख अधिप्राप्ति।

ज्ञापांक– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
प्रमुख अधिप्राप्ति।

ज्ञापांक– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि मुख्य सचिव के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
प्रमुख अधिप्राप्ति।

ज्ञापांक– 5182 पटना, दिनांक– 20.6.13

प्रतिलिपिः गोपनीय शाखा, मुख्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

20.6.13
प्रमुख अधिप्राप्ति।

अनु०-14

बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि०,
सोन भवन, 5वीं मंजिल, बीरचन्द पटेल पथ, पटना–800001

पत्रांक– 5812 पटना, दिनांक– 11.7.13

प्रेषक,

उप प्रमुख अधिप्राप्ति,
मुख्यालय, पटना।

सेवा में,

महा प्रबंधक (क्षेत्र),
भारतीय खाद्य निगम,
एक्जीबिशन रोड़, पटना।

विषय :– दिनांक 16.01.13, 21.01.13, 28.01.13, 04.02.13, 11.02.13, 18.02.13, 25.02.13, 04.3.13, 12.03.13, 18.03.03, 26.03.13, 01.04.13, 08.04.13, 15.04.13, 22.04.13, 30.04.13, 06.05.13, 13.05.13 , 20.05.13, 27.5.13, 03.06.13, 10.06.13, 17.06.13, 01.07.13 एवं 08.7.13 को हुए Video Conference में उठाये गये समस्याओं के निराकरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में दिनांक 16.01.13, 21.01.13, 28.01.12, 04.02.13, 11.02.13 18.02.13, 25.02.13, 04.03.13, 12.03.13 एवं 18.03.13, 26.03.13, 01.04.13, 08.04.13, 15.04.13, 22.04.13, 30.04.13, 06.05.13, 13.05.13, 20.5.13, 27.05.13, 03.06.13, 10.06.13, 01.07.13 एवं 08.07.13 को सम्पन्न Video Conference में उठाये गये समस्याओं के निराकरण हेतु जिलावार विवरणी के साथ निगम मुख्यालय पत्रांक 4783 दिनांक 7.6.13 के द्वारा आपसे अनुरोध किया गया था, परन्तु अभी तक उक्त समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ है। पुनः दिनांक 08.07.13 को इन समस्याओं को विडियो कान्फ्रेंस में उठाया गया है, जिसका निराकरण किया जाना नितान्त आवश्यक है। जिलों से संबंधित समस्याओं की विवरणी निम्न प्रकार है :–

(1) नालन्दा (i) नालन्दा जिला में एक QC कार्यरत होने के कारण वहाँ समय पर सी0एम0आर0 का जाँच नहीं हो पा रहा है। वहाँ पर QC के बहाली हेतु निगम मुख्यालय पत्रांक 4300 दिनांक 17.5.13, 4442 दिनांक 24.05.13, पत्रांक 4571 दिनांक 31.05.13, पत्रांक 4783 दिनांक 07.06.13 एवं पत्रांक 4901 दिनांक 14.06.13 के माध्यम से अनुरोध किया गया है परन्तु अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो सकी है। पुनः अनुरोध है वहाँ कम से कम दो QC बहाल करने की कृपा की जाय।

(ii) नालन्दा स्थित एस0डब्लू0सी0 के गोदाम में बराबर लेबर समस्या के कारण लक्ष्य के अनुसार वहाँ सी0एम0आर0 जमा नहीं हो पा रहा है। इस समस्या का समाधान हेतु निगम मुख्यालय पत्रांक 4901 दिनांक 14.06.13 एवं पत्रांक 5182 दिनांक 20.06.13 के माध्यम से अनुरोध किया गया था, परन्तु अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो सकी है। इसके अतिरिक्त वहाँ भण्डारण क्षमता के कमी के कारण सी0एम0आर0 जमा नहीं हो पा रहा है।

पुनः अनुरोध है कि कृपया इस लेबर एवं भन्डारण समस्या का निदान अपने स्तर से करने की कृपा की जाय ताकि वहाँ लक्ष्य के अनुरूप सी0एम0आर0 जमा हो सके।

(2) रोहतास– भारतीय खाद्य निगम डेहरी तथा सासाराम डीपो के भरा रहने के कारण वहाँ सी0एम0आर0 प्राप्ति की गति काफी धीमी है। इस समस्या के समाधान हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 4571 दिनांक 31.05.13 एवं पत्रांक 4783 दिनांक 07.06.13 के माध्यम से आपसे अनुरोध किया गया है, परन्तु अभी तक इसका समाधान नहीं हो सका है।

पुनः अनुरोध है कृपया डेहरी तथा सासाराम स्थित भारतीय खाद्य निगम गोदाम में रेक प्लानिंग इस प्रकार की जाय कि गोदाम खाली हो सके एवं वहाँ सी0एम0आर0 प्राप्त किया जा सके।

(3) सिवान : (i) सिवान स्थित भारतीय खाद्य निगम डीपो में डंपिंग के लिये जगह नहीं रहने के कारण वहाँ सी0एम0आर0 प्राप्त नहीं किया जा रहा है। इस समस्या का समाधान हेतु पूर्वमें निगम मुख्यालय पत्रांक 4300 दिनांक 17.05.13, पत्रांक 4571 दिनांक 31.05.13, पत्रांक 4783 दिनांक 07.06.13, पत्रांक 4901 दिनांक 14.06.13 एवं पत्रांक 5182 दिनांक 20.06.13 के द्वारा अनुरोध किया गया है, परन्तु अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो सकी है। पुनः अनुरोध है कि उक्त समस्या का समाधान अपने स्तर से करने की कृपा की जाय ताकि वहाँ सी0एम0आर0 प्राप्त किया जा सके। अथवा सी0एम0आर0 प्राप्त करने हेतु वहाँ अन्य बेस डीपो की व्यवस्था की कृपा जाय, ताकि लक्ष्य के अनुरूप सी0एम0आर0 जमा किया जा सके।

S/Doc.Pro.V.C.Compl.

(ii) भारत सरकार से आवंटन प्राप्त होने के बावजूद भी भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा WBNP का R.O. निर्गत नहीं किया जा रहा है, जैसा कि पूर्व में भी सूचित किया गया था।

अनुरोध है कृपया वांछित R.O. निर्गत करने हेतु संबंधित क्षेत्र प्रबंधक को आवश्यक निदेश देने की कृपा की जाय।

(4) पटना : (i) पटना स्थित भारतीय खाद्य निगम डीपो में सी0एम0आर0 प्राप्त करने की गति काफी धीमी है, जिसके कारण वहाँ निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सी0एम0आर0 जमा नहीं हो पा रहा है।

अनुरोध है कृपया सी0डब्लू0सी0 के माध्यम से फतुहा, बिहटा तथा मसौढ़ी में पूर्व की तरह बेस गोदाम की व्यवस्था की जाय ताकि वहाँ निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सी0एम0आर जमा किया जा सके।

(ii) 34 lots CMR का Acceptance note भारतीय खाद्य निगम द्वारा नहीं दिया गया है।

(5) गोपालगंज : गोपालगंज में भारतीय खाद्य निगम के डीपो नहीं रहने के कारण वहाँ का सी0एम0आर0 सिवान में जमा कराया जाता है, जिससे एक ही सेन्टर होने के कारण निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सी0एम0आर0 का लॉट जमा नहीं हो पायेगा। वहाँ बिस्कोमान के 2000 मे0 टन भण्डारण क्षमता का गोदाम किराया पर लेकर चालू करने का अनुरोध पूर्व में अनेकों बार अनुरोध किया गया है, परन्तु अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो सकी है। पुनः अनुरोध है कि बिस्कोमान का 2000 मे0 टन भण्डारण क्षमता का गोदाम जो खाली पड़ा हुआ है, उसे अपने अधीन लेकर चालू कराया जाय ताकि वहाँ निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सी0एम0आर0 जमा किया जा सके।

(6) वैशाली : बाजार समिति स्थित भारतीय खाद्य निगम डीपो द्वारा सभी छः कार्य दिवस को सी0एम0आर0 प्राप्त नहीं किया जा रहा है।

अनुरोध है कृपया वहाँ सी0एम0आर0 प्राप्त करने हेतु संबंधित क्षेत्र प्रबंधक/डीपो प्रभारी को आवश्यक निदेश देने की कृपा की जाय।

(7) गया : दुर्गाबाड़ी स्थित भारतीय खाद्य निगम के अधीन एस0डब्लू0सी0 द्वारा2012–13 का सी0एम0आर0 प्राप्त नहीं किया जा रहा है, जिससे निर्धारित लॉट के अनुसार सी0एम0आर0 जमा नहीं हो पायेगा।

अनुरोध है कृपया वहाँ सी0एम0आर0 प्राप्त करने हेतु संबंधित क्षेत्र प्रबंधक को निदेश देने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय।

(8) बाँका : (i) बांका स्थित भारतीय खाद्य निगम के अधीन एस0डब्लू0सी0 द्वारा सी0एम0आर0 प्राप्त नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सी0एम0आर0 जमा नहीं हो पायेगा

अनुरोध है कृपया वहाँ सी0एम0आर0 प्राप्त करने हेतु संबंधित क्षेत्र प्रबंधक को आवश्यक निदेश देने की कृपा की जाय।

(ii) बांका स्थित भारतीय खाद्य निगम में कार्यरत Q.C. personnel की संख्या कम होने के कारण वहाँ लक्ष्य के अनुसार सी0एम0आर0 जमा नहीं हो पायेगा।

अनुरोध है कृपया कम से कम वहाँ एक और Q.C. personnel की बहाली करने की कृपा की जाय ताकि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार वहाँ सी0एम0आर0 जमा हो सके।

(9) भोजपुर – (i) भोजपुर जिला स्थित भारतीय खाद्य निगम डीपो में मात्र 2 QC Personnel कार्यरत होने के कारण वहाँ पर्याप्त मात्रा में सी0एम0आर0 जमा नहीं हो पा रहा है। वहाँ QC Personnel की बहाली हेतु पूर्व में अनेकों बार अनुरोध किया गया है, परन्तु अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो सकी है।

पुनः अनुरोध है कृपया कम से कम एक अतिरिक्त QC Personnel की वहाँ बहाली करने की कृपा की जाय ताकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में सी0एएम0आर0 जमा किया जा सके।

(ii) भोजपुर जिलान्तर्गत भारतीय खाद्य निगम के डीपो में खाद्यान्न भरा रहने के कारण निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सी0एम0आर0 जमा नहीं हो पा रहा है।

अनुरोध है कृपया उसे पूर्ण रूप से खाली कराया जाय ताकि वहाँ लक्ष्य के

(10) औरंगाबाद : (i) अनेकों बार भारतीय खाद्य निगम से अनुरोध करने के बावजूद दाउदनगर बेस गोदाम चालू नहीं किया गया है, जिसके कारण वहाँ सी0एम0आर0 प्राप्ति की गति काफी धीमी है। इसे चालू किए जाने हेतु पूर्व में अनेकों बार अनुरोध किया गया है, परन्तु अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो सकी है।

पुनः अनुरोध है कृपया उक्त गोदाम को चालू कराया जाय ताकि वहाँ सी0एम0आर0 प्राप्त किया जा सके।

(ii) डेहरी स्थित भारतीय खाद्य निगम के डीपो खाद्यान्न से भरा रहने के कारण वहाँ सी0एम0आर0 जमा नहीं हो पा रहा है।

अनुरोध है कृपया वहाँ रैक प्लानिंग कर उक्त गोदाम को खाली किया जाय ताकि वहाँ सी0एम0आर जमा हो सके।

(11) कैमूर : मोहनियाँ और कुदरा स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदाम भरा रहने के कारण सी0एम0आर0 जमा नहीं हो पा रहा है।

(12) दरभंगा : भारतीय खाद्य निगम के दरभंगा डीपो में लगातार खाद्यान्न का रैक आगमन के कारण सी0एम0आर0 प्राप्ति का कार्य बाधित है।

(13) बेतिया : भारतीय खाद्य निगम, चनपटिया डीपो में सी0एम0आर0 प्राप्ति सप्ताहिक में कार्य दिवस बढाया जाय।

(14) सहरसा : भारतीय खाद्य निगम के सहरसा डीपो में क्यू0सी0 नहीं रहने के कारण सी0एम0आर0 प्राप्ति का कार्य बाधित है। अविलम्ब क्यू0सी0 की पदस्थापन किया जाय।।

(15) जमुई : 16 लॉट्स सी0एम0आर0 का Acceptance note भारतीय खाद्य निगम द्वारा नहीं दिया गया है इसे अविलम्ब निर्गत करने हेतु निदेश दिया जास ताकि सी0एम0आर0 का विपत्र जमा किया जा सके।

उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं पर Video Conference में उठायी गयी समस्याओं के निराकरण हेतु शीघ्र कार्रवाई अपेक्षित है, ताकि खरीफ विपणन मौसम 2012–13 का अधिप्राप्ति धान का सी0एम0आर0 समय पर जमा किया जा सके।

विश्वासभाजन,

उप प्रमुख अधिप्राप्ति।

ज्ञापांक– 5812 पटना, दिनांक– 11.7.13

प्रतिलिपि प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप प्रमुख अधिप्राप्ति।

ज्ञापांक– 5812 पटना, दिनांक– 11.7.13

प्रतिलिपि मुख्य सचिव के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

उप प्रमुख अधिप्राप्ति।

ज्ञापांक– 5812 पटना, दिनांक– 11.7.13

प्रतिलिपिः गोपनीय शाखा, मुख्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

उप प्रमुख अधिप्राप्ति। 11.3.2013

अनु0-15

बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0,
सोन भवन, 5वीं मंजिल, बीरचन्द पटेल पथ, पटना–800001

पत्रांक– 6097 पटना, दिनांक– 20/7/13

प्रेषक,

उप प्रमुख अधिप्राप्ति,
मुख्यालय, पटना।

सेवा में,

महा प्रबंधक (क्षेत्र),
भारतीय खाद्य निगम,
एक्जीबिशन रोड़, पटना।

विषय :– दिनांक 16.01.13, 21.01.13, 28.01.13, 04.02.13, 11.02.13, 18.02.13, 25.02.13, 04.3.13, 12.03.13, 18.03.03, 26.03.13, 01.04.13, 08.04.13, 15.04.13, 22.04.13, 30.04.13, 06.05.13, 13.05.13 , 20.05.13, 27.5.13, 03.06.13, 10.06.13, 17.06.13, 01.07.13, 08.7.13 एवं 15.07.13 को हुए **Video Conference** में उठाये गये समस्याओं के निराकरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में दिनांक 16.01.13, 21.01.13, 28.01.12, 04.02.13, 11.02.13 18.02.13, 25.02.13, 04.03.13, 12.03.13 एवं 18.03.13, 26.03.13, 01.04.13, 08.04.13, 15.04.13, 22.04.13, 30.04.13, 06.05.13, 13.05.13, 20.5.13, 27.05.13, 03.06.13, 10.06.13, 01.07.13 एवं 08.07.13 को सम्पन्न Video Conference में उठाये गये समस्याओं के निराकरण हेतु जिलावार विवरणी के साथ निगम मुख्यालय पत्रांक 4783 दिनांक 7.6.13 के द्वारा आपसे अनुरोध किया गया था, परन्तु अभी तक उक्त समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ है। पुनः दिनांक 15.07.13 को इन समस्याओं को विडियो कान्फ्रेंस में उठाया गया है, जिसका निराकरण किया जाना नितान्त आवश्यक है। जिलों से संबंधित समस्याओं की विवरणी निम्न प्रकार है :–

(1) नालन्दा (i) नालन्दा जिला में एक QC कार्यरत होने के कारण वहाँ समय पर सी0एम0आर0 का जॉच नहीं हो पा रहा है। वहाँ पर QC के बहाली हेतु निगम मुख्यालय पत्रांक 4300 दिनांक 17.5.13, 4442 दिनांक 24.05.13, पत्रांक 4571 दिनांक 31.05.13, पत्रांक 4783 दिनांक 07.06.13, पत्रांक 4901 दिनांक 14.06.13 एवं पत्रांक 5812 दिनांक 11.07.13 के माध्यम से अनुरोध किया गया है परन्तु अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो सकी है। पुनः अनुरोध है वहाँ कम से कम दो QC बहाल करने की कृपा की जाय।

(ii) नालन्दा स्थित एस0डब्लू0सी0 के गोदाम में बराबर लेबर समस्या के कारण लक्ष्य के अनुसार वहाँ सी0एम0आर0 जमा नहीं हो पा रहा है। इस समस्या का समाधान हेतु निगम मुख्यालय पत्रांक 4901 दिनांक 14.06.13 एवं पत्रांक 5182 दिनांक 20.06.13 एवं पत्रांक 5812 दिनांक 11.07.13 के माध्यम से अनुरोध किया गया था, परन्तु अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो सकी है। इसके अतिरिक्त वहाँ भण्डारण क्षमता के कमी के कारण सी0एम0आर0 जमा नहीं हो पा रहा है।

(iii) नालन्दा जिला में भारतीय खाद्य निगम डीपो में भण्डारण क्षमता की कमी के कारण निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप सी0एम0आर0 जमा नहीं हो पा रहा है। अनुरोध है कृपया वहाँ भण्डारण क्षमता में वृद्धि किये जाने हेतु अतिरिक्त गोदाम की व्ययवस्था करने की कृपा की जाय।

पुनः अनुरोध है कि कृपया इस लेबर एवं भण्डारण समस्या का निदान अपने स्तर से करने की कृपा की जाय ताकि वहाँ लक्ष्य के अनुरूप सी0एम0आर0 जमा हो सके।

(2) रोहतास– भारतीय खाद्य निगम डेहरी तथा सासाराम डीपो के भरा रहने के कारण वहाँ मात्र एक ही दिन सी0एम0आर0 प्राप्त किया जा रहा है। इस समस्या के समाधान हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 4571 दिनांक 31.05.13 एवं पत्रांक 4783 दिनांक 07.06.13 के माध्यम से आपसे अनुरोध किया गया है, परन्तु अभी तक इसका समाधान नहीं हो सका है।

पुनः: अनुरोध है कृपया डेहरी तथा सासाराम स्थित भारतीय खाद्य निगम गोदाम में रेक प्लानिंग इस प्रकार की जाय कि गोदाम खाली हो सके एवं वहाँ सी0एम0आर0 प्राप्त किया जा सके।

(3) सिवान : (i) सिवान स्थित भारतीय खाद्य निगम डीपो में डंपिंग के लिये जगह नहीं रहने के कारण वहाँ सी0एम0आर0 प्राप्त नहीं किया जा रहा है। इस समस्या का समाधान हेतु पूर्वमें निगम मुख्यालय पत्रांक 4300 दिनांक 17.05.13, पत्रांक 4571 दिनांक 31.05.13, पत्रांक 4783 दिनांक 07.06.13, पत्रांक

4901 दिनांक 14.06.13 एवं पत्रांक 5182 दिनांक 20.06.13 के द्वारा अनुरोध किया गया है, परन्तु अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो सकी है। पुनः अनुरोध है कि उक्त समस्या का समाधान अपने स्तर से करने की कृपा की जाय ताकि वहाँ सी0एम0आर0 प्राप्त किया जा सके। अथवा सी0एम0आर0 प्राप्त करने हेतु वहाँ अन्य बेस डीपो की व्यवस्था की कृपा जाय, ताकि लक्ष्य के अनुरूप सी0मएआर0 जमा किया जा सके।

(ii) भारत सरकार से आवंटन प्राप्त होने के बावजूद भी भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा WBNP का R.O. निर्गत नहीं किया जा रहा है, जैसा कि पूर्व में भी सूचित किया गया था। अनुरोध है कृपया वांछित R.O. निर्गत करने हेतु संबंधित क्षेत्र प्रबंधक को आवश्यक निदेश देने की कृपा की जाय।

(iii) सिवान स्थित भारतीय खाद्य निगम डीपो में लेबर की कमी के कारण वहाँ निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सी0एम0आर0 जमा नहीं किया जा रहा है। अनुरोध है कृपया वहाँ अतिरिक्त लेबर की व्यवस्था की जाय ताकि लक्ष्य के अनुरूप सी0एम0आर0 जमा हो सके।

(4) पटना : (i) पटना स्थित भारतीय खाद्य निगम डीपो में सी0एम0आर0 प्राप्त करने की गति काफी धीमी है, जिसके कारण वहाँ निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सी0एम0आर0 जमा नहीं हो पा रहा है। अनुरोध है कृपया सी0डब्लू0सी0 के माध्यम से फतुहा, बिहटा तथा मसौढ़ी में पूर्व की तरह बेस गोदाम की व्यवस्था की जाय ताकि वहाँ निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सी0एम0आर जमा किया जा सके।

(ii) 133 lots CMR का Acceptance note भारतीय खाद्य निगम द्वारा नहीं दिया गया है।

(5) गोपालगंज : गोपालगंज में भारतीय खाद्य निगम के डीपो नहीं रहने के कारण वहाँ का सी0एम0आर0 सिवान में जमा कराया जाता है, जिससे एक ही सेन्टर होने के कारण निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सी0एम0आर0 का लॉट जमा नहीं हो पायेगा। वहाँ बिस्कोमान के 2000 मे0 टन भण्डारण क्षमता का गोदाम किराया पर लेकर चालू करने का अनुरोध पूर्व में अनेकों बार अनुरोध किया गया है, परन्तु अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो सकी है। पुनः अनुरोध है कि बिस्कोमान का 2000 मे0 टन भण्डारण क्षमता का गोदाम जो खाली पड़ा हुआ है, उसे अपने अधीन लेकर चालू कराया जाय ताकि वहाँ निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सी0एम0आर0 जमा किया जा सके।

(6) वैशाली : बाजार समिति स्थित भारतीय खाद्य निगम डीपो द्वारा सभी छः कार्य दिवस को सी0एम0आर0 प्राप्त नहीं किया जा रहा है। अनुरोध है कृपया वहाँ सी0एम0आर0 प्राप्त करने हेतु संबंधित क्षेत्र प्रबंधक/डीपो प्रभारी को आवश्यक निदेश देने की कृपा की जाय।

(7) गया : दुर्गाबाड़ी स्थित भारतीय खाद्य निगम के अधीन एस0डब्लू0सी0 द्वारा2012–13 का सी0एम0आर0 प्राप्त नहीं किया जा रहा है, जिससे निर्धारित लॉट के अनुसार सी0एम0आर0 जमा नहीं हो पायेगा। अनुरोध है कृपया वहाँ सी0एम0आर0 प्राप्त करने हेतु संबंधित क्षेत्र प्रबंधक को निदेश देने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय।

(8) बाँका : (i) बांका स्थित भारतीय खाद्य निगम के अधीन एस0डब्लू0सी0 द्वारा सी0एम0आर0 प्राप्त नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सी0एम0आर0 जमा नहीं हो पायेगा। अनुरोध है कृपया वहाँ सी0एम0आर0 प्राप्त करने हेतु संबंधित क्षेत्र प्रबंधक को आवश्यक निदेश देने की कृपा की जाय।

(ii) बांका स्थित भारतीय खाद्य निगम में कार्यरत Q.C. personnel की संख्या कम होने के कारण वहाँ लक्ष्य के अनुसार सी0एम0आर0 जमा नहीं हो पायेगा। अनुरोध है कृपया कम से कम वहाँ एक और Q.C. personnel की बहाली करने की कृपा की जाय ताकि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार वहाँ सी0एम0आर0 जमा हो सके।

(9) भोजपुर – (i) भोजपुर जिला स्थित भारतीय खाद्य निगम डीपो में मात्र 2 QC Personnel कार्यरत होने के कारण वहाँ पर्याप्त मात्रा में सी0एम0आर0 जमा नहीं हो पा रहा है। वहाँ QC Personnel की बहाली हेतु पूर्व में अनेकों बार अनुरोध किया गया है, परन्तु अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो सकी है। पुनः अनुरोध है कृपया कम से कम एक अतिरिक्त QC Personnel की वहाँ बहाली करने की कृपा की जाय ताकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में सी0एएम0आर0 जमा किया जा सके।

(ii) भोजपुर जिलान्तर्गत भारतीय खाद्य निगम के डीपो में खाद्यान्न भरा रहने के कारण वहाँ निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सी0एम0आर0 जमा नहीं हो पा रहा है।

अनुरोध है कृपया इसे पूर्ण रूप से खाली कराया जाय ताकि वहाँ लक्ष्य के अनुसार सी0एम0आर0 प्राप्त किया जा सके।

(10) औरंगाबाद : (i) अनेकों बार भारतीय खाद्य निगम से अनुरोध करने के बावजूद दाउदनगर बेस गोदाम चालू किया गया है, परन्तु वहाँ स्टाफ का पदस्थापन नहीं होने के कारण वहाँ सी0एम0आर0 प्राप्त नहीं किया जा रहा है।

अनुरोध है कृपया उक्त गोदाम में स्टाफ का पदस्थापन करने की कृपा की जाय ताकि वहाँ सी0एम0आर0 प्राप्त किया जा सके।

(ii) डेहरी स्थित भारतीय खाद्य निगम के डीपो खाद्यान्न से भरा रहने के कारण वहाँ सी0एम0आर0 जमा नहीं हो पा रहा है।

अनुरोध है कृपया वहाँ रैक प्लानिंग कर उक्त गोदाम को खाली किया जाय ताकि वहाँ सी0एम0आर जमा हो सके।

(iii) औरंगाबाद में 10.00 करोड़ रू0 के सी0एम0आर0 का acceptance note अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है।

(11) कैमूर : मोहनियाँ और कुदरा स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदाम भरा रहने के कारण सी0एम0आर0 जमा नहीं हो पा रहा है।

(12) दरभंगा : (i) भारतीय खाद्य निगम के दरभंगा डीपो में लगातार खाद्यान्न का रैक आगमन के कारण सी0एम0आर0 प्राप्ति का कार्य बाधित है। अनुरोध है वहाँ रैक प्लानिंज इस प्रकार की जाय कि सी0एम0आर0 प्राप्त किया जा सके।

(ii) भारतीय खाद्य निगम डीपो दरभंगा में जो चावल का रैक भेजा जा रहा है, उसकी वहाँ तत्काल आवश्यकता नहीं है। अनुरोध है कृपया उसे अन्यत्र divert करने की कृपा की जाय।

(13) बेतिया : भारतीय खाद्य निगम, चनपटिया डीपो में सी0एम0आर0 प्राप्ति सप्ताहिक में कार्य दिवस बढाया जाय।

(14) सहरसा : भारतीय खाद्य निगम के सहरसा डीपो में क्यू0सी0 नहीं रहने के कारण सी0एम0आर0 प्राप्ति का कार्य बाधित है। अविलम्ब क्यू0सी0 की पदस्थापन किया जाय।।

(15) जमुई : 19 लॉट्स सी0एम0आर0 का Acceptance note भारतीय खाद्य निगम द्वारा नहीं दिया गया है इसे अविलम्ब निर्गत करने हेतु निदेश दिया जाय ताकि सी0एम0आर0 का विपत्र जमा किया जा सके।

उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं पर Video Conference में उठायी गयी समस्याओं के निराकरण हेतु शीघ्र कार्रवाई अपेक्षित है, ताकि खरीफ विपणन मौसम 2012–13 का अधिप्राप्ति धान का सी0एम0आर0 समय पर जमा किया जा सके।

(16) कटिहार : (i) कटिहार जिला में भारतीय खाद्य निगम के दो डीपो रहने के बावजूद भी वहाँ सभी छः कार्य दिवस को सी0एम0आर0 प्राप्त नहीं किया जा रहा है। अनुरोध है कृपया वहाँ सभी छः कार्य दिवस को सी0एम0आर0 प्राप्ति हेतु आवश्यक निदेश देने की कृपा की जाय।

(ii) कटिहार जिला स्थित भारतीय खाद्य निगम डीपो में गेहूँ का रैक भेजा जा रहा है, जिसकी तत्काल वहाँ आवश्यकता नहीं है। अनुरोध है कृपया इसे अन्य डीपो में diveert करने की कृपा की व्यवस्था करने की कृपा की जाय।

(17) जहानाबाद : जहानाबाद स्थित भारतीय खाद्य निगम के डीपो के भरा रहने के कारण वहाँ सी0एम0आर0 जमा नहीं हो पा रहा है। अनुरोध है कृपया उक्त डीपो को शीघ्र खाली कराने की व्यवस्था कराई जाय ताकि वहाँ सी0एम0आर0 प्राप्त किया जा सके।

(18) वैशाली, सिवान एवं दरभंगा जिलों में सी0एम0आर0 के मूल्य के भुगतान के कम में सोसाईटी कमीशन की कटौती कर ली गयी है, जबकि इन जिलों द्वारा आवश्यक संबंधित कागजात क्षेत्र प्रबंधक के कार्यालय

में समर्पित कर दिया गया है। अनुरोध है कि इस संबंध में तत्काल भुगतान हेतु संबंधित क्षेत्र प्रबंधक को निदेश देने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

उप प्रमुख अधिप्राप्ति।

ज्ञापांक–6097 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप प्रमुख अधिप्राप्ति।

ज्ञापांक–6097 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि मुख्य सचिव के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

उप प्रमुख अधिप्राप्ति।

ज्ञापांक– 6097 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः गोपनीय शाखा, मुख्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

उप प्रमुख अधिप्राप्ति।

अनु०-16

बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0,
सोन भवन, 5वीं मंजिल, बीरचन्द पटेल पथ, पटना–800001

पत्रांक– 6294 पटना, दिनांक–26.7.13

प्रेषक,

उप प्रमुख अधिप्राप्ति,
मुख्यालय, पटना।

सेवा में,

महा प्रबंधक (क्षेत्र),
भारतीय खाद्य निगम,
एक्जीबिशन रोड़, पटना।

विषय :– दिनांक 16.01.13, 21.01.13, 28.01.13, 04.02.13, 11.02.13, 18.02.13, 25.02.13, 04.3.13, 12.03.13, 18.03.03, 26.03.13, 01.04.13, 08.04.13, 15.04.13, 22.04.13, 30.04.13, 06.05.13, 13.05.13 , 20.05.13, 27.5.13, 03.06.13, 10.06.13, 17.06.13, 01.07.13, 08.7.13, 15.07.13 एवं 22.07.13 को हुए Video Conference में उठाये गये समस्याओं के निराकरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में दिनांक 16.01.13, 21.01.13, 28.01.12, 04.02.13, 11.02.13 18.02.13, 25.02.13, 04.03.13, 12.03.13 एवं 18.03.13, 26.03.13, 01.04.13, 08.04.13, 15.04.13, 22.04.13, 30.04.13, 06.05.13, 13.05.13, 20.5.13, 27.05.13, 03.06.13, 10.06.13, 01.07.13, 08.07.13 एवं 15.07.13 को सम्पन्न Video Conference में उठाये गये समस्यिओं के निराकरण हेतु जिलावार विवरणी के साथ निगम मुख्यालय पत्रांक 6097 दिनांक 20.07.13 के द्वारा आपसे अनुरोध किया गया था, परन्तु अभी तक उक्त समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ है। पुनः दिनांक 22.07.13 को इन समस्याओं को विडियो कान्फ्रेंस में उठाया गया है, जिसका निराकरण किया जाना नितान्त आवश्यक है। जिलों से संबंधित समस्याओं की विवरणी निम्न प्रकार है :–

(1) नालन्दा (i) नालन्दा जिला में एक QC कार्यरत होने के कारण वहाँ समय पर सी0एम0आर0 का जॉच नहीं हो पा रहा है। वहाँ पर QC के बहाली हेतु निगम मुख्यालय पत्रांक 4300 दिनांक 17.5.13, 4442 दिनांक 24.05.13, पत्रांक 4571 दिनांक 31.05.13, पत्रांक 4783 दिनांक 07.06.13, पत्रांक 4901 दिनांक 14.06.13 एवं पत्रांक 5812 दिनांक 11.07.13 के माध्यम से अनुरोध किया गया है परन्तु अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो सकी है। पुनः अनुरोध है वहाँ कम से कम दो QC बहाल करने की कृपा की जाय।

(ii) नालन्दा स्थित एस0डब्लू0सी0 के गोदाम में बराबर लेबर समस्या के कारण लक्ष्य के अनुसार वहाँ सी0एम0आर0 जमा नहीं हो पा रहा है। इस समस्या का समाधान हेतु निगम मुख्यालय पत्रांक 4901 दिनांक 14.06.13 एवं पत्रांक 5182 दिनांक 20.06.13 एवं पत्रांक 5812 दिनांक 11.07.13 के माध्यम से अनुरोध किया गया था, परन्तु अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो सकी है। इसके अतिरिक्त वहाँ भण्डारण क्षमता के कमी के कारण सी0एम0आर0 जमा नहीं हो पा रहा है।

(iii) नालन्दा जिला में भारतीय खाद्य निगम डीपो में भण्डारण क्षमता की कमी के कारण निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप सी0एम0आर0 जमा नहीं हो पा रहा है। अनुरोध है कृपया वहाँ भण्डारण क्षमता में वृद्धि किये जाने हेतु अतिरिक्त गोदाम की व्ययवस्था करने की कृपा की जाय।

पुनः अनुरोध है कि कृपया इस लेबर एवं भण्डारण समस्या का निदान अपने स्तर से करने की कृपा की जाय ताकि वहाँ लक्ष्य के अनुरूप सी0एम0आर0 जमा हो सके।

(2) रोहतास– भारतीय खाद्य निगम डेहरी तथा सासाराम डीपो के भरा रहने के कारण वहाँ मात्र एक ही दिन सी0एम0आर0 प्राप्त किया जा रहा है। इस समस्या के समाधान हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 4571 दिनांक 31.05.13 एवं पत्रांक 4783 दिनांक 07.06.13 के माध्यम से आपसे अनुरोध किया गया है, परन्तु अभी तक इसका समाधान नहीं हो सका है।

पुनः: अनुरोध है कृपया डेहरी तथा सासाराम स्थित भारतीय खाद्य निगम गोदाम में रेक प्लानिंग इस प्रकार की जाय कि गोदाम खाली हो सके एवं वहाँ सी0एम0आर0 प्राप्त किया जा सके।

(3) सिवान : (i) सिवान स्थित भारतीय खाद्य निगम डीपो में डंपिंग के लिये जगह नहीं रहने के कारण वहाँ सी0एम0आर0 प्राप्त नहीं किया जा रहा है। इस समस्या का समाधान हेतु पूर्वमें निगम मुख्यालय पत्रांक 4300 दिनांक 17.05.13, पत्रांक 4571 दिनांक 31.05.13, पत्रांक 4783 दिनांक 07.06.13, पत्रांक

4901 दिनांक 14.06.13 एवं पत्रांक 5182 दिनांक 20.06.13 के द्वारा अनुरोध किया गया है, परन्तु अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो सकी है। पुनः अनुरोध है कि उक्त समस्या का समाधान अपने स्तर से करने की कृपा की जाय ताकि वहाँ सी0एम0आर0 प्राप्त किया जा सके। अथवा सी0एम0आर0 प्राप्त करने हेतु वहाँ अन्य बेस डीपो की व्यवस्था की कृपा जाय, ताकि लक्ष्य के अनुरूप सी0मएआर0 जमा किया जा सके।

(ii) सिवान स्थित भारतीय खाद्य निगम डीपो में लेबर की कमी के कारण वहाँ निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सी0एम0आर0 जमा नहीं किया जा रहा है। अनुरोध है कृपया वहाँ अतिरिक्त लेबर की व्यवस्था की जाय ताकि लक्ष्य के अनुरूप सी0एम0आर0 जमा हो सके।

(4) <u>पटना</u> :- (i) पटना स्थित भारतीय खाद्य निगम डीपो में सी0एम0आर0 प्राप्त करने की गति काफी धीमी है, जिसके कारण वहाँ निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सी0एम0आर0 जमा नहीं हो पा रहा है।

अनुरोध है कृपया सी0डब्लू0सी0 के माध्यम से फतुहा, बिहटा तथा मसौढ़ी में पूर्व की तरह बेस गोदाम की व्यवस्था की जाय ताकि वहाँ निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सी0एम0आर जमा किया जा सके।

(5) <u>गोपालगंज</u> : गोपालगंज में भारतीय खाद्य निगम के डीपो नहीं रहने के कारण वहाँ का सी0एम0आर0 सिवान में जमा कराया जाता है, जिससे एक ही सेन्टर होने के कारण निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सी0एम0आर0 का लॉट जमा नहीं हो पायेगा। वहाँ बिस्कोमान के 2000 मे0 टन भण्डारण क्षमता का गोदाम किराया पर लेकर चालू करने का अनुरोध पूर्व में अनेकों बार अनुरोध किया गया है, परन्तु अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो सकी है। पुनः अनुरोध है कि बिस्कोमान का 2000 मे0 टन भण्डारण क्षमता का गोदाम जो खाली पड़ा हुआ है, उसे अपने अधीन लेकर चालू कराया जाय ताकि वहाँ निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सी0एम0आर0 जमा किया जा सके।

(6) वैशाली : लगातार रैक आगमन के कारण सी0एम0आर0 प्राप्ति का कार्य बाधित है।

अनुरोध है कृपया रैक आगमन के समय भी सी0एम0आर0 स्वीकार करने हेतु संबंधित क्षेत्र प्रबंधक/डीपो प्रभारी को निदेश देने की कृपा की जाय।

(7) <u>गया</u> : दुर्गाबाड़ी स्थित भारतीय खाद्य निगम डीपो खाद्यान्न से भरा रहने के कारण सी0एम0आर0 प्राप्त नहीं किया जा रहा है, जिससे निर्धारित लॉट के अनुसार सी0एम0आर0 जमा नहीं हो पायेगा।

अनुरोध है कृपया वहाँ अविलम्ब दर्गाबाडी गोदाम खाली करा कर सी0एम0आर0 प्राप्त करने हेतु संबंधित क्षेत्र प्रबंधक को निदेश देने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय।

(8) <u>बाँका</u> : (i) बांका स्थित भारतीय खाद्य निगम के अधीन एस0डब्लू0सी0 द्वारा सी0एम0आर0 प्राप्त नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सी0एम0आर0 जमा नहीं हो पायेगा।

अनुरोध है कृपया वहाँ सी0एम0आर0 प्राप्त करने हेतु संबंधित क्षेत्र प्रबंधक को आवश्यक निदेश देने की कृपा की जाय।

(ii) बांका स्थित भारतीय खाद्य निगम में कार्यरत Q.C. personnel की संख्या कम होने के कारण वहाँ लक्ष्य के अनुसार सी0एम0आर0 जमा नहीं हो पायेगा।

अनुरोध है कृपया कम से कम वहाँ एक और Q.C. personnel की बहाली करने की कृपा की जाय ताकि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार वहाँ सी0एम0आर0 जमा हो सके।

(9) <u>भोजपुर</u> – (i) भोजपुर जिलान्तर्गत भारतीय खाद्य निगम के डीपो में खाद्यान्न भरा रहने के कारण वहाँ निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सी0एम0आर0 जमा नहीं हो पा रहा है।

अनुरोध है कृपया इसे पूर्ण रूप से खाली कराया जाय ताकि वहाँ लक्ष्य के अनुसार सी0एम0आर0 प्राप्त किया जा सके।

(10) <u>औरंगाबाद</u> : (i) अनेकों बार भारतीय खाद्य निगम से अनुरोध करने के बावजूद दाउदनगर बेस गोदाम चालू किया गया है, परन्तु वहाँ स्टाफ का पदस्थापन नहीं होने के कारण वहाँ सी0एम0आर0 प्राप्त नहीं किया जा रहा है।

अनुरोध है कृपया उक्त गोदाम में स्टाफ का पदस्थापन करने की कृपा की जाय ताकि वहाँ सी0एम0आर0 प्राप्त किया जा सके।

(ii) जक्की बिगहा एवं कोयला डिपो स्थित भारतीय खाद्य निगम के डीपो खाद्यान्न से भरा रहने के कारण वहाँ सी0एम0आर0 जमा नहीं हो पा रहा है।

A-6

अनु-17

(12)

**बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0,**
सोन भवन, 5वीं मंजिल, बीरचन्द पटेल पथ, पटना–800001

पत्रांक– 8689 पटना, दिनांक– 27.9.13

प्रेषक,

प्रमुख अधिप्राप्ति,
मुख्यालय, पटना।

सेवा में,

महा प्रबंधक (क्षेत्र),
भारतीय खाद्य निगम,
एक्जीबिशन रोड़, पटना।

विषय :– दिनांक–06.05.13,13.05.13, 20.05.13, 27.5.13, 03.06.13, 10.06.13, 17.06.13,01.07.13, 08.7.13, 15.07.13, 22.07.13, 29.07.13, 05.08.13, 12.08.13, 21.08.13, 26.08.13, 02.9.13,16.09.13 एवं 23.09.2013 को हुए Video Conference में उठाये गये समस्याओं के निराकरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में दिनांक 06.05.13, 13.05.13, 20.5.13, 27.05.13, 03.06.13, 10.06.13, 01.07.13, 08.07.13,15.07.13, 29.07.13, 05.08.13, 12.08.13, 21.08.13, 26.08.13, एवं 02.09.13 ,23.09.13 को सम्पन्न Video Conference में उठाये गये समस्याओं के निराकरण हेतु जिलावार विवरणी के साथ निगम मुख्यालय पत्रांक–8411 दिनांक–20.09.13 के द्वारा आपसे अनुरोध किया गया था, परन्तु अभी तक उक्त समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ है। पुनः दिनांक–23.09.09 को इन समस्याओं को विडियो कान्फ्रेंस में उठाया गया है, जिसका निराकरण किया जाना नितान्त आवश्यक है। जिलों से संबंधित समस्याओं की विवरणी निम्न प्रकार है :–

(1) नालन्दा (i) नालन्दा जिला में एक QC कार्यरत होने के कारण वहाँ समय पर सी0एम0आर0 का जॉच नहीं हो पा रहा है। वहाँ पर QC के बहाली हेतु निगम मुख्यालय पत्रांक 4300 दिनांक 17.5.13, 4442 दिनांक 24.05.13, पत्रांक 4571 दिनांक 31.05.13, पत्रांक 4783 दिनांक 07.06.13, पत्रांक 4901 दिनांक 14.06.13 एवं पत्रांक 5812 दिनांक 11.07.13 के माध्यम से अनुरोध किया गया है परन्तु अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो सकी है। पुनः अनुरोध है वहाँ कम से कम एक QC बहाल करने की कृपा की जाय, ताकि लक्ष्य के अनुरूप सी0एम0आर0 जमा किया जा सके।

(ii) मजदूरों की संख्या बढ़ाने की कृपा की जाय।

(iii)हनुमान कोल्ड स्टोरेज को भारतीय खाद्य निगम के क्रय केन्द्र के रूप में पुनः कार्यरत करने की कृपा की जाय।

(2) पटना : (i) पटना स्थित भारतीय खाद्य निगम डीपो में सी0एम0आर0 प्राप्त करने की गति काफी धीमी है, जिसके कारण वहाँ निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सी0एम0आर0 जमा नहीं हो पा रहा है।

अनुरोध है कृपया सी0डब्लू0सी0 के माध्यम से फतुहा एवं बिहटा को पूर्व की तरह बेस गोदाम की व्यवस्था की जाय ताकि वहाँ निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सी0एम0आर जमा किया जा सके।

(3) गोपालगंज : गोपालगंज में भारतीय खाद्य निगम के डीपो नहीं रहने के कारण वहाँ का सी0एम0आर0 सिवान में जमा कराया जाता है, जिससे एक ही सेन्टर होने के कारण निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सी0एम0आर0 का लॉट जमा नहीं हो पायेगा। अविलम्ब लिये गये 2000 मे0 टन का गोदाम एस0डब्लू0सी0 के अधीन लेकर कियाशील किया जाय ताकि वहाँ निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सी0एम0आर0 जमा किया जा सके।

(4) वैशाली, सिवान एवं दरभंगा जिलों में सी0एम0आर0 के मूल्य के भुगतान के कम में सोसाईटी कमीशन की कटौती कर ली गयी है, जबकि इन जिलों द्वारा आवश्यक संबंधित कागजात क्षेत्र प्रबंधक के कार्यालय में समर्पित कर दिया गया है। अनुरोध है कि इस संबंध में तत्काल भुगतान हेतु संबंधित क्षेत्र प्रबंधक को निदेश देने की कृपा की जाय।

(5) बक्सर : तकनीकि सहायक द्वारा क्षमता के अनुसार सी0एम0आर0 का लॉट जॉच नहीं किये जाने के कारण लक्ष्य के अनुसार सी0एम0आर0 जमा नहीं हो पा रहा है।

अनुरोध है कि अतिरिक्त तकनीकि सहायक को पदस्थापित करने की कृपा की जाय।

(6) सारण : खरीफ विपणन मौसम 2011–12 से संबंधित 621 मे0 टन सी0एम0आर0 का acceptance note भारतीय खाद्य निगम द्वारा अभी तक नहीं दिये जाने के कारण वहाँ का विपत्र लंबित है।

S/Doc.Pro.V.C.Compl.

अनुरोध है कृपया उक्त 621 मे0 टन सी0एम0आर0 का acceptance note अविलंब निर्गत करने की कृपा की जाय ताकि उसका विपत्र भुगतान हेतु जमा किया जा सके।

(7) गया : दुर्गाबाड़ी एवं कटोरीहिल गोदामों में मजदूर एवं जगह के अभाव के कारण सी0एम0आर0 प्राप्ति का कार्य प्रभावित रहा है।

(8) सिवान : चकिया गोदाम भरा रहने के कारण सिवान जिला से टैग मिल का सी0एम0आर0 प्राप्ति का कार्य बाधित है। शिव शक्ति एग्रो प्रोडक्ट एवं राईस इन्डस्ट्रीज प्रा0 लि0, रक्सौल को एफ0एस0डी0 रक्सौल से टैगिंग का प्रस्ताव अभी तक लम्बित है। शीघ्रातिशीघ्र टैगिंग की कार्रवाई अपेक्षित है। साथ ही साथ सिवान में लगातार रैक आगमन से भी सी0एम0आर0 प्राप्ति का कार्य बाधित है।

(9) दरभंगा : भा0 खा0 निगम के मोतिहारी डीपो में जगह का अभाव रहने के कारण दरभंगा जिला से एकरारनामित मिलरों का सी0एम0आर0 हस्तगत नहीं हो पा रहा है।

(13) सुपौल: भारतीय खाद्य निगम, राधोपुर का गोदाम भरा रहने के कारण सी0एम0आर0 प्राप्ति का कार्य बाधित है। कृपया गोदाम खाली कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

(14) सीतामढ़ी : भारतीय खाद्य निगम पुनहरा डीपो में मजदूरों की समस्या के कारण पर्याप्त संख्या में सी0एम0आर0 लॉट्स स्वीकार नहीं किया जा रहा है।

(15) नवादा : वारसलीगंज डीपो में मजदूरों की समस्या के कारण पर्याप्त संख्या में सी0एम0आर0 लॉट्स प्राप्त नहीं किया जा रहा है।

(16) पूर्णिया : लगातार रैक के आगमन से पूर्णिया डीपों में सी0एम0आर0 प्राप्ति का कार्य प्रभावित हो रहा है।

(17) मधुबनी : पटना जिला से एकरारनामित राईस मिल जो पण्डौल में सी0एम0आर0 हस्तगत करा रहे थे, उसे चालू रखा जाय एवं टैगिंग हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 3952 दिनांक 30.04.13 द्वारा भेजे गये प्रस्ताव की स्वीकृति दी जाय ताकि सी0एम0आर0 ससमय जमा किया जा सके।

(18)जहानाबाद: जहानाबाद का गोदाम को अविलम्ब खाली कराया जाय, भरा रहने के कारण सी0एम0आर0 हस्तानान्तरण में कठिनाई हो रही है।

(19) अरवल: अरवल के गोदाम को कियाशील करने की कृपा की जाय।

(20) वैशाली: भारतीय खाद्य निगम के हाजीपुर गोदाम भरा रहने के कारण सी0एम0आर0 हस्तानान्तरण का कार्य बाधित है।

टी0पी0डी0एस0 :

(1) वैशाली: भारतीय खाद्य निगम,हाजीपुर (वैशाली) डीपो में तत्काल 15 दिनों तक चावल का रैक प्रेषित नहीं करने की कृपा की जाय।

(2) जमुई: भारतीय खाद्य निगम, जमुई में एक महीने तक खाद्यान्नों का रेक प्रेषण नहीं करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

प्रमुख अधिप्राप्ति।

ज्ञापांक– 8689 पटना, दिनांक– 27.9.13

प्रतिलिपि प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रमुख अधिप्राप्ति।

ज्ञापांक– 8689 पटना, दिनांक– 27.9.13

प्रतिलिपि मुख्य सचिव के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमुख अधिप्राप्ति।

ज्ञापांक– 8689 पटना, दिनांक– 27.9.13

प्रतिलिपिः गोपनीय शाखा, मुख्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमुख अधिप्राप्ति।

S/Doc.Pro.V.C.Compl.

3470-18



ITEM NO.16 COURT NO.10 SECTION XVI

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS

Petition(s) for Special Leave to Appeal (C) No(s). 450/2018

(Arising out of impugned final judgment and order dated 19-04-2017 in RC No. 8/2016 passed by the High Court Of Judicature At Patna)

BIHAR STATE FOOD AND CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD. & ORS.
Petitioner(s)

VERSUS

SADHNA KUMARI
Respondent(s)

WITH

Diary No(s). 42063/2017 (XVI)
(IA No.141446/2017-CONDONATION OF DELAY IN FILING and IA No.141447/2017-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.141448/2017-EXEMPTION FROM FILING O.T.

SLP(C) No. 511/2018 (XVI)

Date : 29-01-2018 These matters were called on for hearing today.

CORAM :
HON'BLE MR. JUSTICE ADARSH KUMAR GOEL
HON'BLE MR. JUSTICE UDAY UMESH LALIT

For Petitioner(s) Mr. Sidharth Luthra,Sr.Adv.
Mr. Jasmeet Singh, AOR
Mr. Gautam Khanjanchi,Adv.
Mr. Naman Joshi,Adv.
Mr. Ashutosh Kumar,Adv.
Ms. Kusheet J. Saluja,Adv.
Mr. Hemant Jain,Adv.
Mr. Shailendra Kr.Singh,Adv.

Mr. Sidharth Luthra,Sr.Adv.
Mr. Shivam Singh,Adv.
Mr. Manish Kumar,Adv.
Ms. Shreya Singh,Adv.
Mr. Gopal Singh, AOR

Signature Not Verified
Digitally signed by MADHU BALA
Date: 2018.01.30 12:00:38 IST
Reason:

For Respondent(s) Mr. P.N. Mishra,Sr.Adv.
Mr. Anil K. Jha, AOR
Ms. Priyanka Tyagee,Adv.

Mr. Devashish Bharuka, AOR
Mr. Sejal Agarwal,Adv.

UPON hearing the counsel the Court made the following

O R D E R

Heard learned counsel for the parties.

Delay condoned.

Having regard the facts and circumstances of the present case, we do not find any ground to interfere except to direct that one arbitrator should not have more than ten matters and arbitration proceedings in such ten matters must be concluded on day to day basis within a period of three months. Wherever an arbitration has taken cognizance in more than ten matters, matters beyond ten matters be referred back to the High Court for appointment of another arbitrator.

It is also made clear that pendency of arbitration proceedings will not affect criminal proceedings, including the investigation.

All arbitration proceedings will be carried out at Patna.

All contentions available under the law to the parties before the arbitrator are left open to be gone into by the Arbitrator in accordance with law.

The special leave petitions are, accordingly, disposed of.

Pending application(s), if any, shall also stand disposed of.

(MADHU BALA)
COURT MASTER (SH)

(PARVEEN KUMARI PASRICHA)
BRANCH OFFICER